संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

दिसम्बर 2020

Quad GROUP

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

पेन ड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी।
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) भारतीय राजव्यवस्था
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे	एवं टीम

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से
SANSKRITI IAS
का एप डाउनलोड करें

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1

भौगोलिक घटनाक्रम....6-8
इतिहास, कला एवं संस्कृति....9-12
सामाजिक घटनाक्रम....13-18

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम....21-30
अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध....31-45
गरीबी, स्वास्थ्य एवं कल्याण....46-50
गवर्नेंस....51-56
भारतीय राजव्यवस्था....57-68

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3

आर्थिक घटनाक्रम....71-85
कृषि 86-90
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.... 91-101
पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन.... 102-125
रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा.... 126-127

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि.... 129-130

विविध

एकता दिवस और विभिन्न पहलें.... 131
रशिकोंडा समुद्री तट को मिला ईको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' का दर्जा.... 132
नोबेल पुरस्कार, 2020 (Nobel Prize, 2020).... 133
वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 138
'इंफोडेमिक' प्रबंधन.... 140
पुलवामा पेंसिल (Pulwama Pencils) 141
इंदिरा रसोई योजना : राजस्थान.... 141
ओहाका खादी (Oaxaca Khadi).... 142
गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन.... 142
अटल सुरंग (Atal Tunnel).... 143

The Most Comprehensive Online Video Course for IAS Exam
Learn with our expert mentors having experience of over 15-20 years in this field.

PRELIMS GS COURSE | MAINS GS COURSE
OPTIONAL COURSE | QUESTION-ANS DISCUSSION COURSE

संस्कृति IAS

The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

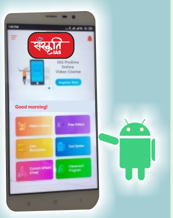

वैकल्पिक विषय

भूगोल

द्वारा – कुमार गौरव

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1

भौगोलिक घटनाक्रम

टाइफून मोलावे 6

मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी और वातावरण का क्षरण 7

अटलांटीफिकेशन 8

इतिहास, कला एवं संस्कृति

बूंदी : एक विस्मृत राजपूत राजधानी का स्थापत्य विरासत 9

मलखम्भ 11

'लाइफ इन मिनिएचर' परियोजना 12

कस्तूरी कपास 12

सामाजिक घटनाक्रम

श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 13

महिला यौनकर्मियों पर एन.एच.आर.सी. की सलाह 14

भारत में असमान लिंगानुपात : एक समीक्षा 16

टाइफून मोलावे (Typhoon Molave)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, **वियतनाम** में पिछले दो दशकों के सबसे बड़े तूफानों में से एक टाइफून मोलावे ने भीषण तबाही मचाई।

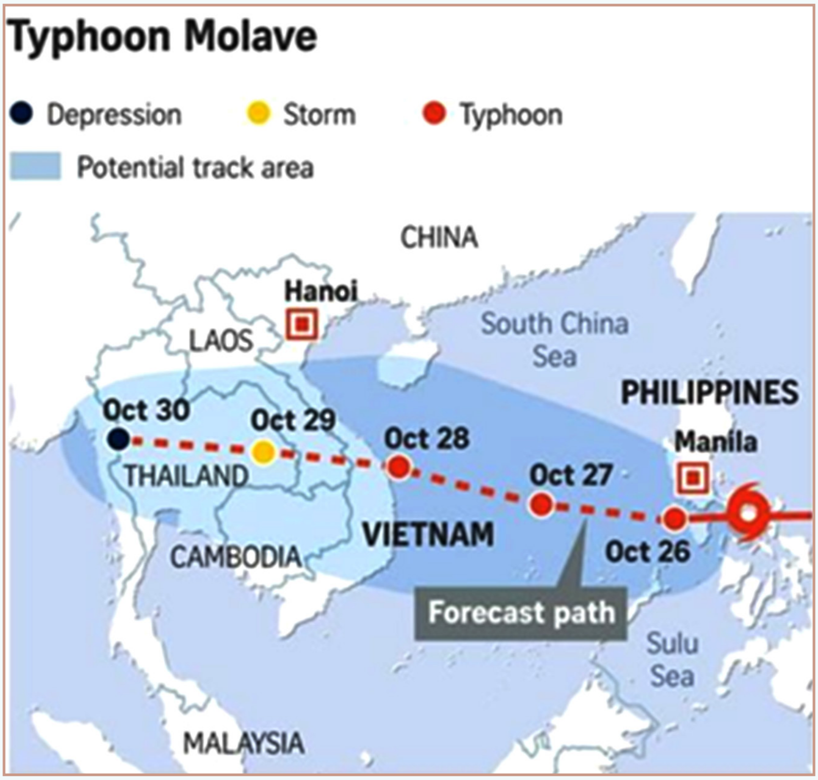

मुख्य बिंदु

- वियतनाम, विशेषकर वहाँ के मध्य तटीय क्षेत्र, जून और नवम्बर के बीच, बारिश के मौसम में अक्सर इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहते हैं लेकिन हाल के वर्षों में तूफानों ने ज़्यादा तबाही मचाई है।
- इस तूफान की वजह से वियतनाम का **क्वांग नैम प्रांत (Quang Nam Province)** विशेष रूप से प्रभावित हुआ है।
- ध्यातव्य है कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 'टाइफून', उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त (Anti-clockwise) घूमते हैं।
- इन्हें **साफिर-सिम्पसन हरिकेन हवा पैमाने (Saffir–Simpson Hurricane Wind Scale)** द्वारा मापा जाता है।

- क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Specialized Meteorological Centre — RSMC), टोक्यो का टाइफून केंद्र देशों द्वारा दिये गए नामों की सूची के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करता है। 'मोलावे' नाम फिलीपींस द्वारा दिया गया है।

मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी और वातावरण का क्षरण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, **इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन (मॉम) और नासा के मार्स आर्बिटर, मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (मावेन)** द्वारा भेजी गई तस्वीरों से यह स्पष्ट हुआ है कि मंगल ग्रह तेज़ी से अपने बाह्य वातावरण को खो रहा है।

मुख्य बिंदु

- यद्यपि मंगल ही नहीं वरन् पृथ्वी सहित सौर मंडल के अन्य ग्रह भी लगातार अपने वायुमंडल के बाहरी वातावरण को खो रहे हैं या उनमें क्षरण हो रहा है, लेकिन मंगल में यह बहुत तेज़ी से हो रहा है।
- दो साल पहले जून-जुलाई 2018 में आए धूल के तूफान को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है, जिसके कारण मंगल का ऊपरी वायुमंडल गर्म हो गया था।
- किसी ग्रह के बाहरी वातावरण को कितना नुकसान होगा, यह उसके आकार और ऊपरी वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करता है। चूँकि मंगल, पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है इसलिये यह बदलाव बड़ी तेज़ी से सामने आ रहा है।
- हालाँकि नासा के अनुसार वातावरण को होने वाला यह नुकसान ऊपरी वायुमंडल के तापमान में आ रहे बदलावों पर भी निर्भर करता है। इसके शोध से जुड़े नतीज़े हाल ही में अमेरिकन जियोफिज़िकल यूनियन के जर्नल ऑफ जिओफिज़िकल रिसर्च – प्लैनेट्स में प्रकाशित हुए हैं।

मंगल पर जून 2018 में आई धूल की आंधी

- भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, को **5 नवम्बर, 2013 को मंगल ग्रह** पर भेजा था। जिसका एक प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल पर सौर हवा, विकिरण और बाह्य अंतरिक्ष की गतिशीलता का अध्ययन करना था। यह उपग्रह आज भी मंगल ग्रह की तस्वीरों को धरती पर भेज रहा है।
- इससे प्राप्त जानकारी से पता चला है कि जून 2018 के पहले सप्ताह में मंगल पर एक बड़ा धूल का तूफान आया था, जो जुलाई 2018 के पहले सप्ताह तक बढ़ता ही चला गया था। इस तूफान ने वहाँ के ऊपरी वायुमंडल को काफी गर्म कर दिया था, जिस वजह से मंगल ग्रह का बाह्य वातावरण और अधिक ऊँचाई पर पहुँच गया था।
- ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म और वातावरण के गर्म होने से वातावरण में जो विस्तार हुआ उससे मंगल के वायुमंडल का एक हिस्सा बड़ी तेज़ी से एक्सोबेस ऊँचाई (जो कि 220 किमी पर स्थित है) तक पहुँच गया था।
- एक बार जब वायुमंडल एक्सोबेस ऊँचाई पर पहुँच जाता है तो गर्म गैसों के उसके ऊपर और अधिक ऊँचाई तक जाने की सम्भावना बढ़ जाती है, जिससे यह वायुमंडल बाद में बाह्य अंतरिक्ष में भी जा सकता है।

मंगल इतना महत्त्वपूर्ण क्यों?

- मंगल ग्रह, सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जो कि आकार में पृथ्वी का लगभग आधा है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम प्रतीत होती है, यही वजह है कि इसे **"लाल ग्रह"** के नाम से भी जाना जाता है।
- गौरतलब है कि सौरमंडल में दो तरह के ग्रह होते हैं- पहला "चट्टानी या स्थलीय ग्रह" जिनमें ज़मीन

होती है और दूसरे "गैसीय ग्रह" जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की ही तरह, मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है।

- मंगल पर किये गए पिछले शोधों से पता चला है कि इस ग्रह पर पानी के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में वहाँ जीवन के होने की सम्भावनाएँ काफी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि शोधकर्ता इस ग्रह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं।

अटलांटीफिकेशन

- स्कैंडिनेविया के ऊपरी समुद्री क्षेत्र में स्थित बेरेंट सागर (Barents Sea) में हाल के दशकों में वैश्विक तापमान के कारण तेज़ी से बदलाव हुआ है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद यहाँ के वायुमंडलीय तापमान में औसत वैश्विक दर से चार गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधाराएं, आर्कटिक महासागर के बेरेंट सागर की ओर बहती हैं। जहाँ अटलांटिक महासागर का उष्ण लवणीय जल आर्कटिक महासागर के जल से मिलता है। इस प्रक्रिया में बर्फ को गर्म वायुमंडल द्वारा ऊपर से नीचे तथा गर्म महासागर द्वारा नीचे से ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। इस घटना को अटलांटीफिकेशन नाम दिया गया है।
- वैज्ञानिकों ने बैरेंट सागर में कुछ ऐसे "हॉटस्पॉट्स" को उजागर किया है, जिनमें अटलांटिक के साथ अधिक समानता देखी गई है। हालाँकि अटलांटीफिकेशन के प्रभाव का पुष्टिकरण अभी स्पष्ट नहीं है तथापि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आर्कटिक के कुछ हिस्सों को जलवायु "टिपिंग पॉइंट" की ओर धकेल सकता है।
- विदित है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के विपरीत, यूरेशियन आर्कटिक महासागरीय जल अधिक गहरा होने के साथ गर्म होता जाता है। आर्कटिक महासागरीय शीर्ष आमतौर पर समुद्री बर्फ से ढकी रहती है, जिसके नीचे शांत मीठे जल की एक परत होती है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

2

इतिहास, कला एवं संस्कृति

बूंदी : एक विस्मृत राजपूत राजधानी का स्थापत्य विरासत

चर्चा में क्यों?

- पर्यटन मंत्रालय की पहल 'देखो अपना देश' के अंतर्गत 'बूंदी : आर्किटेक्चरल हेरिटेज़ ऑफ ए फॉरगोटेन राजपूत कैपिटल' शीर्षक से वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया, जो बूंदी (राजस्थान) पर केंद्रित है।

बूंदी : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- मध्यकाल में बूंदी नामक क्षेत्र हाडा राजपूत शासकों की राजधानी थी। विदित है कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बूंदी यहीं स्थित है।
- प्राचीन समय में बूंदी के आसपास का क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न स्थानीय जनजातियों का आवास था, जिनमें परिहार व मीणा प्रमुख थे।
- सन् 1242 में **जैता मीणा** से इसको प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र पर राव देव ने शासन किया और इसके आसपास के क्षेत्र का नाम बदलकर हरवती या हरोटी रख दिया।
- इसके बाद अगली दो शताब्दियों तक बूंदी के हाडा, मेवाड़ के सिसोदिया के जागीरदार बनकर रहे और वर्ष 1569 तक राव की उपाधि से शासित हुए। तत्पश्चात् रणथम्भौर किले के आत्मसमर्पण और अधीनता के बाद सम्राट अकबर ने राव सुरजन सिंह को राव राजा की उपाधि प्रदान की।
- सन् 1632 में, राव राजा छत्रसाल शासक बने, जो सन् 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में मारे गए। ये बूंदी के सबसे बहादुर, राजसी और न्यायप्रिय शासक थे, जो अपने दादा राव रतन सिंह के बाद बूंदी के राजा बने थे। उन्होंने केशोरायपट्टन में केशवाराव का मंदिर और बूंदी में छत्र महल का निर्माण करवाया था।

मुगल काल के बाद की स्थिति

- सन् 1804 में राव राजा बिशन सिंह द्वारा होलकर के खिलाफ पराजय में कर्नल मोनसन (Colonel Monson) को दी गई सहायता का बदला लेने के लिये मराठा और पिंडारी लगातार इस राज्य को तहस-नहस करते रहे।
- परिणामस्वरुप बिशन सिंह ने 10 फरवरी, 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ एक सहायक संधि की और उसके संरक्षण में आ गए। इन्होंने ही बूंदी के बाहरी इलाके में सुख निवास के सुख/आनंद महल का निर्माण कराया था।
- हाडा राजवंश के सम्मानित शासक महाराव राजा राम सिंह ने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की और संस्कृत-शिक्षण के लिये स्कूल स्थापित किये। उन्हें राजपूत भद्र पुरुष के एक भव्य उदाहरण और 'रूढ़िवादी राजपूताना में सबसे रूढ़िवादी राजकुमार' के रूप में वर्णित किया गया।
- बूंदी के अंतिम शासक ने 7 अप्रैल, 1949 को भारतीय संघ में प्रवेश किया।

महत्त्वपूर्ण पहलू

- हाडा राजपूत में शाही रानी, दीवान और दाई माँ की भूमिका बूंदी के शाही प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ करती थी क्योंकि काफी कम आयु के शासक भी बूंदी के सिंहासन पर विराजमान होते रहते थे।
- बूंदी शहर का विस्तार तारागढ़ पहाड़ी से बाहर की ओर हुआ और बाद में तारागढ़ महल बूंदी का एक महत्त्वपूर्ण स्थल बन गया।

- घरों के बाहरी हिस्से पर रंग के उपयोग ने बूंदी को एक अद्वितीय चमक और जीवंतता से भर दिया। जोधपुर को छोड़कर भारत में शायद ही ऐसा कहीं और दिखाई दे। बूंदी की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ के अधिकांश भवनों में झरोखे होते हैं।
- बूंदी को **'सीढ़ीदार बावड़ी के शहर' (City of Stepwells)**, 'ब्लू सिटी' और 'छोटी काशी' (अधिक मंदिरों की उपस्थिति के कारण) के रूप में भी जाना जाता है।

वास्तु कला

- बूंदी में दरवाज़ों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :
  - तारागढ़ का प्रवेश द्वार (सबसे पुराना दरवाज़ा)
  - प्राचीर शहर (Walled City) के चार दरवाज़े
  - शहर की बाहरी प्राचीर का दरवाज़ा
  - प्राचीर शहर की मुख्य सड़क का दरवाज़ा
  - छोटे दरवाज़ों का गठन

जल स्थापत्य कला

- यहाँ की जलीय वास्तुकला मध्ययुगीन भारतीय शहरों में अवस्थापना के स्तर पर जल संचयन विधियों के सबसे अच्छे उदाहरण के साथ ही जल वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं।
- प्राचीर शहर के बाहर बावड़ियों और कुंडों का स्थान भी सामाजिक सोच-विचारों से ही प्रभावित था।

बूंदी की वास्तु कला विरासत

- बूंदी की वास्तुकला विरासत को छह भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - गढ़ (किला), जैसे- तारागढ़।
  - गढ़ महल (रॉयल पैलेस/ शाही महल), जैसे- भज महल, छत्र महल, उम्मेद महल।
  - बावड़ी (Step Well : सीढ़ीदार बावड़ी), जैसे- खोज दरवाज़े की बावड़ी, भावलदी (Bhawaldi) बावड़ी।
  - कुंड (Stepped Tank : सीढ़ीदार तालाब), जैसे- धाभाई जी का कुंड, नागर कुंड और सागर कुंड, रानी कुंड।
  - सागर महल (Lake Palace), जैसे- मोती महल, सुख महल, शिकार बुर्ज।
  - छतरी (Cenotaph), जैसे- चौरासी।
- तारागढ़ किले का निर्माण सन् 1354 में राव राजा बैर सिंह ने एक पहाड़ी पर करवाया था। किले के केंद्र में भीम बुर्ज स्थित है, जिस पर कभी गर्भ गुंजम नामक विशेष तोप लगाई जाती थी।
- मंडपों की घुमावदार छतों, मंदिर के स्तम्भों व हाथियों की अधिकता और कमल की आकृति के साथ यह महल राजपूत शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- सुख महल- एक छोटा और दो मंज़िला महल, जो अतीत के शासकों के लिये ग्रीष्मकालीन शरण स्थल था। जैतसागर झील के तट पर स्थित इस महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने सन् 1773 में करवाया था।
- रानी की बावड़ी- बूंदी में 50 से अधिक सीढ़ीदार बावड़ियाँ हैं और इसीलिये इसको बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है।
- रानीजी की बावड़ी सन् 1699 में रानी नाथावती जी द्वारा निर्मित है, जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी। इसे 'क्वींस स्टेपवेल' के रूप में भी जाना जाता है।

- यह बहु-मंजिली बावड़ी गज़राज की उत्कृष्ट नक्काशी का एक नमूना है।
- 84 स्तम्भों वाली छतरी- बूंदी के महाराजा राव अनिरुद्ध द्वारा इसका निर्माण उनकी धाईमाँ देवा की याद में करवाया गया था। इसमें हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्रों से नक्काशी की गई है।

देखो अपना देश वेबिनार

- 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है।
- इस श्रृंखला को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर के अंत में सम्पन्न वेबिनार का शीर्षक 'क्रूज इन गंगा' है।

मलखम्भ (Mallakhamb)

चर्चा में क्यों?

- मलखम्भ या मल्लखम्भ दो शब्दों मल्ल (पहलवान या बलवान) तथा खम्भ (खम्भा या पोल) से मिलकर बना है।
- यह भारत का एक पारम्परिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्वाधर खम्भे या रस्सी के ऊपर तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी।
- वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश द्वारा मलखम्भ को राजकीय खेल घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्भ खेल से सम्बंधित प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर इसके तीन प्रकार प्रचलित हैं -

1. **फिक्स्ड/स्थायी मलखम्भ** – इसमें जमीन में गढ़ी हुई 10 से 12 फीट ऊँची शीशम या सागौन (Teak) की लकड़ी (व्यास – 1.5 से 2 इंच तक) पर करतब दिखाया जाता है। इसका अभ्यास मुख्यत: पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे पोल मलखम्भ भी कहा जाता है।
2. **हेंगिंग मलखम्भ** – यह फिक्स्ड मलखम्भ का छोटा संस्करण है। इसमें सामान्यत: संतुलन अभ्यास किया जाता है।

   इसमें लकड़ी के एक खम्भे पर हुक तथा चेन की सहायता से जमीन से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरी लकड़ी को लटकाकर मलखम्भ का अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास भी मुख्यत: पुरुषों द्वारा ही किया जाता है।
3. **रोप मलखम्भ** – यह मलखम्भ का आधुनिक प्रकार है। इसका अभ्यास मुख्यत: महिलाओं द्वारा किया जाता है।

   इसमें रस्सी की सहायता से विभिन्न यौगिक मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसे रोप मलखम्भ (Rope Mallakhamb) भी कहा जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1981 में **मलखम्भ फेडरेशन ऑफ इंडिया (एम.एफ.आई.)** द्वारा मलखम्भ को पहली बार एक प्रतियोगी खेल के रूप में विकसित किया गया था।
- वर्ष 1981 में ही आयोजित प्रथम राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पहली बार नियम निर्धारित किये गए थे।
- ध्यातव्य है कि मलखम्भ के पुनर्विकास में योगदान देने वाले उज्जैन (मध्यप्रदेश) निवासी **बामशंकर जोशी** और अन्य लोगों द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन- 'मलखम्भ फेडरेशन ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।
- वर्ष 2016 में उज्जैन के मलखम्भ कोच योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

'लाइफ इन मिनिएचर' परियोजना

भूमिका

- हाल ही में, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े सैकड़ों लघुचित्रों को सम्पूर्ण विश्व के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु "लाइफ इन मिनिएचर" परियोजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई।
- यह संस्कृति मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की एक संयुक्त परियोजना है। डिजिटल इंडिया पहल की महत्ता और भारत की विरासत के संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करने वाली यह पहल भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्य बिंदु

- परियोजना में मशीन लर्निंग, संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) और हाई डेफिनिशन रोबोट कैमरों के साथ डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर विशेष तरीके से कला के इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारम्परिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिज़ाइन की गई पहली ऑगमेंटेड रियलिटी-संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं और एक विशाल वर्चुअल स्पेस की अनंत सम्भावनाओं की खोज कर सकते हैं तथा लघु चित्रों का चयन कर सकते हैं।
- प्रदर्शित की गई कलाकृतियाँ मानव जीवन से जुड़े पाँच सार्वभौमिक विषयों प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
- उपयोगकर्ता "लाइफ इन मिनिएचर" के साथ कुछ ही क्लिक में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह, जैसे रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों को सम्पूर्ण विवरण के साथ देख सकते हैं।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला राष्ट्रीय संग्रहालय देश का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है।

गूगल आर्ट्स एंड कल्चर

- गूगल आर्ट्स एंड कल्चर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति साझेदार सांस्कृतिक संगठनों के 2,000 से अधिक संग्रहालयों की कलात्मक एवं सांस्कृतिक कलाकृतियों के संग्रह को देख सकता है। यह कला, इतिहास और दुनिया के अजूबों का पता लगाने का एक शानदार तरीका है।

कस्तूरी कपास

- हाल ही में, द्वितीय विश्व कपास दिवस, 2020 के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा भारतीय कपास के लिये पहली बार ब्रांड (Brand) और लोगो (Logo) का अनावरण किया गया।
- भारतीय कपास को अब वैश्विक बाज़ार में कस्तूरी कॉटन/कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक-दमक, कोमलता, शुद्धता विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 60 लाख टन कपास (विश्व का 23%) का उत्पादन होता है तथा विश्व के कुल जैविक कपास का 51% उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है।
- कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा कपास का अब तक का सबसे अधिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है। साथ ही, मौसम एवं फसल की स्थिति और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं से सम्बंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करने हेतु मोबाइल एप "कॉट-एली" को विकसित किया गया है।
- कपास भारत की मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है तथा लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका कपास की खेती पर निर्भर है।

3 सामाजिक घटनाक्रम

श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व में लैंगिक समानता की स्थिति रिपोर्ट, 2020 संस्करण जारी किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट को **'वर्ल्डस वुमन 2020 : ट्रेंड्स एंड स्टेटिस्टिक'** शीर्षक के तहत **यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर (UN-DESA)** द्वारा जारी किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अभी भी श्रमबल में लैंगिक समानता एक दूरगामी लक्ष्य बना हुआ है तथा कोई भी देश अभी तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है।
- इस रिपोर्ट के तहत पिछले 25 वर्षों की अवधि में महिलाओं की वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में 6 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की वैश्विक स्थिति प्रस्तुत की गई है –
  1. जनसंख्या एवं परिवार
  2. स्वास्थ्य
  3. शिक्षा
  4. आर्थिक सशक्तिकरण और परिसम्पत्ति स्वामित्व
  5. शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता
  6. महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा तथा इन पर कोविड-19 का प्रभाव

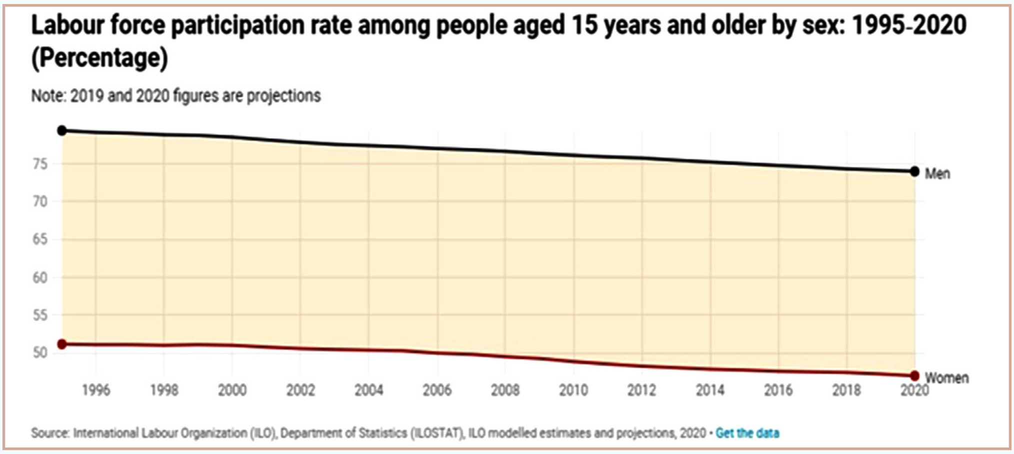

- रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बाज़ार में वर्ष 1995 से लैंगिक अंतर (Gender Gap) में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जबकि शिक्षा, समय पूर्व विवाह तथा प्रसव और मातृ-मृत्युदर में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रम बाज़ार में 74% पुरुषों की तुलना में केवल 47% कार्यशील महिलाओं की ही सहभागिता है।
- श्रमबल की सहभागिता में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर मुख्य कार्यशील आयु समूह (Prime Working Age - 25-45 Years) में देखा गया है। वर्ष 1995 में यह अंतर 31% पॉइंट था और वर्ष 2020 में यह अंतर 32% पॉइंट है।

- भारत में श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 29% (पुरुषों की तुलना में) थी, जबकि लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया था।

अवैतनिक कार्य

- इस रिपोर्ट के इंटरैक्टिव डाटा से पता चलता है कि किस प्रकार से महिलाएँ अवैतनिक घरेलू तथा देखभाल सम्बंधी कार्यों में व्यस्त रहती हैं।
- घरेलू तथा देखभाल सम्बंधी कार्यों में महिलाओं ने एक औसत दिन में पुरुषों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक समय खर्च किया है।
- अवैतनिक घरेलू कार्यों (Unpaid Domestic Work) में घर के रख-रखाव से सम्बंधित गतिविधियाँ, जैसे- भोजन तैयार करना, घर, बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल शामिल है।

कम सहभागिता दर के कारण

- श्रमबल में महिलाओं की कम सहभागिता दर के मुख्य कारणों मे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ तथा अवैतनिक घरेलू कार्य हैं।
- रिपोर्ट में अवलोकन किया गया है कि अकेले रहने वाली महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी अधिक है, जो उनकी कुल संख्या के लगभग 80% से अधिक है।

अन्य आँकड़े

- रिपोर्ट के क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि श्रमबल भागीदारी में लैंगिक असमानता दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, तत्पश्चात् उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में महिलाएँ अवैतनिक कार्यों में कम समय तक (लगभग आधा) व्यस्त रहती हैं।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी लैंगिक असमानता में वृद्धि कर सकती है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- **सहभागिता दर :** सहभागिता दर अर्थव्यवस्था की श्रम शक्ति के सक्रिय हिस्से को दर्शाती है। श्रम शक्ति सहभागिता दर किसी भी देश के समावेशी आर्थिक विकास का सूचक होती है ।
- वर्ष 1995 में चौथा विश्व महिला सम्मलेन (WCD) बीजिंग (चीन) में आयोजित किया गया था, जिसमें लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण हेतु बीजिंग घोषणा (Beijing Declaration) की गई थी।
- इस घोषणापत्र में महिलाओं की प्रगति, स्वास्थ्य, शासन तथा निर्णयों में भागीदारी, बच्चियों तथा महिलाओं से सम्बंधित चिंता के 12 क्षेत्र निर्धारित किये गए थे।

महिला यौनकर्मियों पर एन.एच.आर.सी. की सलाह

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'कोविड-19 के संदर्भ में महिलाओं के मानवाधिकार' पर हाल ही में जारी की गई अपनी सलाह में यौनकर्मियों (Sex Workers) को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में मान्यता देने की बात कही है।

मुख्य बिंदु

- एन.एच.आर.सी. ने सामजिक रूप से उपेक्षित, बहिष्कृत और समाज में हाशिये पर स्थित महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयास में **'कार्यशील महिलाओं'** पर दी गई अपनी सलाह में यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में शामिल करने की बात की।

- सलाह में अधिकारियों से कहा गया कि वे यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में मान्यता प्रदान करें और उन्हें पंजीकृत भी करें ताकि वे भी अन्य श्रमिकों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- मंत्रालयों को अस्थाई दस्तावेज जारी करने के लिये भी कहा गया है ताकि अन्य अनौपचारिक श्रमिकों की तरह यौनकर्मी के लिये भी कल्याणकारी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

क्यों जरूरी है यह सलाह?

- एन.एच.आर.सी. की इस सलाह के द्वारा यौनकर्मियों को औपचारिक सामाजिक समूह में शामिल किया गया क्योंकि भारतीय समाज में उन्हें कमजोर और उपेक्षित वर्ग का हिस्सा माना जाता है अतः भविष्य में उन्हें भी नागरिक के रूप में मान्यता मिले और उनके मानवाधिकारों को संरक्षित किया जा सके।
- ऐसा करने के लिये, एन.एच.आर.सी. ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से सलाह मांगी थी और सरकार व संवैधानिक निकाय, दोनों से ही जुड़े विशेषज्ञों ने यौनकर्मियों के मानवाधिकार और सम्मान की रक्षा की बात पर अपना समर्थन दिया।
- यह एक स्वागत योग्य कदम है और यौनकर्मियों के लिये संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा।

मान्यता से जुड़े कानूनी पक्ष

- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** के अनुसार वेश्यावृत्ति अवैध है।
- सेक्स या तो दो वयस्कों के बीच सहमति से किया जा सकता है अन्यथा यह बलात्कार कहलाएगा।
- यदि किसी संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक यौन सम्बंध बनाए जा रहे हैं तो ये अवैध हैं और इन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिये भारत सरकार ने कभी भी यौनकार्यों (व्यावसायिक) को मान्यता प्रदान नहीं की है।

सलाह की आलोचना

- जो महिलाएँ यौन दासता को समाप्त करना चाहती हैं, उन्होंने एन.एच.आर.सी. के इस कदम की आलोचना की है।
- उनका कहना है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जहाँ कोई महिला स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में गई हो, अतः यौनकार्यों में सलंग्न महिलाओं को अन्य उत्पादक कार्यों में संलग्न महिलाओं के समान व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना समाज और कानून दोनों की बड़ी विफलता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission — NHRC)

- देश में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार गठित होने के कारण यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है।

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

- हाल में किये गए संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होंगी।
- मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बंधी मुख्य आयुक्त को भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकेगा।
- संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यावधि को 5 वर्ष से 3 वर्ष किया जाएगा और वे पद पर पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।

भारत में असमान लिंगानुपात : एक समीक्षा

चर्चा में क्यों?

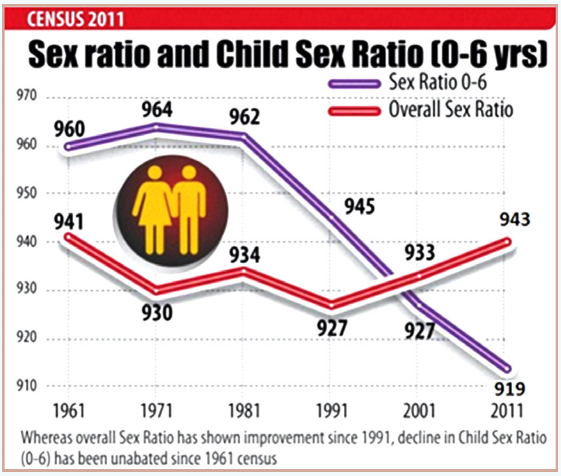

Whereas overall Sex Ratio has shown improvement since 1991, decline in Child Sex Ratio (0-6) has been unabated since 1961 census

- हाल ही में, सी. रंगराजन (पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद्) ने प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और उससे जुड़ी सेवाओं तथा लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों को युवा वर्ग के बीच सशक्तता के साथ चर्चा किये जाने की महत्ता पर जोर दिया।
- उन्होंने यह बात 'नमूना पंजीकरण प्रणाली' (Sample Registration System — SRS) की सांख्यिकीय रिपोर्ट (2018) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट, 2020 के आधार पर कही।

प्रमुख बिंदु

जन्म के समय लिंगानुपात

- एस.आर.एस. रिपोर्ट 2018 से पता चलता है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात, 2011 में 906 से घटकर 2018 में 899 हो गया।
  - लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है।
- यू.एन.एफ.पी.ए. की विश्व जनसंख्या 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सम्भावित लैंगिक अनुपात 910 है, जो कि अन्य कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
- यह चिंता का कारण है क्योंकि इस प्रतिकूल अनुपात के परिणामस्वरूप न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की संख्या में व्यापक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है बल्कि विवाह प्रणालियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

कुल प्रजनन दर (TFR)

- एस.आर.एस. रिपोर्ट 2018 के अनुसार, पिछले कुछ समय से भारत में कुल प्रजनन दर घटी है। वर्ष 2011 और 2018 की अवधि के दौरान यह दर 2.4% से घटकर 2.2% पर आ गई है।
  - वर्ष 2011 में लगभग 10 राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम थी। वर्ष 2020 में यह स्थिति बढ़कर 14 राज्यों में हो गई।
  - प्रजनन क्षमता में गिरावट जारी रहने की सम्भावना है और यह अनुमान है कि समग्र रूप से भारत में प्रजनन दर जल्द ही 2.1% पर पहुँच जाएगी।
  - टी.एफ.आर. उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है, जो एक महिला द्वारा अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में पैदा किये जाते हैं।
- **प्रतिस्थापन दर** एक ऐसी अवस्था होती है, जब सामान्यत: इसी देश में जितने लोग मरते हैं उनका स्थान भरने के लिये उस देश में उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं।
- कभी-कभी कुछ जगहों/देशों में ऋणात्मक वृद्धि दर भी पाई जाती है अर्थात् उनकी प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से कम रहती है। विश्व में अनेक देशों में ऐसी स्थिति है, जैसे- जापान, रूस, इटली एवं पूर्वी यूरोप।

- दूसरी ओर, कुछ जगहों/देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊँची होती है विशेष रूप से जब वे जनसांख्यिकीय संक्रमण से गुजर रहे होते हैं।
  - अधिकतर देशों में यह दर प्रति महिला लगभग 2.1% बच्चे हैं, हालाँकि यह मृत्यु दर के साथ भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि किसी दशक में प्रतिस्थापन दर 2.11% है तो वहाँ प्रति 100 वृद्ध लोगों के मरने पर 211 बच्चे पैदा होंगे, यदि यह दर शून्य (0) है इसका अर्थ जितने लोगों की मृत्यु हुई है उतने ही बच्चों का जन्म हुआ है।
  - यदि यह ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे कम बच्चों का जन्म हुआ है।
  - ऐसा माना जाता है कि एक बार 'प्रतिस्थापन प्रजनन दर' पर पहुंचने पर कुछ वर्षों में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या कम होने लगेगी।
  - **हालांकि, जनसंख्या आवेग के प्रभाव (Population Momentum Effect)** के कारण ऐसा निकट भविष्य में सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत में 15-49 वर्ष के प्रजनन आयु समूह में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, अत: अभी एक दम से प्रजनन दर का प्रतिस्थापन दर से कम होने की सम्भावना नहीं दिख रही है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 1990 के आसपास केरल, प्रतिस्थापित प्रजनन के स्तर पर पहुँच गया था, लेकिन इसकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2018 में (लगभग 30 वर्ष बाद) भी 0.7% थी।

चुनौतियाँ:

- **संकीर्ण मानसिकता** भारत में अभी भी (सम्भवत: केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़कर) लगभग सभी राज्यों में बेटों को बेटियों पर वरीयता दी जाती है। यह एक प्रकार की संकीर्ण मानसिकता है, जिसे लड़कियों के दहेज से जोड़कर भी देखा जाता है।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग** अल्ट्रासाउंड जैसी सस्ती तकनीकें लिंग चयन में लोगों की मदद करती हैं, जबकि इसके खिलाफ बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं।
- **कानूनों के क्रियान्वयन में विफलता** पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 [The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Señ Selection) Act], जिसमें विभिन्न कड़े और दंडात्मक प्रावधान किये गए हैं, अभी तक अधिक सफल साबित नहीं हुआ है।
  - पी.सी.-पी.एन.डी.टी. को लागू करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण की रिपोर्ट में बहुत सी खामियां पाई गई हैं, यह भी पाया गया कि जिन लोगों के खिलाफ मामले बनते थे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में भी वे असफल ही रहे हैं।
- **निरक्षरता** यह भी देखा गया है कि 15-49 वर्ष की प्रजनन आयु समूह में साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर महिलाओं की प्रजनन क्षमता अधिक है।

सरकार की पहल- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP Scheme)

- जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में तेज़ गिरावट की वजह से इस क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई की माँग बढ़ गई थी।
- सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2015 में पानीपत, हरियाणा में शुरू किया गया था ताकि बाल लिंग-अनुपात में गिरावट दर्ज की जा सके और महिलाओं व बेटियों के सशक्तिकरण की राह आसान की जा सके।
- यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) का एक संयुक्त प्रयास था।

सुझाव

- महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ने से लिंगानुपात में सुधार होने की उम्मीद है।
- महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये चरणबद्ध अभियान, अधिक संख्या में महिला सुरक्षा सेल का निर्माण सुनिश्चित करना, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साइबर अपराध सेल को अधिक मज़बूत करना आदि।
- पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के परिणामस्वरूप पुत्री के ऊपर पुत्र को वरीयता देने जैसी बातों के आलोक में समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये सरकारी कार्यों को विधिक व सामाजिक तरीके से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- कई नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद, भारत में महिलाओं और बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है।
- मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों से सम्बंधित नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, विशेषकर सम्पत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को स्वामित्व, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा। इसके अलावा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करने के लिये न सिर्फ सामाजिक बल्कि सरकारी प्रयास भी बहुत जरूरी हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

एस.आर.एस. रिपोर्ट

एस.आर.एस. देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों के नमूनों के माध्यम से लिंग अनुपात, प्रजनन दर आदि का प्रत्यक्ष अनुमान लगाया जाता है। इसका क्रियान्वयन रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

UNFPA का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
पेन ड्राइव कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

एफ.ए.टी.एफ. की ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान : निहितार्थ तथा प्रभाव 21
आर्मीनिया-अज़रबैजान संघर्ष 22
ग्रीस और तुर्की के मध्य बढ़ता विवाद 25
लीबिया संघर्ष-विराम समझौता 27
न्यू स्टार्ट संधि 28
थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन : लोकतंत्र की मांग 29

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध

5G तकनीक और भारत की कूटनीतिक बाधाएँ 31
समुद्र क्षेत्रीय रणनीति और भारत के लिये इसका निहितार्थ 33
क्वॉड व इसका भविष्य 34
गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान की राजनीति 36
सिंधु जल समझौते के 60 वर्ष : एक नए स्वरूप की आवश्यकता 39
भारत-ताइवान सम्बंध और चीन का रुख 40
भारत-अमेरिका रक्षा समझौता 42
भारत और नाइजीरिया के मध्य समझौता ज्ञापन 44
मालाबार नौ-सेना अभ्यास, 2020 45

गरीबी, स्वास्थ्य एवं कल्याण

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट या असर (ग्रामीण), 2020 46
अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रतिबद्धताओं पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट 47
चाइल्ड केयर लीव 48
जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु उत्कृष्टता केंद्र 48
शून्य भुखमरी का लक्ष्य तथा भारत के प्रयास 49

गवर्नेंस

भारत में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ....51
पूर्वव्यापी कराधान : संशोधन की आवश्यकता....52
स्वामित्व योजना....54
बहुप्रतीक्षित पुलिस सुधार....54

भारतीय राजव्यवस्था

जम्मू व कश्मीर में भूमि कानूनों में संशोधन 57
श्रम संहिता विधेयक....58
मराठा आरक्षण कोटा–आंदोलन व राजनीति....60
महाराष्ट्र वन-अधिकार अधिनियम में संशोधन....63
विरोध प्रदर्शन और लोकव्यवस्था : संतुलन की आवश्यकता....64
चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि 66
असम-मिज़ोरम सीमा-विवाद....67

4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

एफ.ए.टी.एफ. की ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान : निहितार्थ तथा प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) की बैठक में पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एफ.ए.टी.एफ. के अनुसार, पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी कानून की अनुसूची 5 के तहत 7600 आतंकियों की मूल सूची से 4000 से अधिक नाम संदिग्ध रूप से गायब हो गए हैं।
- पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का समर्थन करने वाले प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों की रोकथाम सम्बंधी कार्यवाहियों से संतुष्ट नहीं हैं।

पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने के कारण

- एफ.ए.टी.एफ. द्वारा जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसे वर्ष 2019 के अंत तक धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) तथा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने हेतु कार्ययोजना (एक्शन प्लान) लागू करने के लिये कहा गया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस समय-सीमा को बढ़ा दिया गया था।
- 23 अक्टूबर, 2020 को एफ.ए.टी.एफ. ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया है।
- उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग की जाँच से सम्बंधित 27 में से 6 मानदंडों का पालन करने में असफल रहा है।
- कार्ययोजना की समय-सीमा समाप्त होने के कारण एफ.ए.टी.एफ. ने सख्ती से पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग की रोकथाम हेतु बाकी 6 प्रतिबद्धताओं को फरवरी 2021 तक पूरा करने को कहा है।
- तुर्की ने पाकिस्तान को और अधिक समय दिये जाने का समर्थन किया है।

पाकिस्तान पर प्रभाव

- ग्रे लिस्ट में बने रहने से पाकिस्तान के विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आयात-निर्यात तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (आई.एम.एफ. और ए.डी.बी.) से ऋण प्राप्त करने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है।
- अगर पाकिस्तान ने एफ.ए.टी.एफ. द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निश्चित समय-सीमा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की सम्भावना बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 90% हो गया है। ऐसे में कोई भी देश आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में निवेश नहीं करना चाहता है।

एफ.ए.टी.एफ.

- एफ.ए.टी.एफ. की स्थापना वर्ष 1989 में धन-शोधन, वित्तीय अपराध तथा आतंकी फंडिंग की रोकथाम के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- वर्तमान में एफ.ए.टी.एफ. के 39 सदस्य देश (इसमें दो क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन कमीशन तथा खाड़ी सहयोग संगठन शामिल हैं। ध्यातव्य है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिये पाकिस्तान को 12 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि एफ.ए.टी.एफ. के अंतर्गत मुख्यत: दो सूचियाँ होती हैं– ब्लैक लिस्ट तथा ग्रे लिस्ट।
    - ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों के धन-शोधन और आतंकी फंडिंग की रोकथाम सम्बंधी प्रयास असफल रहते हैं तथा ये वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक रवैया भी नहीं अपनाते हैं। ऐसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी जाती है।
    - जिन देशों के धन-शोधन तथा आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण सम्बंधी उपायों को अपर्याप्त माना जाता है, उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। हालाँकि, ऐसे देश एफ.ए.टी.एफ. के साथ समन्वय बनाए रखते हैं।
- वर्तमान में ग्रे लिस्ट में 18 देश तथा ब्लैक लिस्ट में दो देश (ईरान और उत्तर कोरिया) हैं। ध्यातव्य है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिये किसी भी देश को 12 मतों या सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

एफ.ए.टी.एफ. से सम्बंधित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पाकिस्तान ने एफ.ए.टी.एफ. की लिस्ट से बाहर आने के लिये अमेरिका की प्रमुख लॉबिस्ट फर्म (किसी भी विषय या मुद्दे पर राजनीतिक सहयोग के माध्यम से समर्थन करने वाली संस्थाएँ) कैपिटल हिल कंसल्टिंग ग्रुप की सेवाएँ ली हैं।
- वर्तमान में एफ.ए.टी.एफ. के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर हैं।
- काले धन को सफेद या वैधानिक बनाए जाने की प्रक्रिया धन-शोधन कहलाती है।
- एफ.ए.टी.एफ.से जुड़ी एजेंसी एशिया पैसिफिक ग्रुप (ए.पी.जी.) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में धन-शोधन और आतंकी फंडिंग पर नज़र रखती है। ए.पी.जी. की तरह ही यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में एफ.ए.टी.एफ. से जुड़ी संस्थाएँ हैं।

आर्मीनिया-अज़रबैजान संघर्ष

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच पुन: हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है।
- विगत् चार दशकों से भी ज़्यादा समय से मध्य एशिया में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास अत्यधिक प्रभावित हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि ईसाई बहुल आर्मीनिया और मुस्लिम बहुल अज़रबैजान ट्रांसकॉकेशिया या दक्षिण कॉकेशिया (जॉर्जिया और आर्मीनिया के पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर दक्षिणी कॉकेशस पर्वत के आसपास का क्षेत्र) का हिस्सा हैं।

प्रमुख बिंदु

विवाद के कारण

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में लगभग 95% आर्मीनियाई आबादी है और यह क्षेत्र उन्हीं के द्वारा नियंत्रित भी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अज़रबैजान के प्रशासनिक और आधिकारिक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- दोनों देशों के नेताओं ने अपने निहित राजनीतिक हितों के लिये बार-बार इस मुद्दे को हवा दी है।

विवाद का इतिहास :

- **वर्ष 1920 :** तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अज़रबैजान के भीतर आर्मीनियाई बहुल नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना की गई, लेकिन सोवियत शासन की वजह से उस समय संघर्ष की नौबत नहीं आई।
- **वर्ष 1988:** सोवियत शासन के कमज़ोर होने के साथ ही नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र की विधायिका ने आर्मीनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया।
- वर्ष 1991 में जनमत-संग्रह के माध्यम से नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र की विधायिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अज़रबैजान ने कभी भी इस फैसले को नहीं माना और तब से दोनों देशों के बीच अनवरत हिंसक झड़प शुरू हो गई और यह समय के साथ बढ़ती गई।
- वर्ष 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद संघर्ष-विराम पर सहमति बनने के बावजूद संघर्ष जारी रहा।
- दोनों देशों के मध्य वर्ष 2016 में हिंसक संघर्ष बहुत तेज़ हो गया था जिसे चार दिवसीय युद्ध (Four-Day War) के रूप में भी जाना जाता है।
- अज़रबैजान और आर्मीनियाई सैनिकों के बीच रुक-रुक कर हुए संघर्ष-विराम उल्लंघन की वजह से पिछले एक दशक में सैकड़ों मौतें हुई हैं।

प्रभाव :

- **अस्थिर क्षेत्र :** क्षेत्र में उत्पन्न तनाव व दोनों देशों के मध्य सैन्य संघर्ष दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र को पुन: अस्थिर कर सकता है, इसके प्रभाव और अधिक हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रकोप व्यापक स्तर पर है।

- **जानमाल का नुकसान:** इस विवादित क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक बस्तियाँ हैं। युद्ध छिड़ने की स्थिति में यहाँ के निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और सम्भवत: विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न हो जाए।
- **आर्थिक प्रभाव:** दोनों देशों के बीच का यह तनाव क्षेत्र से होने वाले तेल और गैस के निर्यात को भी बाधित कर सकता है क्योंकि अज़रबैजान, यूरोप और मध्य एशिया के लिये एक महत्त्वपूर्ण तेल एवं निर्यातक देश है। परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:** रूस के आर्मीनिया के साथ घनिष्ठ सम्बंध हैं, जबकि तुर्की और अमेरिका अज़रबैजान का समर्थन करते हैं। ईरान में भी एक बड़ी अजेरी अल्पसंख्यक आबादी रहती है, जो संकट को और बढ़ा व उलझा सकती है। किसी भी प्रकार की सैन्य चहलकदमी इस क्षेत्र में तुर्की व रूस जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को संघर्ष में शामिल होने के लिये प्रेरित कर सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस क्षेत्र में हथियारों के व्यापार पर रोक लगाए जाने के बावजूद रूस, इज़राइल और कई अन्य देश इन दोनों देशों को लगातार शस्त्रों की आपूर्ति कर रहे हैं।

भारत पर प्रभाव

- **भारत-आर्मीनिया:** हाल के वर्षों में, भारतीय-आर्मेनियाई द्विपक्षीय सहयोग में तेज़ी देखी गई है।
- वर्ष 2017 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने येरेवन (आर्मीनिया) का दौरा किया था।
- आर्मीनिया ने मार्च 2020 में भारत से SWATHI सैन्य रडार प्रणाली खरीदी थी।
- कई भारतीय छात्र आर्मीनियाई चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और हाल के वर्षों में आर्मीनिया में भारतीय श्रम प्रवासियों का अधिक प्रवाह देखा गया है।
- आर्मीनिया के लिये भारत के साथ घनिष्ठ सम्बंध इसलिये भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत अज़रबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के रणनीतिक अक्ष के खिलाफ आर्मीनिया को एक संतुलन प्रदान कराता है।
- **भारत-अज़रबैजान:** भारत वस्तुत: मध्य एशिया, रूस एवं यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिये जहाज़, रेल और सड़क मार्ग के एक बहुविध नेटवर्क 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का हिस्सा है।
- अज़रबैजान, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का एक वार्ता भागीदार है, जिसका एक सदस्य भारत भी है।
- वर्ष 2018 में, तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने बाकू (अज़रबैजान) का दौरा किया था, जो कि अज़रबैजान में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।
- भारत का ओ.एन.जी.सी., विदेश अजेरी-चिराग-गुनाश्ली (Azeri-Chirag-Gunashli – ACG) तेल क्षेत्रों और बाकू-तब्लीसी-सेहान (Baku-Tbilisi-Ceyhan) पाइपलाइन में एक निवेशक भी है।
- यद्यपि अज़रबैजान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन करता है।

पाकिस्तान का पक्ष

भारत ने आर्मीनिया का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान ने अज़रबैजान का समर्थन किया है। तुर्की के बाद अज़रबैजान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पाकिस्तान दूसरा देश था। इसके अलावा, पाकिस्तान एकमात्र देश है जो आर्मीनिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, जबकि अज़रबैजान की स्थिति का पूरा समर्थन करता है।

चीन की भूमिका

- विगत वर्षों में चीन कॉकेशियस क्षेत्र में तेज़ी से सक्रिय हुआ है एवं यहाँ कई कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है और आर्मीनिया के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है। आर्मीनिया ने भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लेने के लिये अपनी सहमती प्रदान की है।

- हालाँकि, चीन आर्मीनिया के प्रतिद्वंद्वी अज़रबैजान का सहयोगी भी है और पाकिस्तान द्वारा अज़रबैजान के समर्थन किये जाने से भी आर्मीनिया अवगत है।

आगे की राह

- दोनों देशों के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों तथा आस-पास के देशों को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये और किसी भावी गतिरोध को रोकने के लिये वार्ता का अनुसरण करना चाहिये।
- दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र में पाकिस्तान-चीन-तुर्की का बढ़ता प्रभाव भारत के लिये चिंता का विषय है। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत दोनों देशों के साथ अपने सम्बंधों को मज़बूत करने के प्रयास को बरकरार रखते हुए अपने गुटनिरपेक्ष रुख को जारी रखे और क्षेत्र में शांति का आह्वान करे।

ग्रीस और तुर्की के मध्य बढ़ता विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ग्रीस ने प्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर सीमा पार करने की गतिविधियों को रोकने के लिये तुर्की के साथ अपनी सीमा पर दीवार के विस्तार का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

ग्रीस द्वारा दीवार के विस्तार का यह निर्णय यूरोपीय संघ के सदस्य देश ग्रीस तथा तुर्की के मध्य बिगड़ते सम्बंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ध्यातव्य है कि तुर्की यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिये प्रयासरत है। हागिया सोफिया विवाद, पूर्वी भू-मध्य सागर विवाद के साथ-साथ तुर्की द्वारा प्रवासियों को यूरोप में प्रवेश करने से रोकने से मना करने के बाद तनाव में और अधिक वृद्धि हो गई है।

ग्रीस-तुर्की प्रवासी विवाद

- वर्ष 2011 में सीरियाई युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद बड़ी संख्या में विस्थापित सीरियाई निवासियों ने तुर्की में शरण की मांग की थी। आँकड़ों के अनुसार, तुर्की लगभग 37 लाख सीरियाई शरणार्थियों को आश्रय दे रहा है। उनकी उपस्थिति के चलते तुर्की में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्या महसूस की जा रही है।
- वर्ष 2015 में शरणार्थी संकट अपने चरम पर पहुँच गया और जल मार्गों का उपयोग करके यूरोप पहुँचने के प्रयास में हज़ारों शरणार्थियों की मृत्यु हो गई। साथ ही बड़ी संख्या में शरणार्थी ग्रीस और इटली पहुँचे।
- तुर्की वर्ष 2016 में शरणार्थियों को यूरोपीय संघ के देशों में प्रवेश करने से रोकने पर सहमत हुआ, जिसके बदले में यूरोपीय संघ ने तुर्की को उसके देश में शरणार्थियों के प्रबंधन हेतु आर्थिक सहायता का वादा किया।
- हालाँकि, इस वर्ष फरवरी में तुर्की ने वर्ष 2016 के समझौते के विपरीत प्रवासियों के लिये ग्रीस के साथ लगी सीमा को खोल दिया। इसके बाद, मार्च में, हज़ारों प्रवासियों ने ग्रीस और बुल्गारिया के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करने की मांग की।
- यह कदम सीरियाई गृह युद्ध में (इदलिब प्रांत) तुर्की द्वारा समर्थन प्राप्त करने और यूरोपीय संघ को भयादोहन (Blackmail) करने की कोशिश में यूरोप पर दबाव बनाने का एक स्पष्ट प्रयास था। उल्लेखनीय है कि सीरिया, तुर्की के दक्षिण में स्थित है।
- इसी संदर्भ में ग्रीक ने अप्रैल 2021 के अंत तक तुर्की के साथ पहले से मौजूद 10 किमी. लम्बी दीवार को अतिरिक्त 26 कि.मी. तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ऐतिहासिक सम्बंध

- सदियों से, तुर्की और ग्रीस ने विविध प्रकार से परस्पर इतिहास को साझा किया है। वर्ष 1830 के आस-पास ग्रीस ने आधुनिक तुर्की के पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
- वर्ष 1923 में दोनों देशों ने अपनी मुस्लिम और ईसाई आबादी का आदान-प्रदान किया था। यह प्रवसन भारत विभाजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवसन माना जाता है।
- साइप्रस संघर्ष के दशकों पुराने मुद्दे पर भी दोनों देश एक-दूसरे का विरोध करते रहे हैं। पूर्व में भी दोनों देश एजियन सागर में अन्वेषण अधिकारों को लेकर लगभग युद्ध की स्थिति में पहुँच गए थे।
- हालाँकि, दोनों देश 30 सदस्यीय नाटो गठबंधन के सदस्य हैं। साथ ही तुर्की आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के लिये भी एक उम्मीदवार है। ध्यातव्य है कि ग्रीस यूरोपीय संघ का पहले से ही एक सदस्य है।

पूर्वी भू-मध्य सागर विवाद

- पिछले 40 वर्षों से तुर्की और ग्रीस पूर्वी भू-मध्य और एजियन सागर के क्षेत्रों पर अधिकार और दावे को लेकर असहमत हैं। ये क्षेत्र तेल और गैस के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं।
- तुर्की द्वारा विवादित हिस्से में ड्रिलिंग की कोशिश के बाद तनाव और बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, तुर्की ने ग्रीस के एक द्वीप में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया है।
- ग्रीस संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, जबकि तुर्की इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ग्रीस का मानना है कि पूर्वी भूमध्य सागर में महाद्वीपीय शेल्फ (जलसीमा/जलमग्न सीमा) की गणना उसके द्वीपीय क्षेत्रों पर विचार करते हुए की जानी चाहिये।

हागिया सोफिया विवाद (The Hagia Sophia Row)

- तुर्की द्वारा जुलाई में सदियों पुराने और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील करने के निर्णय से भी दोनों देशों के मध्य विवाद बढ़ गया है।
- सदियों पुरानी हागिया सोफिया इमारत का निर्माण मूल रूप से एक कैथेड्रल चर्च के रूप में बाइज़ेन्टाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टीनियन प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ था। यह स्थल उस्मान वास्तुशिल्प का विशिष्ट उदाहरण है।
- 1935 ई. में मुस्तफा कमाल अतातुर्क (पाशा) द्वारा धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि के रूप में इसे एक संग्रहालय बना दिया गया। इस इमारत को परम्परावादी (Orthodox) ईसाईयत के प्रमुख स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ऊर्जा संसाधन

- हाल के वर्षों में, साइप्रस के जलीय क्षेत्र में गैस का विशाल भंडार पाया गया है। इसने साइप्रस सरकार, ग्रीस, इजरायल और मिस्र को संसाधनों के अधिकतम दोहन हेतु मिलकर काम करने के लिये प्रेरित किया है। इसके तहत, भू-मध्य सागर में लगभग 2,000 किमी. पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति यूरोप को की जाएगी।
- पूर्वी भू-मध्य सागर में ऊर्जा संसाधन विकसित करने की दौड़ में तुर्की और ग्रीस आमने-सामने हैं।
- तुर्की के नियंत्रण वाले उत्तरी साइप्रस को केवल तुर्की द्वारा ही एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पिछले वर्ष, इसी क्षेत्र में तुर्की ने साइप्रस के पश्चिम में ड्रिलिंग के कार्य को आगे बढ़ाया।
- नवम्बर 2019 में, तुर्की और लीबिया के मध्य तुर्की के दक्षिणी तट से लीबिया के उत्तर-पूर्वी तट तक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) के लिये समझौता हुआ है। मिस्र ने इसे अवैध कहा है। साथ ही, ग्रीस ने भी क्रीट द्वीप के सम्बंध में इसका विरोध किया है।

कानूनी और जलीय क्षेत्र के मुद्दे

- एजियन और पूर्वी भू-मध्य सागर में ग्रीस के कई द्वीप तुर्की तट के भीतर हैं, इसलिये क्षेत्रीय जल के मुद्दे काफी जटिल हैं और दोनों देश अतीत में युद्ध के कगार पर पहुँच चुके हैं।
- क्षेत्रीय जल के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) से सम्बंधित मुद्दे भी विवाद का विषय रहे हैं।
- साथ ही ग्रीस ने यूरोपीय संघ से तुर्की के साथ 'कस्टम यूनियन समझौते' को निलम्बित करने पर विचार करने को कहा है। यह समझौता वर्ष 1996 से लागू है।
- इसके अतिरिक्त, ग्रीस ने जर्मनी सहित यूरोपीय संघ के तीन सहयोगियों को तुर्की को हथियारों के निर्यात को रोकने के लिये कहा है।

निष्कर्ष

- नाटो संगठन के दो सहयोगी देशों– तुर्की और ग्रीस (यूनान) के मध्य तनाव अधिक गहरा होता जा रहा है। वर्तमान में विवाद का प्रमुख कारण हागिया सोफिया इमारत और शरणार्थी समस्या के साथ-साथ पूर्वी भू-मध्य सागरीय क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में तेज़ी लाना है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- वर्ष 1830 के आस-पास ग्रीस आधुनिक तुर्की के पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था और वर्ष 1923 में दोनों देशों ने अपनी मुस्लिम और ईसाई आबादी का आदान-प्रदान किया था।
- ग्रीस और तुर्की सहित नाटो गठबंधन में 30 सदस्य देश शामिल हैं।
- ग्रीस संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जबकि तुर्की इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- तुर्की ने जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील करने का निर्णय लिया है।
- हागिया सोफिया इमारत का निर्माण मूल रूप से एक कैथेड्रल चर्च के रूप में बाइज़ेन्टाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टीनियन प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ था। यह स्थल उस्मान वास्तुशिल्प का विशिष्ट उदाहरण है।
- ग्रीस ने यूरोपीय संघ से तुर्की के साथ 'कस्टम यूनियन समझौते' को निलम्बित करने पर विचार करने को कहा है। यह समझौता वर्ष 1996 से लागू है।

लीबिया संघर्ष-विराम समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लीबिया में प्रतिद्वंद्वी दलों ने ऐतिहासिक संघर्ष-विराम की घोषणा की। यह घोषणा जिनेवा में '5+5 लीबिया संयुक्त सैन्य आयोग' (JMC) की पाँच दिनों की वार्ता के बाद की गई है।

लीबिया की वर्तमान स्थिति

- मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल किये जाने के बाद से उत्तर अफ्रीकी राष्ट्र लीबिया लम्बे समय से कई गुटों के बीच सत्ता के संघर्ष में उलझा हुआ है। मुअम्मर गद्दाफी को नाटो समर्थित बलों द्वारा सत्ता से बेदखल करने के बाद अक्तूबर 2011 में मार दिया गया।
- गद्दाफी के बाद शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये विभिन्न सरदारों के नेतृत्व में संघर्ष प्रारम्भ हो गया। युद्धरत गुटों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों में तेल अवसंरचना, प्रशासन, राष्ट्रीय वित्त और सैन्य नियंत्रण शामिल हैं।

लीबिया संघर्ष और अन्य देश

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का नेतृत्व फयाज अल-सर्राज द्वारा किया जा रहा है। इस सरकार को 'राष्ट्रीय समझौता सरकार' (Government of National Accord : GNA) कहा जाता है, जिसे सहयोगी देशों (कतर और तुर्की) का समर्थन प्राप्त है।
- लीबिया के पूर्वी भाग को 'लीबियन राष्ट्रीय सेना' (LNA) के अधीन विद्रोही सशस्त्र बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो रूसी सैन्य गुटों द्वारा समर्थित हैं। वर्ष 2014 से 2019 के बीच LNA ने पूर्व में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया था।
- इस्लामिक स्टेट के प्रसार ने स्थिति को और जटिल बना दिया है तथा यह अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप का एक कारण भी है।

लीबिया में गृह युद्ध का प्रभाव

- विदेशी सम्बंध परिषद के 'ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर' के अनुसार, लीबिया में गृह युद्ध से 50,000 से अधिक शरणार्थी तथा 268,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
- कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सी.आर.एस.) की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2019 के बाद से सैकड़ों असैनिकों सहित 2,600 से अधिक लीबियाइ मारे गए हैं।

नया संघर्ष-विराम समझौता

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित इस नए समझौते के अनुसार, सभी विदेशी लड़ाकुओं, सैनिकों और सशस्त्र बलों को अगले 90 दिनों के भीतर लीबिया से निकलना होगा। इस समझौते में शामिल दलों ने यह भी सहमति व्यक्त की है कि संघर्ष-विराम के किसी भी उल्लंघन को एक एकीकृत कमान के तहत संयुक्त सैन्य बल द्वारा निपटाया जाएगा।
- हालाँकि, यह संघर्ष-विराम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों पर लागू नहीं होता है।
- समझौते द्वारा एक 'संयुक्त पुलिस संचालन कक्ष' भी स्थापित किया गया है, जो सैन्य इकाइयों और सशस्त्र समूहों से मुक्त होने वाले क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिये विशेष व्यवस्था को प्रस्तावित और लागू करेगा।
- इसके अलावा, '5+5' ने विभिन्न क्षेत्रों और लीबिया के शहरों को जोड़ने के लिये भूमि और वायु मार्गों को खोलने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- गौरतलब है कि लीबिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार वाला देश है। तेल उत्पादन के सम्बंध में विभिन्न दलों की सहमति के अनुसार पूर्व और पश्चिम के पेट्रोलियम सुविधाओं के कमांडर, नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि के साथ सीधे कार्य करेंगे।
- यह एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि तेल अवसंरचना का नियंत्रण GNA और LNA के बीच प्रतिस्पर्धा का मूल कारण है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के विशेष कार्यवाहक दूत स्टेफनी विलियम्स ने कहा कि इस समझौते के महत्त्व को लीबिया की भावी पीढ़ियों द्वारा पहचाना जाएगा। यह महत्त्वपूर्ण और साहसी कदम लम्बे समय से चले आ रहे लीबिया संकट के व्यापक समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।

न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, रूस के राष्ट्रपति ने रूस और अमेरिका के मध्य अंतिम परमाणु हथियार कटौती समझौते 'जिसे न्यू स्टार्ट संधि' के नाम से जाना जाता है, को बिना किसी पूर्व शर्त के एक वर्ष के लिये विस्तारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

न्यू स्टार्ट संधि के प्रावधान

- 'सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' (Strategic Arms Reduction Treaty– START) अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, जिसे 'न्यू स्टार्ट संधि' (New START Treaty) के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2010 में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसे फरवरी 2011 में लागू किया गया था।
- न्यू स्टार्ट संधि ने दिसम्बर 2002 में समाप्त होने वाली मॉस्को की संधि (SORT) का स्थान लिया है। यह संधि शीतयुद्ध (वर्ष 1991) के अंत में प्रारम्भ हुई स्टार्ट संधि-I (START Treaty-I) की अनुवर्ती है, जो दिसम्बर 2009 में समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात स्टार्ट-अप संधि का प्रस्ताव आया, जिसे कभी लागू नहीं किया जा सका।
- इस संधि की अवधि दस वर्ष है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से पाँच साल के लिये नवीनीकृत करने का विकल्प शामिल है। यदि इसे पाँच वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित नहीं किया जाता है तो यह वर्ष 2021 में समाप्त हो जाएगी। इसके तहत सामरिक परमाणु मिसाइल लॉन्चर की संख्या को आधा किया जाएगा।
- एस.ओ.आर.टी.प्रणाली (मॉस्को संधि) के स्थान पर नया निरीक्षण और सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत तैनात किये गये सामरिक परमाणु वारहेड की संख्या 1550 तथा तैनात और गैर-तैनात अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) लॉन्चर्स, पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) लॉन्चर, परमाणु आयुध से लैस भारी बमबर्षक यानों की संख्या 800 तक सीमित की जाएगी।

थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन : लोकतंत्र की मांग

चर्चा में क्यों?

- थाईलैंड में लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा वहाँ के राजा तथा उनके परिवार का विरोध किये जाने के कारण राजा द्वारा आपातकाल लागू करते हुए मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1932 की सियामी क्रांति (Siamese Revolution) के समय राजशाही की निरपेक्ष शक्ति (Absolute Power) समाप्त हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी संवैधानिक राजतंत्र के तहत समाज में राजा की स्थिति भगवान जैसी (God Like Status) ही रही और सरकार में उसका प्रभाव असाधारण बना रहा।
- वर्ष 2014 में प्रयुत चान ओचा द्वारा तत्कालीन सरकार का तख्तापलट कर सत्ता में आने के साथ ही जनता के अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिये गए थे।
- तख्तापलट के दौरान विरोध कर रहे कार्यकर्त्ता या तो देश छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए या लापता हो गए।
- वर्ष 2016 में सेना द्वारा समर्थित संविधान को लागू किया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री की चुनाव प्रक्रिया में सेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2019 में विवादित चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रयुत्त (वर्तमान प्रधानमंत्री) की पार्टी को ही जीत मिली थी।
- फरवरी 2020 में लोकतंत्र समर्थक फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी (संसदीय चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी) को थाईलैंड की शीर्ष अदालत ने बर्खास्त कर दिया, जिसने विरोध प्रदर्शनों को तीव्र गति प्रदान की। हालाँकि, कोरोना महामारी के कारण ये प्रदर्शन कमज़ोर पड़ गए थे फिर भी वर्तमान में इनमें तेज़ी आई है।

क्या हैं मांगें?

प्रदर्शनकारियों की 10 मांगे हैं। इनमें थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा का इस्तीफा, थाईलैंड के लिये नया लिखित संविधान (जिसमें राजतंत्र की शक्तियों तथा सम्पत्तियों को सीमित किया जाना चाहिये), राष्ट्रीय बजट में शाही घराने के खर्च के हिस्से में कटौती, निष्पक्ष चुनाव, असंतुष्ट वर्ग और विपक्षी दलों पर होने

वाले हमलों पर रोक तथा राजा पर अपने राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक को हटाने (वर्तमान में थाईलैंड के राजा की आलोचना पर 15 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है) जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

अन्य मुख्य बिंदु

- आपातकाल के बावजूद भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा तथा कुछ सरकारी सम्पत्तियों को भी क्षति पहुँचाई। साथ ही कोविड विरोधी उपायों का भी उल्लंघन किया गया है।
- प्रदर्शनों में शामिल कई नेताओं को सुरक्षात्मक उपायों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

थाईलैंड की वर्तमान शासन स्थिति

- थाईलैंड में शासन प्रणाली का स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र लेकिन वंशवाद पर आधारित है तथा वर्ष 2016 से वाजिरलांगकोर्न (अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् से) वहाँ के राजा हैं।
- ध्यातव्य है कि क्राउन की सम्पत्ति को राजा द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति घोषित किये जाने के साथ ही सेना की दो रेजिमेंट को भी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में लाया गया है।
- **थ्री फिंगर सैल्यूट :** यह थाईलैंड में लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा राजतंत्र के विरोध का एक रोचक तरीका है। इसमें विरोध के प्रतीक के रूप में तीन उँगलियों को ऊपर उठाकर सैल्यूट किया जाता है। विरोध प्रदर्शन का यह तरीका या सैल्यूट हॉलीवुड फिल्म 'हंगर गेम्स' (एक किताब पर आधारित) से प्रेरित है।

वर्तमान प्रदर्शन का प्रभाव

- थाईलैंड में वर्तमान आंदोलन का नेतृत्व बड़े पैमाने पर स्कूल और कॉलेज के छात्र कर रहे हैं। पहले राजशाही (राजा तथा उसका परिवार) के काफिले के सामने से गुज़रने पर या सामने आने पर आम जनता को ज़मीन पर घुटने टेकने होते थे। वर्तमान में शाही काफिले को थ्री फिंगर सैल्यूट दिखाया जाना एक बड़ा बदलाव है।

निष्कर्ष

सैनिक शासकों के संरक्षण में रुढ़िवादी और स्वार्थी ताकतों के विरुद्ध उठी यह आवाज़ वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक उम्मीद की किरण है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- थाईलैंड का प्राचीन नाम श्यामदेश या स्याम है, यह दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।
- दंड संहिता की धारा 112 के तहत थाईलैंड में राजतंत्र को संरक्षित किया गया है। इसके अनुसार, राजा, रानी, उत्तराधिकारी या रीजेंट की आलोचना करने पर 15 वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान है। इस कानून को 'लेज मेजेस्टी कानून' का नाम दिया गया है।

5 अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध

5G तकनीक और भारत की कूटनीतिक बाधाएँ

संदर्भ

5G मोबाइल नेटवर्क की पाँचवीं पीढ़ी (Fifth Generation) है, जिसमें 4G की तुलना में कई गुना अधिक स्पीड प्राप्त होगी। इस नेटवर्क से कुछ ही सेकंडों में एच.डी. तथा उच्च स्तरीय डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। गुरुग्राम (भारत) में वर्ष 2018 में चीनी कम्पनी हुआवेई द्वारा 5G का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के दौरान कई क्षेत्रों में कार्य करने की ज़रूरत महसूस की गई, जैसे– 5G के लिये अधिक बेंडविड्थ की आवश्यकता, भारत में 4G की स्पीड निर्धारित मानकों से कम तथा अन्य प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना का अभाव आदि।

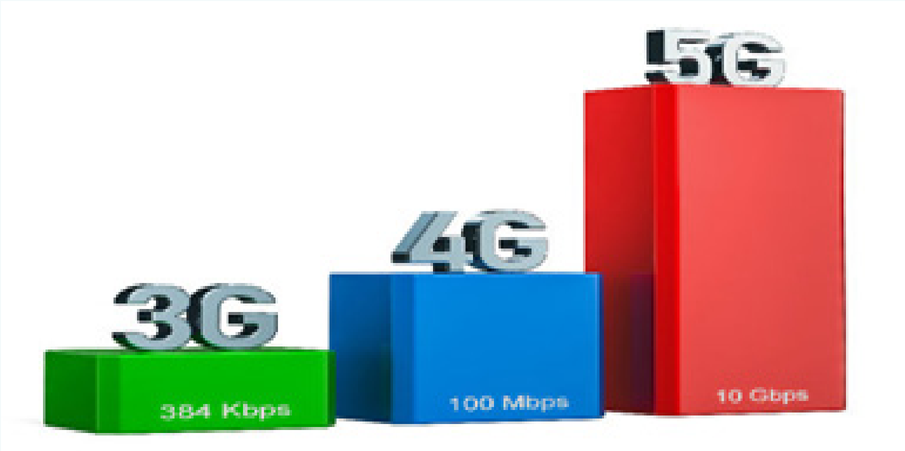

5G तकनीक का महत्त्व

- 5G तकनीक भारत के ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जिससे नागरिक केंद्रित सेवाओं की उपलब्धता सुगम हो जाएगी।
- भारत में अभी भी साइबर, डाटा और सर्वर की सुरक्षा हेतु मज़बूत कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया का अभाव है, जिसके लिये तकनीकी अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता है।
- वर्तमान में भारत की कई टेलिकॉम कम्पनियाँ वैश्विक स्तरीय सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं लेकिन 5G तकनीक को लेकर भारत का निर्णय इन कम्पनियों का भविष्य निर्धारित करेगा।

भारत की कूटनीतिक बाधाएँ

- 5G नेटवर्क वायरलेस तकनीक में एक नवाचार है। 5G क्षेत्र में चीन की टेलिकॉम कम्पनी हुआवेई का आधिपत्य है। वर्तमान में यह 5G की सबसे बड़ी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता कम्पनी है। कम्पनी के सम्बंध में भारत की निम्नलिखित चिंताएँ हैं–
    - चीन की सरकार के साथ कम्पनी के अस्पष्ट मालिकाना सम्बंध।
    - कम्पनी के उपकरणों द्वारा जासूसी और निगरानी करना।
    - अन्य कानून उल्लंघन सम्बंधी मामले।

- चीन का पक्ष है कि अगर चीनी कम्पनियों पर पाबंदी लगाई जाती है तो वह जवाबी कार्यवाही के रूप में आर्थिक प्रतिबंध का रास्ता अपना सकता है। इसलिये भारत को 5G तकनीक और इससे सम्बंधित उपकरण हासिल करने हेतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- चीन तथा अमेरिका के मध्य बढ़ता व्यापार और प्रौद्योगिकी युद्ध भारत के लिये भी एक सामरिक चिंता का विषय है।
- मामल्लपुरम वार्ता से चीन तथा भारत के सम्बंधों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला था लेकिन चीन द्वारा कोविड-19 वायरस को छिपाए जाने से भारत सहित पूरे विश्व का चीन के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है।
- गलवान घाटी संघर्ष के कारण भी दोनों देशों के सम्बंध तनावपूर्ण हुए हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत 90% से भी अधिक टेलिकॉम उपकरणों का आयात करता है जो कि भारत की आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। अत: भारत को टेलिकॉम उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता तथा आयात प्रतिस्थापन की नीति पर तीव्रता से कार्य करना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2013 के एडवर्ड स्नोडेन मामले (इंटरनेट तथा इंटरनेट उपकरणों के जरिये व्यापक निगरानी कार्यक्रम) में कई देशों की संस्थाओं तथा नागरिकों की व्यक्तिगत तथा पेशेवर जानकारी को हासिल किया गया था।
- अगर भारत 5G तकनीक की आपूर्ति हेतु चीनी कम्पनी को प्रवेश देता है तो भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत चीनी कम्पनी को प्रतिबंधित करता है तो आधुनिक तकनीक तथा विकास प्रक्रिया में पिछड़ने के साथ ही पड़ोसी सम्बंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत को अपने राष्ट्रीय तथा सामरिक हितों के अनुसार ही अपना पक्ष निर्धारित करना होगा, क्योंकि एक विकासशील देश होने के कारण हमारे पास 5G जैसी आधुनिक और महँगी तकनीक अपनाने के लिये सीमित संसाधन हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

वैश्विक दूरसंचार उद्योग संघ (जी.एस.एम.ए.) के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक लगभग 7 करोड़ 5G कनेक्शन होंगे।

जी.एस.एम.ए.–

यह एक उद्योग संगठन है जो मोबाइल नेटवर्क संचालकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर जी.एस.एम.ए. के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय लंदन (ब्रिटेन) में स्थित है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.)–

यह भारत में मोबाइल सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उपकरणों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा अन्य प्रौद्योगिकी कम्पनियों का एक उद्योग संघ है। इसका गठन वर्ष 1995 में एक गैर-सरकारी सोसाइटी के रूप में किया गया था।

समुद्र क्षेत्रीय रणनीति और भारत के लिये इसका निहितार्थ

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ज़िम्मेदार देश के रूप में परम्परागत रूप से 'युद्ध और शांति' के लिये महाद्वीपीय दृष्टिकोण और रणनीति पर अधिक ध्यान दिया है। हालाँकि, वर्तमान में भारत की महाद्वीपीय रणनीति अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है।

महाद्वीपीय रणनीति की स्थिति

- भारत की महाद्वीपीय रणनीतियों की वर्तमान स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। चीन न तो मौजूदा सीमा गतिरोध को समाप्त करने का इच्छुक है और न ही भारत के साथ मार्च 2020 जैसी यथास्थिति बहाल करने पर विचार कर रहा है।
- पूर्वोत्तर में भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की सम्भावना अब बहुत कम है। इस समय चीन ने अक्साई-चिन पर भारत के दावों को कमज़ोर करने का प्रयास किया है, दूसरी ओर भारत चीन के प्रादेशिक क्षेत्रीय दावों तथा उसके धीमे परंतु आक्रामक क्रियान्वयन का प्रतिवाद करने में ही लगा हुआ है।
- उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान सीमा पर भी गतिरोध में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की स्थिति में बदलाव तथा पाकिस्तान द्वारा सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर को शामिल करते हुए कुछ महीने पूर्व जारी राजनीतिक मानचित्र से कश्मीर पर भारत-पाकिस्तान विवाद और उग्र हो गया है।
- पाकिस्तान व चीन के बीच भू-राजनीतिक गठजोड़ भारत को रोकने एवं उस पर दबाव बनाने की रणनीति है, जो दोनों पक्षों के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, यह गठजोड़ कोई नई घटना नहीं है परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भारत के लिये चिंताजनक विषय है।

अफगानिस्तान में बदलाव

- अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव में कमी आएगी।
- साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, जिसके साथ भारत का सम्पर्क बहुत सीमित है, भारत के विरुद्ध भू-राजनीति का रुख मोड़ सकता है, जो 1990 के दशक की शुरुआती स्थिति के समान है।
- हालाँकि, 1990 के दशक के विपरीत अफगानिस्तान में स्थितियाँ काफी बदल गई हैं और अब तालिबान बहिष्कृत नहीं रहा है, अर्थात् वार्ताओं में वह भी अब एक महत्त्वपूर्ण पक्षकार बन गया है।
- साथ ही नाटो की वापसी के साथ पाकिस्तान, चीन और रूस के भू-राजनीतिक हित मोटे तौर पर इस क्षेत्र में व्यापक रूप से एकाग्र होंगे। अफगानिस्तान में भू-राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन और ईरान-भारत सम्बंधों में कुछ ठहराव भारत के मिशन सेंट्रल एशिया को और अधिक प्रभावित करेगा।

रणनीति में बदलाव की आवश्यकता

- भारत को पहले पाकिस्तान के मोर्चे पर निपटने की आवश्यकता है, ताकि पाकिस्तान की ओर से दबाव को कम किया जा सके।
- पाकिस्तान के मोर्चे पर निपटने के लिये नियंत्रण रेखा पर सामान्य स्थिति बनाने हेतु सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) हॉटलाइन जैसे मौजूदा तंत्रों को सक्रिय करना भी एक तरीका हो सकता है।
- भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद महाद्वीपीय क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया परंतु सुरक्षित सीमाओं, पड़ोसियों के साथ मज़बूत सम्बंध या स्थाई निरोध के संदर्भ में अभी तक कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो सका है।
- ऐसी स्थिति में भारत को अपने विस्तृत सामरिक दृष्टिकोण (Grand Strategic Approach) में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसके लिये भारत को अपना समग्र ध्यान महाद्वीपीय क्षेत्र से समुद्री क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करना चाहिये।

समुद्री रणनीति

- भारत ने अप्रैल 2019 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र से सम्बंधित मुद्दों के लिये विदेश मंत्रालय (MEA) में एक नया प्रभाग स्थापित करने के साथ इस दिशा में विचार करना शुरू कर दिया है।
- इस दिशा में वैचारिक और व्यावहारिक दोनों ही स्तरों पर उभरती हुई वास्तविकताओं के साथ तालमेल रखने और नए अवसरों का उपयोग करने के लिये तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता है।
- समुद्री क्षेत्रीय रणनीति में भारत के लिये नए गठबंधनों का निर्माण करने, नियमों को स्थापित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों को प्रारम्भ करने के लिये समुद्री क्षेत्र खुला हुआ है।
- भारत, 'हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक' कल्पना के केंद्र में स्थित है, क्योंकि हिंद महासागर का समुद्री क्षेत्र अफ्रीका के तट तक फैला हुआ है।
- पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमाओं में यूरो-अमेरिकी रुचि लगभग न के बराबर है और महाद्वीपीय व सीमाई विवाद में कोई देश भारत के लिये अधिक सहायता नहीं कर सकता है।
- समुद्री क्षेत्र में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। महान शक्तियाँ समुद्री क्षेत्र में अधिक रुचि रखती हैं और हिंद-प्रशांत अवधारणा के बाद इसमें काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये फ्रांस की तरह जर्मनी ने भी अपने हिंद-प्रशांत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

लाभ

- महाद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत समुद्री क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की बढ़ती रुचि, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत में, का लाभ भारत व्यापक रूप से उठा सकता है।
- हिमालय में रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों की तुलना में समुद्री क्षेत्र चीन के लिये बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीनी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और समुद्री चेक पॉइंट्स के आसपास की जटिल भू-राजनीति सम्भावित रूप से इस व्यापार को बाधित कर सकती है।
- निश्चित रूप से यह रणनीति भारत को हिमालयी क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने के लिये अधिक विकल्प मुहैया कराएगी।

आगे की राह

- विदेश मंत्रालय द्वारा 'हिंद-प्रशांत विभाग' एक अच्छी शुरुआत है और इसी सम्बंध में वर्ष 2019 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'क्वाड' बैठकों को मंत्री स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसे और मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- भारत को वर्तमान और भविष्य की सामुद्रिक चुनौतियों पर ध्यान देना, सैन्य तथा गैर-सैन्य उपकरणों को मज़बूत करना होगा, रणनीतिक साझेदारों को शामिल करना होगा, साथ ही हिंद-प्रशांत पर एक व्यापक दृष्टिकोण दस्तावेज़ प्रकाशित करना चाहिये।
- इसके अलावा, भारत को हिंद-प्रशांत मामलों के लिये एक विशेष दूत नियुक्त करने पर भी विचार करना चाहिये।

निष्कर्ष

महाद्वीपीय रणनीति भारत के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भू-राजनीतिक बढ़त में एक रुकावट है। निश्चित रूप से भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिये। यह भारत को अपने प्रभाव को बढ़ाने और क्षेत्र में चीनी महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने की सम्भावना का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

क्वॉड व इसका भविष्य

- हाल ही में, क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की जापान में एक बैठक सम्पन्न हुई।
- कोरोना महामारी की वजह से जब बड़े-से-बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों की वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, तब जापान, आस्ट्रेलिया, भारत व अमेरिका के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई इस बैठक के कई मायने हैं।

- चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ इन चारों देशों की एकजुटता आने वाले दिनों में और अधिक मज़बूत होगी।

प्रमुख बिंदु

- बैठक के केंद्र में हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र को दुनिया के सभी देशों के लिये एक समान अवसर वाले क्षेत्र के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति रही है।
- दूसरा मुख्य मुद्दा चारों देशों की अगुवाई में एक नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है। यह स्पष्ट है कि इन दोनों मुद्दों का सीधा सम्बंध चीन से है।
- क्वाड यानी 'क्वाडिलैटेरल सिक्योरिटी डायलॉग' के तहत चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की यह दूसरी बैठक थी। इस दौरान यह फैसला किया कि गया अब हर वर्ष यह बैठक होगी।
- बैठक में क्वाड में दूसरे देशों को शामिल करने के मुद्दे पर भी सदस्यों के बीच चर्चा हुई। साथ ही भारत, जापान, अमेरिका के बीच होने वाले नौ-सैनिक अभ्यास में आस्ट्रेलिया को शामिल करने का मुद्दा भी उठा। चारों देशों ने कहा है कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी रणनीतिक समझ को समय के साथ और अधिक बढ़ाएँगे।

क्वाड और चीनः

- माना जा रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में नई आपूर्ति श्रृंखला बनने से सर्वाधिक फायदा भारत को होगा। बैठक में जहाँ अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोरोना के लिये प्रत्यक्ष रूप से चीन पर हमला बोला, तो वहीं बैठक के बाद आस्ट्रेलिया का बयान चीन को लेकर सबसे तल्ख रहा।
- चीन की तरफ से हाल के महीनों में कई देशों के साथ भौगोलिक कब्ज़े को लेकर पुराने विवादों को उठाने का जिक्र आस्ट्रेलिया ने किया है और कहा है कि महामारी के समय यह आवश्यक है कि कोई देश पुराने लम्बित मुद्दों को भड़काने की कोशिश न करे और तनाव को कम करने की कोशिश करे।
- आस्ट्रेलिया ने चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला नहीं मानने का मुद्दा भी उठाया है। चारों देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने पर भी सहमति बनी है।
- ध्यातव्य है कि चीन वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, वर्तमान में यह दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
    - ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का लगभग आधा (48.8%) चीन को जाता है।
    - चीन-जापान द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 317 अरब डॉलर का था जो जापान के कुल व्यापार का 20% है।
    - अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के बावजूद इन देशों का वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 558 अरब डॉलर का था, जिसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं।
    - इस वर्ष जुलाई तक चीन-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 290 अरब डॉलर से अधिक था।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

क्वॉड (Quad) :

- 'क्वॉड' चार देशों– भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक संयुक्त समूह है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये इन देशों ने हाथ मिलाया था। ध्यातव्य है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री हिस्सों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo- Pacific Area) कहते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं।

- जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू-राजनैतिक और भू-रणनीतिक संकट की वजह से वर्ष 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्त्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में 'क्वॉड' नामक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी।
- वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया था, परिणामस्वरूप 'क्वॉड' का सिद्धांत शिथिल पड़ गया था किंतु वर्ष 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर 'क्वॉड' को 'क्वॉड2.0' के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया। क्वॉड का चीन के अलावा रूस भी विरोध करता है।
- आसियान के अधिकतर देश 'क्वॉड' का खुलकर समर्थन करते हैं, जबकि कुछ देश चीन के दबाव में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान की राजनीति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है।
- यद्यपि भारत पहले से ही स्पष्ट शब्दों में कह चुका है कि केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान आदि क्षेत्र भारत के वैधानिक और अभिन्न अंग हैं। विदित है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके समर्थन में अपना पक्ष कई बार रख चुका है और भारत के मानचित्र पर इस क्षेत्र को हमेशा भारत का आधिकारिक अंग ही दिखाया गया है।

विवाद की वजह

- वर्ष 2009 से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक 'प्रांतीय स्वायत्त क्षेत्र' (Provincial Autonomous Region) के रूप में प्रशासित किया जा रहा है और वर्तमान में इस क्षेत्र को पाकिस्तान नियंत्रित कर रहा है।
- हाल ही में, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक विवादित आदेश देते हुए इस क्षेत्र में आम चुनाव कराने हेतु गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार, आदेश 2018 में संशोधन करने की बात की है।

गिलगित-बाल्टिस्तान की अवस्थिति

- गिलगित-बाल्टिस्तान उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण-पूर्व में कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है।
- पाक अधिकृत कश्मीर के साथ भौगोलिक सीमा साझा करने वाले इस क्षेत्र को भारत अविभाजित जम्मू और कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र विशेष को पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग मानता है। ध्यातव्य है कि गिलगित-बाल्टिस्तान की एक क्षेत्रीय विधान सभा और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री भी होता है।
- उल्लेखनीय है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor–CPEC) गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुज़रता है।
- 'आठ हज़ार' मीटर से अधिक ऊँचाई के पाँच पर्वत-शिखरों वाले इस क्षेत्र में पचास से अधिक पर्वत-शिखरों की ऊँचाई 7,000 मीटर (23,000 फीट) से अधिक है।
- ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया के तीन सबसे बड़े ग्लेशियर/हिमनद गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में ही अवस्थित हैं।

गिलगित-बाल्टिस्तान का इतिहास

- पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पश्चिमी सिरे पर गिलगित और इसके दक्षिण में बाल्टिस्तान स्थित है। यह क्षेत्र 4 नवम्बर, 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के प्रशासन में है।
- हालाँकि, आज़ादी से पूर्व यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ के महाराजा से साल 1846 से इसे लीज पर ले रखा था।
- यह क्षेत्र ऊँचाई पर स्थित है, ऐसे में यहाँ से निगरानी रखना आसान था। यहाँ 'गिलगित स्काउट्स' नाम की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी।
- जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो इसे जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को वापस कर दिया गया।
- हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घंसार सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया। गिलगित स्काउट्स वहीं तैनात रही। उस समय इस फौज के अधिकांश अधिकारी अंग्रेज़ ही हुआ करते थे।
- वर्ष 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया तो 31 अक्तूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार, गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन गिलगित-बाल्टिस्तान में मौजूद अंग्रेज़ फौजी अधिकारियों ने इस समझौते को नहीं माना और गवर्नर घंसार सिंह को जेल में डाल दिया।
- इन अधिकारियों ने गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाने का समझौता कर लिया।

- 2 नवम्बर, 1947 को गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को यहाँ का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह हिस्सा अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान के प्रशासन में चला गया।
- वर्ष 1949 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तानी सरकार के बीच हुए कराची समझौते के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
- 1970 ई. में इसे अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम 'नॉर्दर्न एरिया' रखा गया। वर्ष 2007 में वापस इसका नाम बदलकर गिलगित-बाल्टिस्तान कर दिया गया।
- पाक प्रशासित कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को स्वायत्त इलाके का दर्जा दिया गया है।
- वर्ष 2009 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गिलगित-बाल्टिस्तान एम्पॉवरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर, 2009 जारी किया।
- इस कानून के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान में एक विधान सभा बनाने और गिलगित-बाल्टिस्तान काउंसिल बनाने के आदेश दिये गए।
- गिलगित-बाल्टिस्तान में मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों होते हैं। किसी भी मामले का अंतिम फैसला लेने का अधिकार गवर्नर के पास सुरक्षित है। हालाँकि, सारे ज़रूरी फैसले लेने का अधिकार गिलगित-बाल्टिस्तान काउंसिल के पास है।
- इसका अध्यक्ष पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। वर्ष 2009 के बाद यहाँ तीन मुख्यमंत्री रहे हैं।
- वर्ष 2009 के सरकारी आदेश को वर्ष 2018 में बदला गया और गिलगित-बाल्टिस्तान की विधान सभा को कई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये गए।
- गिलगित-बाल्टिस्तान की मौजूदा विधान सभा का कार्यकाल 30 जून, 2020 को पाकिस्तान के साथ खत्म हो गया है। इसके 60 दिनों के अंदर यहाँ चुनाव करवाने की बात की गई थी।

नया विवाद

- पाकिस्तान में चुनाव होने से पहले एक कार्यकारी सरकार का गठन होता है। यही कार्यकारी सरकार अपनी देख-रेख में चुनाव करवाती है।
- वर्ष 2009 से गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव शुरू हुए लेकिन यहाँ चुनाव से पहले कभी कार्यकारी सरकार का गठन नहीं होता था।
- 30 अप्रैल, 2020 को पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सात न्यायाधीशों की एक बेंच ने यहाँ वर्ष 2017 के चुनाव कानून के तहत सम्बंधित कानून बदलकर कार्यकारी सरकार बनाने और चुनाव करवाने के आदेश दिये हैं।
- इस फैसले में वर्ष 2018 में गिलगित-बाल्टिस्तान को दी गई कई छूटों में भी कटौती की गई है।
- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 में गिलगित-बाल्टिस्तान में लोगों को अधिकार देने से सम्बंधित गवर्नेंस सुधार कानून संसद में पास कराने को कहा था, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें वहाँ चुनाव से पहले कार्यकारी सरकार बनाने का प्रावधान होता।

आगे की राह:

- भारत हमेशा से इस बात पर ज़ोर देता आया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के कदम से कश्मीर सम्बंधी मामले में गम्भीर नुकसान हो सकता है।
- 13 अगस्त, 1948 और 5 जनवरी, 1949 में पारित संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रस्तावों द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर मुद्दे के मध्य एक कड़ी को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है।
- इस प्रकार, इस क्षेत्र को पाचवाँ प्रांत बनाने से कराची समझौते और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों का उल्लंघन होगा जो भविष्य में किसी भी बातचीत के लिये बहुत ही नकारात्मक माहौल उत्पन्न कर सकता है।

सिंधु जल समझौते के 60 वर्ष : एक नए स्वरूप की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

19 सितम्बर को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty– IWT) की 60 वीं वर्षगाँठ थी। ध्यातव्य है कि यह संधि अक्तूबर माह में रणनीतिक चर्चा का विषय बनी रही।

पृष्ठभूमि

- सिंधु जल संधि को अक्सर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बेहतर सम्भावनाओं के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जो दोनों देशों के बीच आपसी सम्बंधों के कठिन दौर के बावजूद भी मौजूद है।
- विश्व बैंक ने तीसरे पक्ष के रूप में IWT में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी की मध्यस्थता में वर्ष 1960 में कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। यह विश्व बैंक के लिये विशेष रूप से गर्व की बात है, क्योंकि यह संधि अभी भी सुचारु रूप से जारी है।
- संधि के प्रावधानों के अनुपालन में इस नदी प्रणाली के ऊपरी प्रवाह वाले देश के रूप में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ भारत के समग्र राजनैतिक सम्बंध असहज हैं, अत: भारत पर दबाव है कि वह इसके प्रावधानों पर किस हद तक प्रतिबद्धता दर्शाए।

सिंधु जल संधि : न्यायसंगत जल बँटवारा

- वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली का बँटवारा अपरिहार्य था। विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली की तीन 'पश्चिमी नदियों' (सिंधु, झेलम और चिनाब) का जल पाकिस्तान के हिस्से में और तीन 'पूर्वी नदियों' (सतलज, रावी और ब्यास) का जल भारत के हिस्से में आया।
- प्रथम दृष्टया यह विभाजन न्यायसंगत लग सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भारत ने समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल प्रवाह का 80.52% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया है।
- साथ ही समझौते के तहत पश्चिमी नदियों से नहरों के निर्माण हेतु पाकिस्तान को पाउंड स्टर्लिंग के रूप में 83 करोड़ रुपए भी सहायतार्थ प्रदान किये गए।
- भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिये पश्चिमी नदियों पर अपनी ऊपरी स्थिति को ही स्वीकार किया। भारत की विकास योजनाओं के लिये पानी की ज़रूरत थी। अत: प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बाँध के लिये 'पूर्वी नदियों' का पानी प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, नहीं तो पंजाब और राजस्थान दोनों के कृषि क्षेत्र गम्भीर रूप से सूखा प्रभावित हो जाते।
- जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में भाखड़ा नहरों का उद्घाटन करते हुए इसे 'एक विशाल उपलब्धि और राष्ट्र की ऊर्जा तथा उद्यम का प्रतीक' बताया।
- हालाँकि, पाकिस्तान में इसको लेकर तीव्र आक्रोश था कि भारत को पूर्वी नदियों पर कुल 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) का प्रवाह प्राप्त हो गया, जबकि भारत हमेशा इस बात को लेकर सचेत था कि भाखड़ा नहरों का अस्तित्व पाकिस्तान को कम जलापूर्ति की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

दोनों देशों के मध्य रिश्तों में बढ़ती असहजता और सिंधु जल संधि

- कई सकारात्मक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के साथ पानी के बँटवारे को एक अनसुलझा मुद्दा मानता है। वास्तव में, पाकिस्तान की चिंता पश्चिमी नदियों, विशेष रूप से झेलम और चिनाब पर भारतीय परियोजनाओं की तकनीकी शर्तों की अनुरूपता को लेकर है।
- भारत के प्रति आशंकाओं तथा सिंधु नदी प्रणाली में निम्न प्रवाह वाला राज्य होने के नाते पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे के राजनीतिकरण को बढ़ावा दिया गया है।

- पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा पर भारत द्वारा पश्चिमी नदियों को अपने नियंत्रण में लेने की के डर से इसके आसपास उच्च सैन्य स्तर और सतर्कता बनाए रखता है।
- सिंधु नदी बेसिन अपनी रणनीतिक स्थिति और महत्त्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण का विषय रहा है और वर्ष 1951 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने इस मुद्दे के कारण 'एक अन्य कोरिया' के निर्माण की चिंता व्यक्त की थी, जिसने विश्व बैंक को मध्यस्थता के लिये प्रेरित किया।

संधि को निरस्त करने का विकल्प

- सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रतिक्रियास्वरूप कई बार भारत में इस समझौते को निरस्त करने की मांग की गई है। ऐसे किसी भी प्रयास के लिये कई राजनयिक और हाइड्रोलॉजिकल कारकों के निर्धारण की आवश्यकता के साथ-साथ राजनीतिक सहमति की भी आवश्यकता होती है।
- यह संधि 'निर्बाध' बनी हुई है, क्योंकि भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक समृद्धि दोनों के संदर्भ में सीमा-पार नदियों से सम्बंधित मूल्यों और एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है।
- पाक समर्थित आतंकी घटनाएँ भारत को वियना अभिसमय के अंतर्गत 'संधि के नियमों' के तहत इस समझौते से हटने के लिये प्रेरित कर सकती थीं, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया।

संधि के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

- हो सकता है कि इस संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के समय किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करती रही हो, परंतु जल-विद्युत की वर्तमान वास्तविकताओं के साथ, बाँध निर्माण और डी-सिल्टेशन में उन्नत इंजीनियरिंग प्रणालियों के परिणामस्वरूप इसको नए सिरे से देखने की तत्काल आवश्यकता है।
- इस समझौते के अनुच्छेद XII के अनुसार, दोनों सरकारों द्वारा आपसी सहमति बनने पर कुछ शर्तों के साथ इसको 'समय-समय पर संशोधित' किया जा सकता है।
- भारत के पास इस समझौते को निरस्त करने का विकल्प मौजूद है। हालाँकि, भारत इस कदम से संकोच करता है, अतः मौजूदा समय में IWT में संशोधन को लेकर बहस बढ़ रही है।

आगे की राह

- पश्चिमी नदियों पर IWT द्वारा दी गई 'अनुमेय भंडारण क्षमता' के 3.6 मिलियन एकड़ फीट (MAF) का उपयोग करने में भारत को तेज़ी दिखानी चाहिये।
- जल विकास परियोजनाओं के कुप्रबंधन और अवसंरचना की कमी के कारण 2 से 3 एम.ए.एफ. पानी आसानी से पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाता है, जिसका तत्काल उपयोग करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, कश्मीर में तीन पश्चिमी नदियों से 11406 मेगावाट बिजली की कुल अनुमानित क्षमता का दोहन किया जा सकता है, जिसमें से अब तक केवल 3034 मेगावाट (एक-चौथाई से कुछ अधिक) का ही उपयोग किया गया है। इसके अधिकतम प्रयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिये।

भारत-ताइवान सम्बंध और चीन का रुख

भारत-ताइवान सम्बंध

- भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक सम्बंध नहीं हैं। नगण्य राजनीतिक सम्बंधों के कारण भारत और ताइवान के बीच सहयोग के क्षेत्र सीमित ही हैं।
- वर्ष 1995 से वर्ष 2014 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 934 मिलियन डॉलर से बढ़कर 5.91 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

- **प्रौद्योगिकी :** वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 30 से अधिक सरकारी वित्तपोषित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं।
  - अगस्त 2015 में, ताइवान स्थित फॉक्सकॉन, जो दुनिया के सबसे बड़े हार्डवेयर निर्माताओं में से एक है, ने भारत में $ 5 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी।
  - भारत और ताइवान ने वर्ष 2018 में द्विपक्षीय निवेश समझौते (Bilateral Investment Agreement) पर हस्ताक्षर किये थे। विगत वर्षों में भारत-ताइवान व्यापार सम्बंधों का विस्तार हुआ है और ताइवान की कई कम्पनियाँ भारत में प्रमुख निवेशक भी हैं।
  - ताइवान विश्व में लम्बे समय से हाई-टेक हार्डवेयर निर्माण में अग्रणी है और भारत के 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और स्मार्ट सिटी से जुड़े अभियानों में बहुत योगदान दे सकता है।
  - ताइवान की कृषि-प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी प्रौद्योगिकी भारत के कृषि क्षेत्र के लिये भी बहुत फायदेमंद हो सकती है।
- दोनों पक्षों ने वर्ष 2010 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक पारस्परिक डिग्री मान्यता समझौते के बाद शैक्षिक आदान-प्रदान का भी विस्तार किया है।

चुनौतियाँ:

- हाल ही में, चीन ने भारत और ताइवान के मध्य किसी भी प्रकार के आधिकारिक आदान-प्रदान पर अपनी आपत्ति जताई है।
- चीन की यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के जवाब में आई है, जिसमें भारत और ताइवान द्वारा व्यापार समझौते पर बातचीत के साथ सम्बंधों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी।
- चीन का मानना है कि 'वन चाइना प्रिंसिपल' पर भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मति है, अतः भारत सहित विश्व के अन्य देशों को इसका सम्मान करना चाहिये।
- चीन ने भारत में हालिया अभियानों (पोस्टर और सोशल मीडिया) द्वारा ताइवान के "हैप्पी नेशनल डे" (10 अक्तूबर) पर ताइवान को बधाई देने और ताइवान के लिये देश या राष्ट्र जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई थी।
- चीन ने आगामी मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को शामिल किये जाने का भी विरोध किया है।
- **वन चाइना पॉलिसी :** भारत द्वारा ताइवान के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाना फिलहाल मुश्किल है। वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 16 देशों ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी हुई है, भारत इन 16 देशों में शामिल नहीं है।
- **व्यापार और निवेश :** दोनों देशों के बीच आर्थिक विनिमय अभी भी अपेक्षाकृत महत्त्वहीन ही है। भारत के साथ व्यापार में ताइवान का हिस्सा उसके वैश्विक व्यापार का मात्र 1% ही है।

आगे की राह

- ताइवान ने चीन से जुड़े भौगोलिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक कारकों के अध्ययन पर भारी निवेश किया है, भारत को इस जानकारी का लाभ कूटनीतिक रूप में उठाना चाहिये।
- संसाधन सम्पन्न भारत को ताइवान की तकनीक से लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिये, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक बांस संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि ताइवान विश्व-स्तरीय बांस चारकोल तकनीक (Bamboo Charcoal Technology) में अग्रणी है। इस तरह की तकनीक के साथ भारत अपने बांस संसाधनों का उपयोग उच्च मूल्यवर्धित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये कर सकता है।
- हाल ही में, ताइवान में नए दूत के रूप में सेवा करने के लिये एक वरिष्ठ राजनयिक की नियुक्ति के साथ भारत ने ताइवान के साथ राजनयिक सम्बंधों को आगे बढ़ाने के लिये अपनी वन-चाइना पॉलिसी (हालाँकि आधिकारिक तौर पर नहीं) में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे दिया है।

भारत-अमेरिका रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत और अमेरिका के मध्य "2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद" का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान सामरिक सम्बंधों की मज़बूती हेतु 'बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते' (BECA) के रूप में चौथे बुनियादी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

पृष्ठभूमि

- यह '2+2 संवाद' का तीसरा संस्करण है। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य बैठक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हस्ताक्षरित 'बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता' (BECA : बेका) एक महत्त्वपूर्ण सैन्य व सामरिक निहितार्थों वाला समझौता है। ध्यातव्य है कि बेका से पूर्व दोनों देशों के मध्य तीन मूलभूत समझौतों– 'जनरल सिक्यॉरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट' (GSOMIA), 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' (LEMOA) और 'कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट' (COMCASA) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता के तहत 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' (ISA) नामक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। ये समझौते एक गहरे सैन्य सहयोग की नींव रखने में सहायक सिद्ध होंगे।

बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता (BECA)

- BECA समझौते का पूरा नाम 'The Basic Exchange and Cooperation Agreement' है। यह समझौता भू-स्थानिक खुफिया/आसूचना एवं रक्षा क्षेत्र के लिये मानचित्र व उपग्रह चित्रों की जानकारी तथा वास्तविक समय पर आधारित तकनीकी सूचनाओं को साझा करने से सम्बंधित है।
- समुद्री एवं पानी के जहाज़ व विमान को संचालित करने वाले, युद्धरत् सैनिक तथा लक्ष्यों को निर्धारित करने वाले भू-स्थानिक आसूचना पर निर्भर होते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय और यहाँ तक कि किसी सेलफोन से नेविगेट करते समय भी भू-स्थानिक आसूचना पर निर्भरता होती है।
- बेका पर हस्ताक्षर करने से भारत को अमेरिका की उन्नत भू-स्थानिक आसूचना का उपयोग करने और मिसाइलों व सशस्त्र ड्रोन जैसी स्वचालित प्रणालियों एवं हथियारों की सटीकता में सुधार होगा।
- यह स्थलाकृतिक और वैमानिक डाटा तक पहुँच प्रदान करेगा, जो नेविगेशन तथा लक्ष्यीकरण में सहायक होगा। साथ ही, यह युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक स्थिति जानने एवं सहायता पहुँचाने में भी सहायक होगा।
- बेका भारतीय सैन्य प्रणालियों को नेविगेट करने के लिये एक उच्च-गुणवत्ता युक्त जी.पी.एस. व्यवस्था प्रदान करेगा और सटीक निशाना साधने के लिये मिसाइलों को रियल-टाइम इंटेलिजेंस प्रदान करेगा। यह वायु सेनाओं के सहयोग के लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

पूर्व में हुए अन्य समझौते : संक्षिप्त रूप में

सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA)

- GSOMIA समझौते का पूरा नाम 'General Security of Military Information Agreement' है। इस पर दोनों देशों द्वारा वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- यू.एस. द्वारा भारत के साथ साझा की गई महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिये जी.एस.ओ.एम.आई.ए. विशिष्ट उपाय प्रदान करता है।

रसद विनिमय समझौता ज्ञापन (LEMOA)

- LEMOA समझौते का पूरा नाम 'The Logistics Exchange Memorandum of Agreement' है। इस पर अगस्त 2016 में भारत और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षर किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को एक 'प्रमुख रक्षा भागीदार' नामित किया था।

- यह एक देश की सेना को दूसरे देश के ठिकानों से ईंधन के साथ-साथ हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों से आपूर्ति आदि को प्राप्त करने तथा अन्य देशों की स्थलीय सुविधाओं, स्पेयर पार्ट्स (अतिरिक्त कलपुर्जों) और सेवाओं तक पहुँच की अनुमति प्रदान करता है।
- यद्यपि LEMOA पर हस्ताक्षर करने के लिये विश्वास की आवश्यकता है तथापि इसका उपयोग देशों के मध्य विश्वास में वृद्धि भी करता है।

संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)

- COMCASA समझौते का पूरा नाम 'The Communications Compatibility and Security Agreement' है। इस समझौते को प्रथम '2+2 संवाद' के बाद सितम्बर 2018 में हस्ताक्षरित किया गया था। COMCASA वस्तुत: 'कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (CISMOA)' का ही भारतीय संस्करण है।
- यह अमेरिका को अपने एन्क्रिप्टेड संचार उपकरणों व प्रणालियों को भारत को प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे भारतीय एवं अमेरिकी सैन्य कमांडर, शाँति व युद्ध के समय सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से संवाद कर सकें।

औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (ISA)

- ISA समझौते का पूरा नाम 'Industrial Security Annex' है। इस पर भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन में दूसरे '2+2 संवाद' के दौरान वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किये गए थे। यह अमेरिकी रक्षा कम्पनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने में अनुमति देता है।
- आई.एस.ए. के माध्यम से अमेरिका और भारत की निजी संस्थाओं के बीच वर्गीकृत प्रौद्योगिकी व सूचना का हस्तांतरण सुचारु हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आई.एस.ए. वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA) का ही एक विस्तृत रूप है।

इन समझौतों का तात्पर्य

- LEMOA में सहयोगी देशों के मध्य मूल्यवान तकनीक एवं सम्पत्ति का आदान-प्रदान होता है, जबकि COMCASA में दो सेनाओं को सम्बद्ध करने के लिये एन्क्रिप्टेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही, बेका के अंतर्गत अत्यधिक उच्च श्रेणी की वर्गीकृत जानकारी वास्तविक समय में साझा की जाती है।
- यह विश्वास के उस स्तर को दर्शाता है, जो दोनों देशों और उनकी सेनाओं के मध्य विकसित हुआ है।
- बेका भारत द्वारा अमेरिका से मानवरहित विमान (UAVs) की खरीद के लिये आधार प्रदान करेगा और दोनों देशों के बीच वायु सेना सहयोग के लिये भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह नौ-सेनाओं के मध्य सहयोग के लिये बेहद उपयोगी है क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत निकट सहयोगी हैं।

सीमावर्ती गतिरोध के संदर्भ में इसका महत्त्व

- भारत-चीन सीमा गतिरोध के बीच भारत और अमेरिका ने अभूतपूर्व स्तर पर रडार खुफिया व सैन्य सहयोग को तेज़ी प्रदान की है।
- इन समझौतों ने दोनों देशों की सुरक्षा, सैन्य और खुफिया शाखाओं के बीच सूचना-साझाकरण की सुविधा प्रदान की है, जो लगभग 1960 के दशक के भारत-अमेरिका सहयोग की याद दिलाते हैं, विशेषकर वर्ष 1962 युद्ध के बाद।
- इस सहयोग से वास्तविक नियंत्रण रेखा से सम्बंधित सैटेलाइट इमेज को साझा करने, हथियारों की तैनाती और सैन्य आवाजाही सम्बंधी गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने में वृद्धि होगी। साथ ही, अमेरिकी उपकरणों के कारण भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

समस्या

- अमेरिका चाहता है कि भारत, रूसी उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करे। अमेरिका को डर है कि इससे रूस को उसकी तकनीक और जानकारी का खुलासा हो सकता है।

- इस संदर्भ में भारत द्वारा रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद अमेरिकी वार्ताकारों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
- भारत, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के गहरे सम्बंधों तथा अमेरिका की अफगानिस्तान तक पहुँच के लिये पाकिस्तान पर निर्भरता और अफगानिस्तान-अमेरिका के मध्य सम्पन्न दोहा समझौते से सावधान है।

निष्कर्ष

भारत को चीन के साथ व्यापारिक साझेदारी की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिये और अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी पर सोच-विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिये, जिससे यह सम्बंध दूरगामी महत्त्व वाले हों, न कि केवल अस्थाई ज़रूरतों पर आश्रित हों। इन प्रमुख रक्षा समझौतों के साथ भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग केवल प्रासंगिक (Episodic) स्तर पर होने की बजाय अधिक संरचित और कुशल तरीके से हो सकता है। भारत का अमेरिका के साथ रणनीतिक झुकाव चीन के वर्तमान खतरे का एक परिणाम कहा जा सकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- S-400 ; एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत, रूस से खरीदने की प्रक्रिया में है।
- भारतीय सशस्त्र बल LAC पर 'C-17 ग्लोबमास्टर III' (सैन्य परिवहन के लिये), बोइंग के. चिनूक सी.एच.-47 (हैवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के रूप में), बोइंग अपाचे (टैंक-किलर्स के रूप में), पी-8 आई. पोसीडॉन (स्थलीय टोही के लिये) और लॉकहीड मार्टिन के. 'सी-130 जे' (सैनिकों के एयरलिफ्टिंग लिये) जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्मों का प्रयोग कर रहे हैं।

भारत और नाइजीरिया के मध्य समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के मध्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (MOU) को मंजूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

भारत और नाइजीरिया लगभग एक दशक से औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग हेतु प्रयासरत हैं। राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श के बाद इस एम.ओ.यू. पर जून 2020 में बैंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अगस्त 2020 में अबूजा में नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी (NASRDA) ने हस्ताक्षर किये हैं।

महत्त्व

- यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों, जैसे- पृथ्वी की सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग), सैटलाइट आधारित संचार व नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहों की खोज के साथ-साथ अंतरिक्ष यान, लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष प्रणालियों और जमीनी प्रणालियों के उपयोग को सक्षम बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त दोनों देश भू-स्थानिक उपकरण और तकनीक सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग व सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी तय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/इसरो और नाइजीरिया के एन.ए.एस.आर.डी.ए. के सदस्य शामिल होंगे। यह संयुक्त कार्य दल समय-सीमा के साथ कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा।

प्रभाव

- हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. पृथ्वी की सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग), सैटलाइट संचार, सैटलाइट नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

- इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से नाइजीरिया सरकार के साथ सहयोग और मानवता के लाभ के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार, देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

व्यय

- पारस्परिक रूप से तय किये गए कार्यक्रम सहयोग के आधार पर पूरे किए जाएंगे। इस तरह की गतिविधियों के लिये वित्तपोषण की व्यवस्था प्रति कार्य के आधार पर हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएगी।
- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली संयुक्त गतिविधियों का वित्तपोषण, सम्बंधित हस्ताक्षरकर्ताओं के कानूनों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो इन उद्देश्यों के लिये आवंटित धन की उपलब्धता के अधीन होगा।

मालाबार नौ-सेना अभ्यास, 2020

मुख्य बिंदु

- मालाबार नौ-सैन्य अभ्यास वर्ष 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौ-सेना के बीच द्विपक्षीय रूप में प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 2015 में जापान इस अभ्यास में शामिल हुआ।
- वर्ष 2019 में इसका आयोजन जापान तट पर हुआ था। नवम्बर 2020 में इसके 24वें संस्करण के प्रथम चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम तट पर किया गया और दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया जाएगा।

महत्त्व

- ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिये भारत प्रयासरत है। अत: मालाबार नौ-सैनिक अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी भाग ले रहा है।
- इस तरह इस नौ-सैन्य अभ्यास में भारतीय नौ-सेना (IN), यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (USN), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (RAN) हिस्सा लेंगी।
- इस प्रकार, यह अभ्यास औपचारिक रूप से 'क्वॉड समूह' के चारों देशों की सेनाओं को साथ लाएगा। इस वर्ष मालाबार अभ्यास को 'समुद्र में-सम्पर्क रहित' (नॉन कॉन्टेक्ट एट सी) प्रारूप पर योजनाबद्ध किया गया है।
- ये देश सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत सागर क्षेत्र का समर्थन करते हैं तथा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध हैं।

अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय नौ-सेना की प्रमुख इकाइयाँ

- इसमें 'डिस्ट्रॉयर– रणविजय', 'युद्ध पोत– शिवालिक, 'अपतटीय पेट्रोल जहाज– सुकन्या' के साथ-साथ 'फ्लीट सपोर्ट शिप– शक्ति', 'पनडुब्बी- सिंधुराज', 'उन्नत जेट ट्रेनर- हॉक' तथा 'लम्बी दूरी के समुद्री गश्ती विमान- P-8I' हिस्सा लेंगी।

गरीबी, स्वास्थ्य एवं कल्याण

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट या असर (ग्रामीण), 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, प्रथम एन.जी.ओ. द्वारा 'शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट'/असर (ग्रामीण), 2020 खंड 1 जारी की गई है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2020 के प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण में सरकारी स्कूलों में लड़के तथा लड़कियों के नामांकन (सभी ग्रेड्स में) में मामूली वृद्धि हुई है। जबकि निजी स्कूलों में सभी आयु समूहों में नामांकन अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है।
- सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों का अनुपात वर्ष 2018 में 62.8% से बढ़कर वर्ष 2020 में 66.4% हो गया।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्कूली वर्ष 2020-21 में बच्चों के दाखिला लेने का अनुपात महामारी के कारण कम हुआ है।

% Children not Enrolled in School. By age group and sex. 2018 and 2020

Age Group	% Children					
	ASER 2018			ASER 2020		
	Boys	Girls	All	Boys	Girls	All
Age 6-10	1.8	1.8	1.8	5.3	5.3	5.3
Age 11-14	2.9	3.6	3.2	3.9	3.9	3.9
Age 15-16	11.4	12.6	12.0	8.8	11.1	9.9
All	3.7	4.2	4.0	5.3	5.7	5.5

- नामांकित बच्चों में 60% से अधिक बच्चों के परिवार में कम से कम एक स्मार्टफोन है। इस अनुपात में पिछले दो वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी, स्कूल और पारिवारिक संसाधनों के अभाव के चलते शिक्षा में व्यापक डिजिटल विभाजन बना हुआ है, लगभग 20% ग्रामीण बच्चों के पास पढ़ने के लिये किताबें नहीं हैं।
- महामारी के दौरान व्हाट्सएप ने छात्रों को शिक्षा सम्बंधी सामग्री प्रसारित करने तथा छात्र-शिक्षक सम्पर्क बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report– ASER) एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा और अंकगणितीय कौशल सीखने सम्बंधी विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध करवाना है। इस सर्वेक्षण को गैर लाभकारी संगठन (NGO) 'प्रथम' द्वारा कार्यान्वित तथा प्रकाशित किया जाता है।
- इस वर्ष यह सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के कारण फोनकॉल के माध्यम से आयोजित किया गया था। इसमें 30 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक परिवारों तथा स्कूली बच्चों को शामिल किया गया था।

- यह घर या परिवार आधारित सर्वेक्षण (स्कूल आधारित की बजाय) है।
- सर्वेक्षण में 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति तथा 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं का आकलन किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रतिबद्धताओं पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऑक्सफेम (गैर-सरकारी संगठन) द्वारा एक अध्ययन (Fifty Years of Broken Promises) जारी किया गया। इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे पिछले 50 वर्षों में उच्च आय वाले देशों द्वारा गरीब और निम्न आय वाले देशों को 5.7 ट्रिलियन डॉलर की सहायता से वंचित कर दिया गया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 24 अक्टूबर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रतिबद्धताओं की 50वीं वर्षगाँठ पर 50 वर्ष पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं की विफलता के विषय पर चर्चा की गई।
- कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं में वृद्धि हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता में और कमी आने से गरीब और विकासशील देशों को राजस्व जुटाने हेतु नए स्रोत तलाशने होंगे।
- अधिकांश धनी देश अपनी सहायता सम्बंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाने में असफल रहे हैं। वर्ष 2019 में धनी राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रतिबद्धताओं पर अपनी सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income – GNI) का केवल 0.3% (0.7% की तुलना में) हिस्सा ही खर्च किया गया।
- केवल पाँच देशों लक्ज़मबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और यू.के. द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सहायता 0.7% (सकल राष्ट्रीय आय का) या इससे अधिक योगदान दिया गया।
- हालाँकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता ने निम्न आय वाले देशों में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर परिवर्तन किया है।

सुधार हेतु किये गए प्रयास

- गरीबी और असमानता के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है।
- एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने हेतु ग्लोबल फंड द्वारा समर्थित स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने 27 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाई है।
- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल ने करोड़ों बच्चों के टीकाकरण हेतु वित्तपोषण प्रदान किया है, जिसने 18 मिलियन बच्चों को पक्षाघात तथा अन्य सम्बंधित रोगों से बचाया है।
- वर्ष 2000 में डकार (सेनेगल) में आयोजित 'वर्ल्ड एजुकेशन फोरम' में शिक्षा हेतु सहायता पैकेज पर सहमति से बड़ी संख्या में गरीब तथा विकासशील देशों में बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला है।

चिंता के विषय

- रिपोर्ट में बताया गया है कि दाता देशों द्वारा सहायता पैकेज का उपयोग सहायता प्राप्तकर्ता देशों का वाणिज्यिक तथा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने हेतु किया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सम्पत्ति (185 बिलियन डॉलर) सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता बजट से अधिक है। अत: सरकारों को अपने सहायता वादों (aid promises) से अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

धनी देशों को समझने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता दान नहीं है, बल्कि यह सभी के लिये न्यायपूर्ण, सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्य हेतु एक अनिवार्य निवेश है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

वर्ल्ड एजुकेशन फोरम

- वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में दुनिया भर की सरकारें, उनके शैक्षिक विभाग तथा शैक्षिक गतिविधियों में शामिल प्रमुख संगठनों (यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक तथा एशियाई विकास बैंक) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- इस फोरम की पहली कॉन्फ्रेंस डकार (सेनेगल) में आयोजित की गई थी, जिसमें डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को अपनाया गया।

ऑक्सफेम

- ऑक्सफेम की स्थापना वर्ष 1942 की गई थी। यह 20 स्वतंत्र संगठनों द्वारा समर्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह वैश्विक गरीबी तथा असमानता को कम करने हेतु कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में स्थित है।

चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave – CCL)

पुरुषों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के अनुसार, सरकारी पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- हालाँकि, बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश (CCL) का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होगा, जो 'एकल पुरुष अभिभावक'- विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित हैं।

अन्य लाभ

- बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश पर जाने वाले किसी कर्मचारी को अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति होगी।
- साथ ही, ऐसे कर्मचारी 'छुट्टी यात्रा रियायत' (LTC) का भी लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश पर हों।
- बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश की स्वीकृति 'पहले 365 दिनों के लिये 100% सवेतन अवकाश' और 'अगले 365 दिनों के लिये 80% सवेतन अवकाश' के साथ दी जा सकती है।
- इस सम्बंध में दिव्यांग बच्चों के मामले में चाइल्ड केयर लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिये जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी उम्र तक के दिव्यांग बच्चे हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है।

जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु उत्कृष्टता केंद्र

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी में दो उत्कृष्टता केंद्रों (Centers of Excellence) का शुभारम्भ किया।

- पहला उत्कृष्टता केंद्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गौ-आधारित कृषि तकनीकों के अनुरूप प्राकृतिक खेती के लिये जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण देने से सम्बंधित है।
- दूसरा उत्कृष्टता केंद्र पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने से सम्बंधित है। इसके अंतर्गत झारखंड के 5 ज़िलों के 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँवों को कवर किया गया है।

लाभ व महत्त्व

- प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।
- किसानों को जैविक प्रमाणन दिलाने में सहायता प्रदान की जाएगी और जनजातीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विपणन के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आदिवासी पंचायती राज संस्थानों (PRI) को मज़बूत करने से उन्हें संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिलेगी, जो निर्णय लेने और अपने समुदाय के विकास से सम्बंधित मामलों में पी.आर.आई. को सशक्त करेगा।

शून्य भुखमरी का लक्ष्य तथा भारत के प्रयास

चर्चा में क्यों?

16 अक्तूबर, 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया।

पृष्ठभूमि

वर्तमान महामारी संकट ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा कृषि पर निर्भर आजीविका के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों द्वारा भुखमरी और खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने तथा सतत् विकास लक्ष्य-2 (शून्य भुखमरी) को प्राप्त करने हेतु एकजुटता से कार्य करने की प्रतिज्ञा की गई।

भारत के प्रयास

- पिछले कुछ दशकों में भारत की कृषि उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न आयातक की बजाय एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक की भूमिका अदा कर रहा है। महामारी के समय में केंद्र और राज्य सरकारें 3 माह (अप्रैल से जून) तक भारत के घरेलू खाद्यान्न भंडारों से लगभग 23 मिलियन टन की खाद्य सामग्री वितरित करने में सक्षम रहीं, जिससे देशभर के जरूरतमंद परिवारों को संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त हुई।
- सरकार ने अप्रैल से नवम्बर तक 820 मिलियन लोगों के लिये सफलतापूर्वक राशन का प्रबंध किया। इसमें 90 मिलियन स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करने के वैकल्पिक उपायों को भी शामिल किया गया है।
- लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध के दौरान भी सरकार द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने और कृषि गतिविधियों को जारी रखने हेतु सराहनीय प्रयास किये गए।
- इन उपायों के कारण ही इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि उत्पादन में 3.4% की वृद्धि हुई तथा खरीफ की खेती का क्षेत्रफल 110 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक हो गया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।
- समेकित बाल विकास सेवा पहल के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के 100 मिलियन बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पका हुआ भोजन तथा घर-घर राशन की सुविधा प्रदान की जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पोषण और भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में एक आदर्श उदाहरण है।
- भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु नवाचारी प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे सूखा और बाढ़ रोधी बीज की किस्मों का विकास, किसानों को मौसम आधारित कृषि परामर्श तथा जल की कम आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहन (बाजरे की खेती आदि) प्रदान करना।

चुनौतियाँ

- दुनिया भर में विभिन्न राहत उपायों के बावजूद संकट के दौरान कई बहुआयामी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। वैश्विक स्तर पर 2 अरब से अधिक लोगों के पास अभी भी पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी है।
- अनुमानों के अनुसार, दुनिया वर्ष 2030 तक ज़ीरो हंगर या वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर नहीं है।
- जलवायु परिवर्तन कृषि विविधता के लिये एक वास्तविक और प्रबल खतरा बना हुआ है, जो उत्पादकता से लेकर आजीविका और खाद्य प्रणालियों को भी प्रभावित करेगा।
- वर्तमान में कीटों और टिड्डियों के आक्रमण तथा चक्रवात की घटनाएँ किसानों के समक्ष निरंतर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं, जिनका खाद्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
- रसायनों के अत्यधिक प्रयोग तथा असंगत कृषि पद्धतियों के कारण भू-क्षरण, भू-जल स्तर में तेज़ी से कमी तथा कृषि योग्य भूमि में भी निरंतर कमी आ रही है।
- भारत में 86% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा है।
- भारत में पिछले एक दशक में कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हालाँकि कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल न्यूट्रीशन सर्वे 2016-18 के अनुसार, भारत में 40 मिलियन से अधिक बच्चे कुपोषित हैं तथा 15-49 वर्ष की आयु की 50% से अधिक महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) की शिकार हैं।

सुझाव

- वर्तमान में आवश्यकता है कि खाद्य फसलों की उत्पादन प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए भोजन की बर्बादी को व्यावहारिक प्रयासों के माध्यम से रोका जाए। दुनिया में उत्पादित भोजन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र की तीनों एजेंसियाँ : 'खाद्य और कृषि संगठन' (FAO), 'कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष' (IFAD) और 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) को धारणीय खाद्य प्रणाली (Sustainable Food System) के निर्माण के लिये सरकार, नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) और किसानों के साथ कार्य करने हेतु और अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान संकट खाद्य प्रणालियों में वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नवाचारी समाधानों को लचीला और टिकाऊ (Sustainable) बनाने का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अत: सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा ताकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहनीय और पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो सके।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) को वर्ष 2020 में भुखमरी से लड़ाई की दिशा में कार्य करते हुए 75 वर्ष हो गए हैं।
- कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने वाली संयुक्त राष्ट्र की पहली संस्था है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
- विश्व खाद्य दिवस 16 अक्तूबर को मनाया जाता है।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ

विगत कुछ माह से महामारी की वजह से पूरे देश में छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिये मजबूर हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कुछ समस्याएँ लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1) बढ़ती असमानताएँ

- विपत्तियाँ चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित, उनका सबसे ज़्यादा असर वंचित वर्गों पर ही पड़ता है और कोविड इसका अपवाद नहीं है। कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन ने गरीबों के लिये उपलब्ध अवसरों को सबसे ज़्यादा और वृहत स्तर पर प्रभावित किया है।
- साथ ही, जिन छात्रों के पास ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा तक पहुँच नहीं थी, उनके लिये सरकार अगस्त से पहले तक इससे सम्बंधित किसी भी योजना को लॉन्च नहीं कर पाई।
- भारत में इंटरनेट की स्पीड भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में वीडियो के माध्यम से कक्षाएँ लेते समय इंटरनेट स्पीड का कम होना भी समस्या पैदा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड और भी खराब स्थिति में है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट के मूलभूत ढाँचे के साथ-साथ बिजली की भी समस्या बनी रहती है।
- इस प्रकार, डिजिटल इंडिया का यह स्वरूप पहले से भी अधिक असमान और विभाजक साबित हो सकता है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation– NSO) की हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में विभिन्न राज्यों, शहरों और गाँवों तथा विभिन्न आय समूहों में डिजिटल असमानता (Digital Divide) बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा, देश के अधिकांश विद्यार्थियों के पास डिजिटल या ऑनलाइन संसाधन बहुत कम उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के वर्ष 2017-18 के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42% शहरी और 15% ग्रामीण परिवारों के पास ही इंटरनेट की उपलब्धता थी।
- अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक परिणामों के प्रभावस्वरूप आगामी वर्ष (2021) लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल वापस ना जा पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के बंद होने की वजह से विश्व की तकरीबन 94% छात्र आबादी प्रभावित हुई है और निम्न तथा निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह संख्या लगभग 99% तक हो सकती है। महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को और अधिक बढ़ा दिया है।

2) शिक्षा की खराब गुणवत्ता

- ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, विशेषकर यह कि कितनी देर तक यह छात्रों को बांधे रह सकती है।
- मोबाइल फोन पर व्याख्यान सुनना और ब्लैक या व्हाइट बोर्ड से शिक्षक के लिखे हुए को कॉपी करना, दोनों में बहुत अंतर है। मानव शरीर भी सुनकर सीखने से ज़्यादा सजीव कक्षाओं के माध्यम से सीखने के लिये अधिक अभ्यस्त है।
- भारत में शिक्षक ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं।
- डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में 'तकनीकी समझ' भी एक बड़ी समस्या है।
- चूँकि ऑनलाइन शिक्षण को नियमित कक्षाओं की तरह नहीं चलाया जा सकता है, अतः इससे लर्निंग आउटकम भी प्रभावित होता है।

3) ऑनलाइन शिक्षा पर अनुचित ज़ोर

- ऐसा अनुमान है कि डिजिटल माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता देश में स्कूली शिक्षा की पहले से ही अपर्याप्त व्यवस्था को और खराब कर देगी।
- यदि छात्र में आत्मानुशासन या अच्छा संगठनात्मक कौशल नहीं है तो वे इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ सकते हैं।
- किसी शिक्षक और सहपाठी के बिना शिक्षा प्राप्त करना उन्हें अकेले होने का एहसास दे सकता है जो भविष्य में अवसाद का कारण बन सकता है।
- डिजिटल कक्षा में प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला से जुड़ा कार्य करना मुश्किल होता है।

निष्कर्ष

- देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बाद भी शिक्षण को सुचारु रख पाना ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव हो पाया है।
- इस उद्देश्य के लिये सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के लिये कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा उनके द्वारा बहुत-सी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात भी की है।
- चूँकि वर्तमान महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा ही एक आशा की किरण है, अतः सरकार को चाहिये कि वह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उपरोक्त समस्याओं/मुद्दों पर भी ध्यान देते हुए उनका समाधान खोजे।

पूर्वव्यापी कराधान : संशोधन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वोडाफोन ग्रुप ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई को जीत लिया है, जिसमें भारत सरकार तथा अन्य विदेशी निवेशक भी पक्षकार के रूप में शामिल थे।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2007 में वोडाफोन ग्रुप की सहायक कम्पनी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग (डच स्थित फर्म) ने हचिसन में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसमें हचिसन का भारत में मोबाइल टेलीफोन व्यवसाय और अन्य सम्पत्तियाँ शामिल थीं।
- वर्ष 2007 में ही भारत सरकार द्वारा इस सौदे के हस्तांतरण को लेकर पूंजी लाभ कर की मांग की गई लेकिन वोडाफोन ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इस प्रकार के किसी भी दायित्व को मानने से इनकार कर दिया तथा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया।
- वोडाफोन ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन के आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को सही बताया तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए वोडाफोन के पक्ष में फैसला दिया।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम में संशोधन कर गैर-निवासियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से अर्जित आय पर कर देयता को 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी माना गया है।

- भारत सरकार द्वारा यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वोडाफोन के पक्ष में दिये गए निर्णय को प्रत्यादिष्ट (Override) करने हेतु किया गया था।
- भारत सरकार के पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation) के निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, जिसे कर आतंकवाद (Tax Terrorism) की अवधारणा के नाम से प्रचारित किया गया। तत्पश्चात् यह मामला हेग (नीदरलैंड) स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुँचा, यहाँ भी फैसला वोडाफोन के पक्ष में ही दिया गया।

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का निर्णय

- कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा वोडाफोन पर लगाए गए पूर्वव्यापी कराधान के निर्णय को उचित और समान व्यवहार की भावना का उल्लंघन माना है।
- कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले को 'संयुक्त राष्ट्र आयोग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून' (UNCITRAL) का भी उल्लंघन माना है।
- कोर्ट ने भारत सरकार से वोडाफोन ग्रुप से टैक्स की मांग को आगे नहीं बढ़ाए जाने के साथ ही क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने के लिये कहा है।

भारत सरकार का पक्ष

- सरकार का पक्ष है कि वोडाफोन को हचिसन का व्यवसाय खरीदने के पश्चात् टैक्स की राशि को काटकर ही भुगतान करना चाहिये था, क्योंकि वोडाफोन इस केस में हचिसन की आय का स्रोत था।
- सरकार का एक पक्ष यह भी था कि हस्तांतरित किया गया व्यवसाय और सम्पत्तियाँ भारत में ही स्थित थे, अतः कर-देयता भी भारत में ही होती है।

वोडाफोन का पक्ष

वोडाफोन का पक्ष है कि आयकर अधिनियम, 1961 में पूर्वव्यापी कर वसूली के प्रावधान ना होने के कारण यह निर्णय वोडाफोन के पक्ष में आया है। इसके अलावा, वोडाफोन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि हचिसन (हच) के कारोबार को वोडाफोन की नीदरलैंड स्थित सहायक कम्पनी (वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग) द्वारा खरीदा गया था, अतः भारत में कम्पनी का कोई कर दायित्व नहीं बनता है।

सुझाव

- कर अधिकारियों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर उन्हें विदेशी निवेशकों से धन प्राप्त करने की गतिविधि को किसी भी रूप में उदार लोकतंत्र के पक्ष में नहीं माना जा सकता है। अतः प्रशासन में सुधार करते हुए अधिकारियों का दायरा निश्चित किया जाना चाहिये।
- भारत सरकार द्वारा कराधान प्रणाली में पूर्वव्यापी संशोधन से विदेशी निवेशक हतोत्साहित हुए हैं। विदेशी निवेशकों की विश्वास बहाली हेतु पूर्वव्यापी कराधान प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है।
- इस मामले में भारत सरकार पर क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई है, जो करदाता के धन का एक प्रकार से दुरुपयोग है।
- भारत सरकार के तीनों अंगों-विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा अपने नियम-कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के अनुरूप संगत बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने से रोकने के लिये भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्त सौदों में सार्थक और स्पष्ट विवाद समाधान तंत्र बनाने की आवश्यकता है, जिससे लागत और समय की बचत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर होगी।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

पूर्वव्यापी या भूतलक्षी कराधान

- पूर्वव्यापी कराधान एक देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं सेवाओं या सौदों पर कर लगाने की अनुमति प्रदान करता है, जिस तिथि को यह कानून पारित होता है, सरकार को उस तारीख से पहले निर्धारित तिथि से टैक्स प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- कई देशों द्वारा (अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत आदि) इस प्रकार के कानून बनाकर अपनी कराधान नीतियों की विसंगतियों को ठीक किया गया है।

द्विपक्षीय निवेश संधि

- वर्ष 1995 में भारत तथा नीदरलैंड के मध्य द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty– BIT) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- **संधि के उद्देश्य :** एक-दूसरे के क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देना, कम्पनियों के प्रति निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, कम्पनियों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण आदि।
- हालाँकि, यह संधि वर्ष 2016 में समाप्त हो चुकी है।

स्वामित्व योजना

- 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना (Survey of Villages And Mapping with Improvised Technology In Village Areas) का शुभारम्भ किया गया। ग्रामीण लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु इसे शुरू किया गया है। इसे 2020-2024 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- इसके तहत ड्रोन की मदद से गाँव की सम्पत्ति का डिजिटल मैप तैयार कर भ्रष्टाचार को रोकने में मदद तथा लाभार्थियों को बैंक से लोन प्राप्त करने में भी आसानी होगी।
- इसके अंतर्गत मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा, तत्पश्चात प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सम्बंधित राज्य सरकारें प्रॉपर्टी कार्ड का भौतिक वितरण कर सकेंगी। प्रॉपर्टी कार्ड को हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख तथा उत्तर प्रदेश में घरौनी नाम दिया गया है।
- स्वामित्व योजना के अंतर्गत, राजस्व विभाग (पंचायती राज मंत्रालय) भूमि का रिकॉर्ड तथा विवादित भूमियों के मामले में निपटारे के लिये डिजिटल व्यवस्था करेगा।
- आरम्भिक चरण (वर्ष 2020-21) में 6 प्रमुख राज्यों (उत्तर प्रदेश-सर्वाधिक लाभार्थी हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक) तथा पंजाब व राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँवों को कवर किया जाएगा। पंजाब व राजस्थान में सतत् संचालन संदर्भ प्रणाली (Continuous Operating System) नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण के लिये भारत के सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

बहुप्रतीक्षित पुलिस सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, घटी कुछ घटनाओं, जैसे- तमिलनाडु के एक जिले में दलित पिता और पुत्र की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत तथा हाथरस बलात्कार मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिसने पुलिस सुधारों की मांग को आवश्यक बना दिया है।

पृष्ठभूमि

भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का अपना अलग पुलिस बल है। संविधान के अनुच्छेद- 246 के तहत पुलिस राज्य का विषय है। राज्य सरकारें पुलिस अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों का निर्माण करती हैं तथा जिन राज्यों ने अपने पुलिस अधिनियम पारित नहीं किये हैं, वे केंद्रीय पुलिस अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग (National Police Commission – NPC)

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग का निर्माण वर्ष 1977 में किया गया था, जिसमें पुलिस संगठन, इसकी भूमिका, कार्य, जवाबदेही, जनता के साथ सम्बंध, पुलिस के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा शक्तियों के दुरुपयोग सम्बंधी मूल्यांकन के संदर्भ में व्यापक टर्म्स ऑफ रिफरेंस (TOR) तैयार किये गए थे।
- आयोग द्वारा वर्ष 1979 और 1981 के मध्य 8 रिपोर्ट तैयार की गई, जिनमें मौजूदा पुलिस संरचना में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया गया।

पुलिस व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी पुलिस सुधारों में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
- पुलिस संगठन में संवेदनशील कार्यसंस्कृति का अभाव है।
- राजनेताओं-अपराधियों-पुलिस की मज़बूत साठगाँठ।
- श्रमशक्ति की कमी।
- आधुनिक तकनीक का अभाव।
- मामले या सूचनाओं से सम्बंधित जानकारी के संग्रहण हेतु एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था का अभाव।
- पुलिस के पास आधुनिक हथियारों और वाहनों की कमी है।
- बढ़ता भ्रष्टाचार।
- पेशेवर कार्यप्रणाली का अभाव।

महत्त्वपूर्ण सुझाव

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा पुलिस के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जाँच हेतु एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया जाए, जिसमें विभागीय अधिकारियों और एक स्वंतत्र प्राधिकरण द्वारा पूछताछ एवं विश्लेषण के पश्चात् रिपोर्ट तैयार की जाए।
- निम्नलिखित मामलों की जाँच अनिवार्य रूप से होनी चाहिये–
  - पुलिस हिरासत में महिलाओं का कथित बलात्कार।
  - पुलिस हिरासत में हुई मौत या गम्भीर चोट (Grievous Hurt)।
  - गैर कानूनी सभाओं को हटाने में पुलिस फायरिंग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मौत।
- पुलिस के आपराधिक न्यायिक प्रणाली के सभी विभागों द्वारा समन्वय तथा दक्षता से कार्य करने हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है, जो समय-समय पर व्यापक निगरानी और सुधारात्मक उपाय लागू कर सके।
- पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेपों (पुलिस अधिकारियों के चयन, उनके स्थानांतरण या निलम्बन सम्बंधी तथा विभिन्न आपराधिक मामलों में) से मुक्त रखते हुए निष्पक्षता से सेवा प्रदान करनी चाहिये तथा सेवा उन्मुख कार्यों/भूमिका (Service Oriented Role) के लिये पुलिस को निरंतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- सुभेद्य वर्गों के मामलों में पुलिस द्वारा संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिये और थर्ड डिग्री टॉर्चर प्रणाली के उपयोग को कम किया जाना चाहिये।

- महिलाओं तथा बच्चों से सम्बंधित मामलों की जाँच में महिला अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये।
- पुलिस संगठन में सुधार हेतु परामर्श और निगरानी सम्बंधी कार्यों तथा पुलिस प्रशासन हेतु बजटीय प्रबंधन के लिये एक केंद्रीय पुलिस समिति (Central Police Committee) के गठन की आवश्यकता है।
- पुलिस अधिनियम, 1861 को पुनः एक नए पुलिस अधिनियम से प्रतिस्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- इन सुधारों को न्यायपालिका द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिये।
- पुलिस आयोग की प्रमुख सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। नेताओं और नौकरशाहों ने अपने निहित स्वार्थों हेतु पुलिस प्रणाली पर मज़बूत नियंत्रण स्थापित कर रखा है।

निष्कर्ष

देश में प्रत्येक बड़ी घटना के बाद पुलिस सुधारों के लिये आयोग और समितियाँ गठित की जाती हैं परंतु इन आयोग और समितियों की अनुशंसाएँ अभिलेखागार तक ही सीमित रहती हैं। हालाँकि कुछ स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार रखने वाले व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा समय-समय पर पुलिस सुधार की मांग विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिये उठाई जाती है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बड़ी संख्या में एक निष्पक्ष गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्रों में कार्य करता है। यह संगठन भारतीय राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही, धन और बल की शक्ति के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।
- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI) एक स्वतंत्र और निष्पक्ष गैर लाभकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इस संस्था के 53 सदस्य राष्ट्र हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स
वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव
पेन ड्राइव कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

जम्मू व कश्मीर में भूमि कानूनों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नए आदेश के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में निवास करने वाला नागरिक भी अब जम्मू व कश्मीर में सम्पत्ति की खरीद कर सकता है।

प्रमुख प्रावधान

- भूमि स्वामित्व से सम्बंधित कानूनों में संशोधन करते हुए इससे सम्बंधित 12 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, सम्बंधित केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिये जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन आदेश (तृतीय), 2020 जारी किया गया है।
- इन संशोधनों के अनुसार जम्मू व कश्मीर में भूमि के स्वामित्व सम्बंधी अधिकार, भूमि के विकास, वन भूमि, कृषि भूमि सुधार तथा भूमि आवंटन से सम्बंधित सभी कानूनों में जम्मू व कश्मीर का स्थाई नागरिक शब्द हटा दिया गया है।
- साथ ही, जम्मू व कश्मीर वन अधिनियम के स्थान पर भारतीय वन अधिनियम लागू कर दिया गया है।
- जम्मू व कश्मीर सम्पत्ति हस्तानांतरण कानून की एक धारा को समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण अब कोई भी निवासी अपनी भूमि व भवन किसी को भी हस्तानांतरित कर सकता है।
- जिला अधिकारी की अनुमति के अलावा किसी भी कृषि उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- हालाँकि, कृषि भूमि को केवल कृषक ही खरीद सकते हैं।

नए बदलाव

- पूर्व में केवल स्थाई निवासी ही जम्मू व कश्मीर में भूमि की खरीदारी कर सकते थे, जबकि अन्य भागों के निवासी किराए या पट्टे पर ही भूमि ले सकते थे। इस कारण यह राज्य निवेश के मामलें में पीछे रह जाता था।
- सेना के आग्रह पर संचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिये जम्मू व कश्मीर प्रशासन किसी क्षेत्र को रणनीतिक महत्त्व का घोषित कर सकता है।

महत्त्व

- इससे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में बाहरी निवेशकों के लिये मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, इसके लिये औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का प्रस्ताव था है।
- यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर में स्वास्थ्य के साथ-साथ उच्च माध्यमिक या उच्चतर या विशिष्ट शिक्षा के संवर्धन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- इससे भूमि पर स्थानीय निवासियों को प्राप्त विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।
- इस केंद्रशासित प्रदेश में कई वर्षों से कृषि करने के बावजूद भी भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता था, जबकि नए नियम में इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया है।

श्रम संहिता विधेयक

चर्चा में क्यों

हाल ही में, भारत की संसद ने देश के 50 करोड़ से अधिक संगठित और असंगठित श्रमिकों को समाविष्ट करते हुए श्रम कल्याण सुधार के उद्देश्य से 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किये हैं। इसमें गिग श्रमिकों तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, ये बिल स्वरोज़गार क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की बात भी करते हैं।

सम्बंधित बिंदु

- स्थाई समितियों द्वारा दी गई 233 सिफारिशों में से 174 को शामिल करने के बाद इन तीन बिलों को पुनः पेश किया गया है।
- ये तीन विधेयक चार श्रम संहिताओं का हिस्सा हैं, जिसमें 29 श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। मज़दूरी पर प्रथम कोड पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है।
- ये तीन विधेयक निम्नलिखित हैं:
  1. औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
  2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की स्थिति संहिता, 2020 (Occupational Safety Health & Working Conditions Code, 2020)
  3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020)
- ध्यातव्य है कि नए श्रम संहिता विधेयक पूर्व के तीन श्रम कानूनों (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (ii) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 और (iii) औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 का स्थान लेंगे।

प्रमुख प्रस्ताव (Key Proposals)

- औद्योगिक सम्बंध संहिता विधेयक, 2020 में सरकार ने निम्नलिखित बातें प्रस्तावित की हैं :
- कानूनी हड़ताल की नई शर्तें-नए विधेयक के अनुसार, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक अगर हड़ताल पर जाना चाहते हैं तो उन्हें कम-से-कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित कार्यवाही के दौरान या ऐसी किसी कार्यवाही के समापन के 60 दिनों तक हड़ताल पर नहीं जा सकता है। पहले इस तरह के प्रतिबंध केवल सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ी सेवाओं (public utility services) पर लागू होते थे।
- इसके तहत औद्योगिक विवाद निपटान प्रणाली को सुगम बनाने की कोशिश की गई है।
- संविदा वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों, वेतन, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा को नियमित कर्मचारियों के समान किया जाएगा।
- श्रमिकों के लिये आचार संहिता लागू करने के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है।
- री-स्किलिंग फंड - ऐसे कर्मचारी जिनकी छँटनी (Retrenchment) कर दी गई है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके प्रशिक्षण हेतु री-स्किलिंग फंड की स्थापना का प्रस्ताव।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
  - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, जो असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिये उपयुक्त योजना तैयार करने के लिये केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा।

- **अधिक स्पष्टता :** विधेयक में 'कैरियर सेंटर', 'एग्रीगेटर', 'गिग वर्कर', 'प्लेटफॉर्म वर्कर' तथा 'वेज सीलिंग' जैसे कई अन्य शब्दों को अधिक स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया है।
- **गिग श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा:** गिग श्रमिकों को रोज़गार देने वाले एग्रीगेटरों को ऐसे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिये अपने वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान देना होगा।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा स्वरोज़गार श्रमिकों के लिये 'सामाजिक सुरक्षा कोष' के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाओं का विस्तार
- अब असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों, गिग श्रमिकों (ऐसे श्रमिक, जिन्हें केवल ज़रूरत के समय ही रखा जाता है) और प्रवासी श्रमिकों तक किया जाएगा।
- जोखिम से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के दायरे में आएंगे तथा किसी संगठन में 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो वहाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रावधान भी लागू होंगे।

■ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2020 में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:

- सभी प्रकार के कार्यों के लिये तथा सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रोज़गार प्रदान करना। महिलाएँ रात में भी काम कर सकती हैं अर्थात् शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, नियोक्ताओं को केवल यह ध्यान रखना होगा कि उनकी सुरक्षा, अवकाश, काम के घंटे और उनकी सहमति से जुड़ी सभी शर्तें पूरी हों।
- **श्रमिक की परिभाषा में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को शामिल करना :** अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को उस श्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी अन्य राज्य से आकर दूसरे राज्य में रोज़गार प्राप्त करता है और जो 18,000 रुपए प्रति माह तक कमाता है।
- श्रमिकों को नए रूप से परिभाषित करना इसे और अधिक समावेशी बनाता है, क्योंकि इसके पहले मात्र संविदात्मक रोज़गार को ही परिभाषित किया गया था।
- **पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स :** एक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार/श्रमिक को राशन सम्बंधी लाभ प्राप्त करने के लिये पोर्टेबिलिटी प्रदान की गई है अर्थात् वह जिस राज्य में कार्य कर रहा है, उस राज्य में राशन, भवन निर्माण एवं श्रमिक उपकर आदि से जुड़े लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- हालाँकि, नई संहिता में कार्यस्थल के पास श्रमिकों के लिये अस्थाई आवास निर्माण के पुराने प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
- इस संहिता में यात्रा भत्ता भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिक को उसके रोज़गार के स्थान से उसके मूल निवास स्थान पर जाने व वहाँ से आने के लिये एकमुश्त राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
- इस संहिता में मुख्यतया कर्मचारियों के लिये नियोक्ता के कर्त्तव्यों का जिक्र किया गया है, जैसे– सुरक्षित कार्यस्थल, कर्मचारियों की मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जाँच व्यवस्था और असुरक्षित कार्य स्थितियों के बारे में सम्बंधित श्रमिकों को सूचित करना आदि।
- अवकाश के नए नियमों के अनुसार, कोई श्रमिक 240 दिन के स्थान पर अब 180 दिन कार्य करने के पश्चात् भी छुट्टी प्राप्त कर सकता है।
- कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी को चोट लगने पर उसे 50% का हर्ज़ाना दिये जाने का प्रावधान है।

नए प्रावधानों से लाभ

■ नए प्रावधानों से श्रमिकों, उद्योग जगत और अन्य सम्बंधित पक्षों के मध्य सामंजस्य स्थापित होगा।

- सामाजिक सुरक्षा कोष की सहायता से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन का लाभ प्राप्त होगा।
- प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में विस्तार से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, प्रवासी मज़दूरों के लिये मालिक को वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा।
- नए परिवर्तनों से मज़दूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही कारोबारी सुगमता के कारण विदेशी निवेशक भारत में निवेश के लिये आकर्षित होंगे।

नई श्रम संहिताओं से जुड़ी चिंताएँ

- **श्रमिकों के अधिकारों में कमी:** छोटे प्रतिष्ठानों (300 श्रमिकों तक) के श्रमिकों को उनके प्रमुख अधिकारों से विमुख कर दिया गया है, विशेषकर उनकी ट्रेड यूनियनों और श्रम कानूनों से प्राप्त संरक्षणों को समाप्त कर दिया गया है।
- **श्रमिकों की सुरक्षा के उपायों को कम करना:** नए प्रावधानों द्वारा कम्पनियाँ श्रमिकों के लिये मनमानी सेवा शर्तें लागू कर सकती हैं।
- **कॉर्पोरेट अनुकूल:** नए नियम नियोक्ताओं को सरकारी अनुमति के बिना श्रमिकों को काम पर रखने और काम से निकालने के लिये अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं अर्थात् नियोक्ताओं का जब मन हो, वे श्रमिकों को कार्य से विमुक्त कर सकते हैं।
- नई श्रम संहिताएँ अभिव्यक्ति एवं वाक् स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली हैं, जिनके द्वारा परोक्ष रूप से हड़ताल और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध की बात की गई है।
- **री-स्किलिंग फंड के बारे में अस्पष्टता:** विधेयक में में री-स्किलिंग फंड से जुड़े ठोस और प्रक्रियात्मक पहलुओं में स्पष्टता का अभाव है, जो 1990 के दशक में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की तरह फिजूल साबित हो सकता है।
- **महिला सुरक्षा:** विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद महिलाओं को रात के समय काम करने की अनुमति देने से उनके यौन-शोषण (या कार्य स्थल पर यौन शोषण) की सम्भावना बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

- काफी समय से लम्बित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार संसद द्वारा पारित कर दिये गए हैं। ये सुधार श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। वास्तव में ये श्रम सुधार न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का बेहतरीन उदाहरण हैं।
- कोविड-19 महामारी के बाद बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में श्रमिकों के अधिकारों और आर्थिक सुधारों में संतुलन आवश्यक है। किसी एक पक्ष का समर्थन करने से दीर्घकाल में देश के समावेशी विकास के लक्ष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

मराठा आरक्षण कोटा–आंदोलन व राजनीति

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक संविधान पीठ से पूछा है कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी बनाम संघ (1992) के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% कोटा की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं।

मराठा और उनका 'पिछड़ापन'

- मराठा, महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से एक प्रमुख वर्ग है, जो महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 32% हैं।
- उन्हें ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी 'योद्धा' जाति के रूप में जाना जाता है। राज्य के 19 मुख्यमंत्रियों में से अब तक ग्यारह मराठा ही रहे हैं।

- जहाँ वर्षों से भूमि और कृषि सम्बंधी समस्याओं के विभाजन से मध्य और निम्न मध्यम वर्ग के मराठाओं की समृद्धि में गिरावट आई है, वहीं यह समुदाय अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जब तक कोटा की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक इस समुदाय में वृहत असंतोष, विरोध और अशांति फैली थी।
- विरोध के दूसरे चरण में प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर देखा गया। पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र विरोध प्रदर्शनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे।

मामला

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरियों में मराठों के लिये आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुना।
- याचिकाओं में 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की गई, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।
- खंडपीठ ने राज्य में कोटा के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई की।

मुम्बई उच्च न्यायालय का पूर्व फैसला

- मुम्बई उच्च न्यायालय ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि राज्य द्वारा प्रदान किया गया 16% कोटा "न्यायसंगत" नहीं था और इसे घटाकर शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) द्वारा अनुशंसित है।
- बेंच ने फैसला सुनाया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासन में दक्षता को प्रभावित किये बिना इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, यदि पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक और समकालीन आँकड़े उपलब्ध हैं।

मौजूदा आरक्षण

- वर्ष 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद, महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% था: एस.सी. (13%), एस.टी. (7%), ओ.बी.सी. (19%), विशेष पिछड़ा वर्ग (2%), विमुक्त जाति (3%), घुमंतू जनजाति B (2.5%), घुमंतू जनजाति C (3.5%) और खानाबदोश जनजाति D (2%)।
- खानाबदोश जनजातियों और विशेष पिछड़े वर्गों के लिये कोटा कुल ओ.बी.सी. कोटा से बाहर रखा गया है।
- 12-13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64-65% हो गया।
- पिछले साल केंद्र द्वारा घोषित 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत कोटा भी राज्य में प्रभावी है।

संवैधानिक प्रावधान

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5)में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है।
2. संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद 16(4), 16(4)(क), 16(4)(ख) तथा अनुच्छेद 16(5) में राज्य को विशेष

अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में आवश्यकतानुसार आरक्षण दे सकता है।

3. वर्ष 1992 के इंद्रा साहनी मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुल दिये गए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction)

- संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने तथा इनके प्रवर्तन हेतु, बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण लेख (Certiorari), अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) जैसी रिट जारी कर सकते हैं।

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992

- उपरोक्त वाद में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिये 27% का कोटा बरकरार रखा था। इसके अलावा, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
- इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी सही ठहराया कि संयुक्त आरक्षण के बाद लाभार्थियों की संख्या कुल संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा भी इस निर्णय के माध्यम से लोगों के समक्ष आई तथा न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिये और पदोन्नति में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि संसद द्वारा वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनारक्षित वर्ग में "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के" व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
- अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किये गए तथा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक खंड जोड़े गए।
- ध्यातव्य है कि यह 10% आर्थिक आरक्षण 50% की आरक्षण सीमा के ऊपर है।

स्थानीय लोगों के लिये कोटा प्रणाली पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

- उच्चतम न्यायालय, पूर्व में जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुना चुका है।
- वर्ष 1984 में डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ में, "सन ऑफ द सॉयल (Sons of the Soil)" से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई थी।
- अदालत ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की थी कि इस तरह की नीतियाँ असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था, क्योंकि यह मुद्दा समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ था।
- वर्ष 1955 के डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवास या निवास स्थान तथा जन्म स्थान के बीच अंतर बताते हुए स्पष्ट किया था कि व्यक्ति का निवास स्थान बदलता रहता है लेकिन उसका जन्म स्थान निश्चित होता है। अधिवास का दर्जा जन्म स्थान के आधार पर दिया जाता है।
- सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश (1995) में बाद के एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1984 में राज्य सरकार की एक नीति, जिसमें उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त भारांश दिया गया था, को रद्द करने के लिये निर्णय दिया था।

- वर्ष 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक भर्ती अधिसूचना पर भी टिप्पणी करते हुए उसे अमान्य बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये प्राथमिकता निर्धारित की गई थी।

महाराष्ट्र वन-अधिकार अधिनियम में संशोधन

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act– FRA), 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जो आदिवासी और अन्य पारम्परिक रूप से वन-आवास वाले परिवारों को आस-पड़ोस के वन क्षेत्रों में घर बनाने में सक्षम बनाएगी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act] भारत में वन कानून का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- इसे वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम, जनजातीय विधेयक और जनजातीय भूमि अधिनियम भी कहा जाता है।
- औपनिवेशिक युग में, अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रचुर मात्रा में वन सम्पदा का दोहन किया था। यद्यपि भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे कानूनों के तहत वन से जुड़े अधिकारों और उनको फॉलो करने की कोशिश की गई थी लेकिन इनका पालन बमुश्किल ही हो पाया था।
- परिणामस्वरूप, आदिवासी और वन-निवासी समुदाय, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जंगलों के भीतर रह रहे थे, वे जंगलों में असुरक्षित तरीके से रहते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी वे हाशिये पर ही रहे, सरकारों का उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं गया।
- बाद में वन और वन-निवासी समुदायों के बीच सहजीवी सम्बंध को राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में मान्यता मिली।
- एफ.आर.ए, 2006 को हमेशा से सामाजिक रूप से हाशिये पर रहे सामाजिक-आर्थिक वर्ग की सुरक्षा के लिये लागू किया गया था और उनके जीवन व आजीविका के अधिकार के साथ पर्यावरण के अधिकार को भी संतुलित किया गया।

राज्यपाल के अधिकार :

- राजभवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने संविधान की अनुसूची-5 के अनुच्छेद-5 के उप-अनुच्छेद (1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है।
- राज्य में पेसा अधिनियम ने गाँवों के रूप में कई बस्तियों को मान्यता दी है, लेकिन घर बनाने के लिये भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

निर्णय का महत्त्व :

- इस निर्णय से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन-निवासी परिवारों को बड़ी राहत मिलने की सम्भावना है।
- शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में (राजस्व भूमि पर) निवासियों को घर बनाने के लिये कानूनी जमीन मिलती है, लेकिन आदिवासी गाँवों (वन भूमि पर) के पास घरों के निर्माण के लिये कोई कानूनी स्थान उपलब्ध नहीं होता है।
- इस कदम का उद्देश्य अपने मूल गाँवों के बाहर वन-निवासी परिवारों के प्रवास को रोकना है और उन्हें अपने पड़ोस में ही गाँव की भूमि को वन भूमि के रूप में विस्तारित करके आवास क्षेत्र प्रदान करना है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

संविधान की पाँचवीं अनुसूची

- यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से सम्बंधित है।
- संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में, अनुसूचित क्षेत्रों का मतलब ऐसे क्षेत्रों से है, जिनके बारे में राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का आदेश देता है।
- भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244 (1) के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्र' का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- संविधान की अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति कभी भी किसी राज्य के राज्यपाल से सलाह लेने के बाद उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं, किसी राज्य और राज्यों के सम्बंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश व आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं एवं अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिभाषित करने के लिये नया आदेश दे सकते हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रों को पहली बार वर्ष 1950 में अधिसूचित किया गया था। बाद में वर्ष 1981 में राजस्थान राज्य के लिये अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए संवैधानिक आदेश जारी किये गए थे।

अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये मानदंड

पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिये निम्नलिखित मानदंड होने चाहियें:

- जनजातीय आबादी की प्रधानता।
- क्षेत्र की सघनता और उचित आकार।
- एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे-ज़िला, ब्लॉक या तालुका।
- पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

विरोध प्रदर्शन और लोकव्यवस्था : संतुलन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग के अनिश्चित काल कब्जे को अस्वीकार कर दिया है। हालाँकि यह विरोध प्रदर्शन 24 मार्च, 2020 को ही समाप्त हो चुका है।

पृष्ठभूमि

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू किये जाने से दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तथा समाज के कुछ असंतुष्ट वर्ग द्वारा संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत याचिकाएँ दायर की गईं थीं।

संवैधानिक प्रावधान

- विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद-19(1)(b)] में निहित है तथा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद-19(1)(a)] एवं समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता भी इससे सम्बंधित हैं।

- राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। [(अनुच्छेद 19(2)]

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय द्वारा माना गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध शाहीन बाग में नागरिकों विशेषकर महिलाओं द्वारा शुरू की गई मुहिम या धरना प्रदर्शन ने सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
- निर्णय में कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कायम रखा गया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक रास्ते अथवा स्थानों पर अनिश्चित काल के लिये कब्जा नहीं किया जा सकता है।
- लोकतंत्र और विरोध साथ-साथ चलते हैं लेकिन असंतोष व्यक्त करने वाले प्रदर्शन निर्दिष्ट स्थानों (Designated Places) पर किये जाने चाहिये, जिससे आम जनता को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े।
- मौलिक अधिकार अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और असीमित नहीं हैं। इन पर औचित्यपूर्ण निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को रोकना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है और इससे उन्हें स्वयं ही निपटना चाहिये तथा भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये।
- विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।

निर्णय से उत्पन्न चुनौतियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय मामला समाप्त होने के पश्चात् आया है जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णित शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है तथा इससे न्यायिक अतिसक्रियता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- न्यायालय ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को निर्दिष्ट स्थानों पर आयोजित करने का आदेश दिया है। हालाँकि निर्दिष्ट स्थान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अर्थात् यह नहीं बताया गया है कि निर्दिष्ट स्थान कौन-से होंगे।
- न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार के मुद्दों से प्रशासन स्वयं ही निपटे, जो कि पुलिस प्रशासन की शक्तियों में वृद्धि करता है तथा प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के अधिकारों को सीमित करता है।

सुझाव

- विरोध प्रदर्शनों का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाना तथा वार्ताओं के माध्यम से मुद्दे को हल करना होना चाहिये, ना कि हिंसा, आगजनी, आम जनता को असुविधा पहुँचाना तथा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना।
- प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिये कि विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के कार्यान्वित होने से आम जनता को असुविधा ना हो तथा देश की अखंडता और सम्प्रभुता को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो।

निष्कर्ष

- विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की महत्ता को इंगित करते हैं, अत: इनका सम्मान किया जाना चाहिये, किंतु इसके लिये आवश्यक है कि विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का तरीका शांतिपूर्ण हो, जिससे आम नागरिकों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही, इन प्रदर्शन सम्बंधी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम अमित साहनी मामले में दिया गया है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट स्थानों (Designated Places) को स्पष्ट नहीं किया गया है।

चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, कानून मंत्रालय द्वारा विधान सभा और लोक सभा चुनावों के लिये चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा में 10% वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। यह कदम कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एक अनुशंसा पर आधारित है।
- हालाँकि, 'चुनाव नियमों के संचालन, 1961' में संशोधन करने वाली अधिसूचना में इस बात का उल्लेख नहीं है कि महामारी समाप्त होने के बाद यह वृद्धि वापस ले ली जाएगी या नहीं।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चुनावी खर्च की सीमा में बढ़ोत्तरी फरवरी 2014 में की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में 10 अक्टूबर, 2018 को इसमें संशोधन किया गया था।

चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा

- चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में विधान सभा चुनावों में उम्मीदवारों को पूर्व में 28 लाख रुपए के मुकाबले अब 30.8 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति है।
- इन राज्यों में लोक सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये चुनावी खर्च की संशोधित सीमा अब 70 लाख की पूर्व राशि की बजाय 77 लाख हो गई है।
- गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में निर्वाचन क्षेत्रों एवं जनसंख्या के आकार के आधार पर चुनावी खर्च की सीमा कम है।
- ऐसे राज्यों में लोक सभा उम्मीदवार के लिये अधिकतम सीमा अब 59.4 लाख रुपए है, जबकि किसी विधान सभा उम्मीदवार के लिये अधिकतम सीमा 22 लाख रुपए तक है।

अन्य बिंदु

- इसके अतिरिक्त हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने श्री हरीश कुमार और श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में चुनावी खर्च की सीमा से सम्बंधित एक समिति का गठन किया है।
- यह समिति मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महँगाई दर में बढ़ोत्तरी तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करेगी।
- पिछले 6 वर्षों में खर्च की सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 910 मिलियन हो गई।
- इसके अलावा लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में भी वृद्धि हुई है, जो इसी अवधि में 220 से बढ़कर वर्ष 2019 में 280 और अब 301 के स्तर पर पहुँच गई है।

समिति के परीक्षण का आधार

- देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव और इसके खर्च पर प्रभाव का आकलन।

- लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले खर्च के तरीकों का आकलन।
- यह समिति राजनीतिक दलों और अन्य सम्बंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी।
- खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का भी परीक्षण इस समिति द्वारा किया जाएगा। समिति गठन के 120 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

असम-मिज़ोरम सीमा-विवाद

संदर्भ

- पिछले कुछ समय से जारी असम तथा मिज़ोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के मध्य सीमा-विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। यह उत्तर-पूर्व में लम्बे समय से चली आ रही अंतर्राज्यीय सीमा सम्बंधी मुद्दों को रेखांकित करता है।

विवाद का विषय

- असम और मिज़ोरम की सरकारों के मध्य हुए एक समझौते के तहत सीमा क्षेत्र को नो मैंस लैंड (No Man's land) के रूप में मान्यता देने के साथ ही यथास्थिति (Status quo) बनाए रखने पर भी सहमति बनी थी। कथित रूप से लायलपुर गाँव (असम) के लोगों द्वारा यथास्थिति प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कुछ अस्थाई झोपड़ियों का निर्माण किया गया तथा मिज़ोरम के लोगों ने उनमे आग लगा दी, जिससे लगातार विवाद बढ़ता चला गया और हिंसक घटनाएँ शुरू हो गईं।
- असम का पक्ष है कि रिकाड्र्स के अनुसार, असम की जमीन पर मिज़ोरम के निवासियों द्वारा खेती की जा रही है।
- मिज़ोरम के नागरिक समाज ने असम की तरफ से अवैध झोपड़ियों को नष्ट करने और पथराव की घटनाओं के लिये बांग्लादेशियों को ज़िम्मेदार बताया।

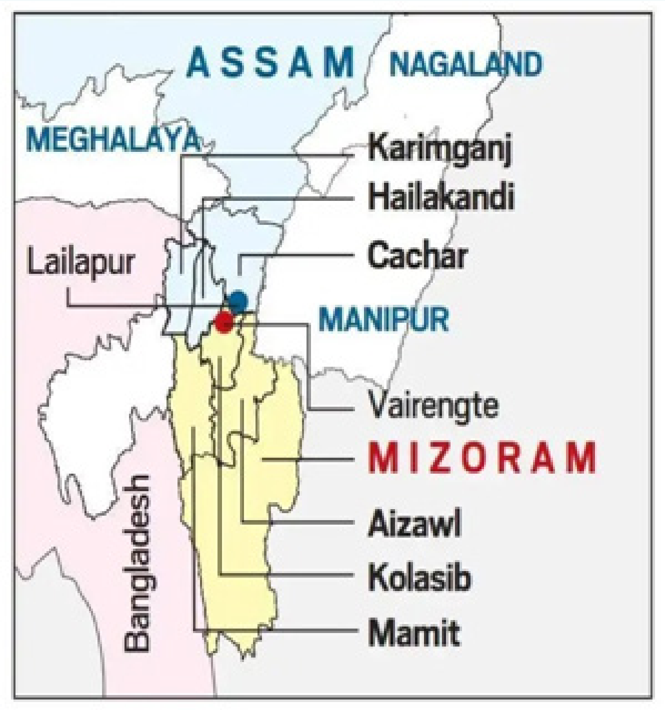

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्तमान में असम और मिज़ोरम राज्य के मध्य की सीमा औपनिवेशिक काल से भी पहले की है। उस समय मिज़ोरम को असम के एक जिले लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था।
- दोनों राज्यों के मध्य यह विवाद वर्ष 1875 की एक अधिसूचना से शुरू हुआ, जिसके तहत लुशाई हिल्स को कछार के मैदानों से अलग किया गया था। बाद में वर्ष 1933 के एक चार्टर के तहत भी लुशाई हिल्स और मणिपुर की सीमाओं का सीमांकन किया गया था।
- मिज़ोरम का मानना है कि 1875 की अधिसूचना के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिये, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से लिया गया था, साथ ही वर्ष 1933 के चार्टर में मिज़ो समाज से परामर्श नहीं किया गया था, जबकि असम सरकार 1933 के चार्टर का अनुसरण करती है।
- पूर्वोत्तर के जटिल सीमा विवादों में असम तथा मिज़ोरम के मध्य विवाद, असम और नागालैंड राज्य की तुलना में कम ही है।

उत्तर-पूर्व में अन्य सीमा विवाद

- ब्रिटिश शासन के दौरान असम में वर्तमान नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अलावा मिज़ोरम भी शामिल था, जो वर्तमान में अलग-अलग राज्य बन गए हैं। लेकिन आज भी असम के साथ अलग हुए लगभग सभी राज्यों का सीमा विवाद बरकरार है।
- इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालीसिस (IDSA) के वर्ष 2008 के एक शोध पत्र के अनुसार, वर्ष 1965 से असम-नागालैंड सीमा पर हिंसक और सशस्त्र संघर्षों में कई लोग मारे जा चुके हैं।
- वर्ष 1975 और 1985 में हुई हिंसक घटनाओं में भी 100 से अधिक लोगों की जान गई थी तथा यह सीमा विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।
- असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर वर्ष 1992 में पहली बार झडपें हुई थीं। तभी से दोनों पक्षों की तरफ से अवैध अतिक्रमण तथा आंतरायिक झड़पें (Intermittent Clashes) जारी हैं। इस सीमा मुद्दे पर भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है।
- वर्तमान में असम तथा मेघालय के बीच 12 विवादित क्षेत्र हैं। फरवरी 2020 में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य यथास्थिति और शांति बनाए रखने के सम्बंध में चर्चा हुई।

निष्कर्ष

- औपनिवेशिक शासन ने अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सीमांकन किया था लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी यह मुद्दा हल नहीं हो सका है। सीमा विवाद से जुड़े सभी राज्यों को यह समझना होगा कि इस मुद्दे को केवल आपसी वार्ताओं, समन्वय और विश्वास निर्माण के माध्यम से ही हल किया जा सकता है क्योंकि यह एक राजनैतिक समस्या है, जिसका समाधान भी राजनैतिक प्रयासों से ही सम्भव है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- असम, मिज़ोरम के साथ 165 किमी, अरुणाचल प्रदेश के साथ 800 किमी, नागालैंड के साथ 500 किमी. तथा मेघालय के साथ 884 किमी. लम्बी सीमा साझा करता है।
- वर्ष 1972 में मिज़ोरम को असम से अलग कर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया तथा वर्ष 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
- करीमगंज और कछार जिला असम राज्य में तथा कोलासिब और मामित जिले मिज़ोरम राज्य में स्थित हैं।
- मिज़ो जिरलाई पावल (MZP) मिज़ोरम का एक शक्तिशाली छात्र संगठन है। यह संगठन असम के रास्ते से मिज़ोरम में घुसपैठ करने वाले अवैध बांग्लादेशियों का पुरज़ोर विरोध करता है।
- **नो मैंस लैंड :** यह दो राज्यों या देशों की सीमाओं पर अवस्थित भूमि या क्षेत्र होता है, जिस पर दोनों में से किसी का अधिकार नहीं होता है। सामान्यत: इसे असैन्य क्षेत्र या मध्यवर्ती भूमि भी कहा जाता है।

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3

आर्थिक घटनाक्रम

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 70

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) से सम्बंधित वित्तीय संकट 71

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया : मूल्यांकन एवं सुझाव 73

ऋण बाज़ार : अवसंरचनात्मक सुधार की आवश्यकता 74

इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम 75

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 76

भारत और बांग्लादेश : प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना 77

भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकॉनमी हैकथॉन 79

पोत यातायात निगरानी व्यवस्था 80

विनियामक सैंडबॉक्स 81

ई.एस.जी. फंड 81

चरणबद्ध विनिर्माण नीति से जुड़े मुद्दे 82

कृषि

कृषि अधिनियम और संघवाद 85

उर्वरक सब्सिडी की संरचना में बदलाव 87

कालेश्वरम परियोजना 89

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विकिरण-रोधी मिसाइल 'रुद्रम' : विकास और महत्त्व 90

'K' मिसाइल समूह और इसका रणनीतिक महत्त्व 91

नाग मिसाइल 93

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ 93

वैज्ञानिकों द्वारा गले में नए अंग की खोज 94

टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट : सम्बंधित पहलू 95

भारत में नवाचार की बढ़ती सम्भावनाएँ 97

क्षुद्रग्रह बेनु 99

न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली 99
होलोग्राफिक इमेजिंग 100

पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन

हरित हाइड्रोजन : भविष्य का स्वच्छ ईंधन 101
चीन की जलवायु प्रतिबद्धता 103
आकस्मिक बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाएँ 104
लायन-टेल्ड मकाक : एक दुर्लभ प्रजाति 106
कार्बन टैक्स : आवश्यकता एवं महत्त्व 107
भारत में पानी की बर्बादी पर दंड का प्रावधान 109
भारत में रामसर स्थल 110
येलो डस्ट 111
ई-कचरे से सम्बंधित समस्याएँ 111
वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट, 2020 113
बुलढाणा पैटर्न 114
हिम तेंदुआ एक फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में नामित 115
ठोस अपशिष्ट का सतत् प्रसंस्करण : एक नई राह 116
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दस वर्ष : एक समीक्षा 118
पश्चिमी अमेरिका में जंगल की आग की समस्या 120
हिमालयन ब्राउन बियर 122
हींग 122
द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट, 2000-2019 122
ज़ॉम्बी फायर 123
लाल पांडा 123

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की वैधानिक स्थिति एवं भविष्य 125

9 आर्थिक घटनाक्रम

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation for Industrial Workers) के लिये नई शृंखला शुरू करते हुए आधार वर्ष को 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया। हालाँकि सरकार ने यह भी कहा है कि, महंगाई भत्ता, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई- आई.डब्ल्यू.) से ही जुड़ा हुआ है, अपरिवर्तित रहेगा।

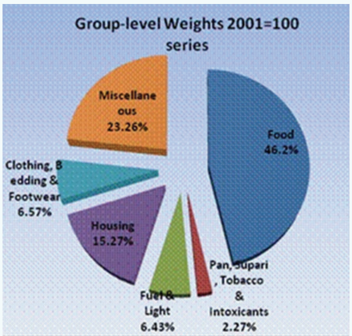

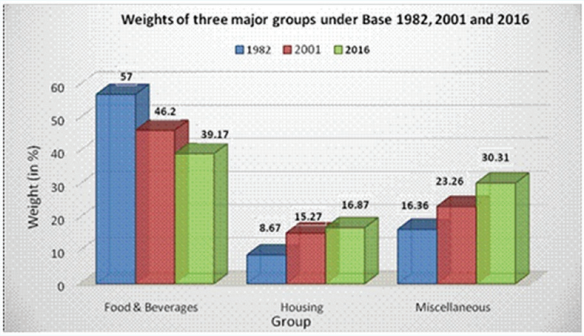

मुख्य बिंदु

- सरकार ने यह भी कहा कि नई शृंखला को पुराने के साथ तुलनीय बनाने के लिये गणना 2.88 के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करके की जाएगी। उदाहरणार्थ, सितम्बर के लिये सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. 118 है, लिंकिंग फैक्टर के साथ यह 339.8 हो जाएगा, जबकि विगत वर्ष में यह इसी अवधि के दौरान 322 था।
- CPI-IW मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण और संशोधन के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) के निर्धारण के लिये उपयोग किया जाता है।
- नई शृंखला में पिछले आधार वर्ष 2001 के बाद से मज़दूर वर्ग के परिवारों के उपभोग पैटर्न में बदलाव को शामिल किया गया है। नई शृंखला के तहत, खाद्य शृंखला का भारांश 2001 के 46.2% से घटकर 39.17% हो गया है। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसी सेवाओं का भारांश 23.26% से बढ़कर 30.31% हो गया है। आवास और कपड़े व जूतों का भारांश भी क्रमश: 15.87% से 16.87% और 6.07% से 6.08% हो गया है।
- ईंधन और प्रकाश से जुड़े खंड का भारांश 6.43% के मुकाबले 5.5% होगा, जबकि पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीले पदार्थों का भारांश 2.27% के मुकाबले 2.07% होगा।
- 2001 की शृंखला में 78 केंद्रों के मुकाबले 2016 की नई शृंखला में, 88 केंद्रों को कवर किया गया है।
- खुदरा मूल्य के आँकड़ों के संग्रह के लिये चयनित बाज़ारों की संख्या भी 2001 के 289 की तुलना में 2016 में 317 हो गई है। इंडेक्स बास्केट में प्रत्यक्ष रूप से रखी गई वस्तुओं की संख्या 392 से 463 हो गई हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सूचकांक समीक्षा समिति और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मूल्य सूचकांक संख्याओं के आधार वर्ष को नियमित अंतराल पर संशोधित किया जाना चाहिये, जो कि होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के लिये 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
- सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और आई.एल.ओ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार संकलित किया गया है।

- ध्यातव्य है कि मुद्रा स्फीति की गणना करने के लिये बहुत से तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, जैसे- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, कमोडिटी मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, केपिटल गुड्स प्राइस इंडेक्स और जी.डी.पी. डेफ्लेटर। लेकिन इनमें से थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल सम्पूर्ण विश्व में सबसे अधिक किया जाता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक; घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं (gooosQ and services) के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। हम लोग रोज़मर्रा की जिंदगी में आटा, दाल, चावल आदि पर जो खर्च करते है; इस पूरे खर्च के औसत को ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें 8 प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है. ये हैं; शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपडे, खाद्य - पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा खर्च।

CPI के चार प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers- IW) के लिये CPI
2. कृषि मज़दूरों (Agricultural Labourer- AL) के लिये CPI
3. ग्रामीण मज़दूरों (Rural Labourer- RL) के लिये CPI
4. ग्रामीण/शहरी/संयुक्त CPI

इनमें से प्रथम तीन को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा संकलित किया जाता है। जबकि चौथे प्रकार के CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रिय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा संकलित किया जाता है। CPI का आधार वर्ष 2012 है। जबकि CPI-IW के लिये अभी तक आधार वर्ष 2001 था।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना थोक बाज़ार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किये गए भुगतान के आधार पर की जाती है। इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किये गए मूल्यों की गणना की जाती है। भारांश में मुद्रा स्फीति की गणना इसी सूचकांक के आधार पर की जाती है।

उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ध्यान केंद्रित किये जाने से पहले थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मंहगाई की गणना की जाती थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (Office of Economic Adviser) द्वारा इस सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) से सम्बंधित वित्तीय संकट

संदर्भ

विद्युत बुनयादी ढाँचे के सबसे महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है जो देश की अर्थव्यवस्था के सतत् विकास हेतु आवश्यक है। सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन और पारेषण (ट्रांसमिशन) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं। लेकिन वर्तमान में विद्युत वितरण क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है।

डिस्कॉम की खराब स्थिति के कारण

- विद्युत वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) विद्युत आपूर्ति श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं।
- डिस्कॉम कम्पनियों का राज्य सरकारों पर बड़ी मात्रा में बकाया शेष है। साथ ही, राज्य सरकारें निर्धारित सब्सिडी सहायता का भुगतान भी डिस्कॉम को नहीं कर रही हैं।

- विद्युत चोरी तथा मीटर सम्बंधी अनियमितताएँ व्यापक स्तर पर पाई जाती हैं।
- विद्युत नियामकों द्वारा डिस्कॉम हेतु लागत आधारित टैरिफ/शुल्क उचित तथा पारदर्शी रूप में निर्धारित नहीं किये गए हैं।
- भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने हेतु 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें 90,000 करोड़ रूपए (बाद में 1,25,000 करोड़ रुपए) का पैकेज विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये निर्धारित किया गया था, जो कि इनके वर्तमान तरलता संकट को दूर करने के लिये अपर्याप्त है।
- डिस्कॉम द्वारा इस सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग विद्युत उत्पादक के ऋण भुगतान में किया गया। हालाँकि अभी भी डिस्कॉम पर विद्युत उत्पादक कम्पनियों की बड़ी धनराशि बकाया है।

चुनौतियाँ

- डिस्कॉम द्वारा विद्युत उत्पादक कम्पनियों का भुगतान समय पर ना करने तथा इस देय राशि का भुगतान अनौपचारिक ऋण (समयावधि और शर्तों की अनदेखी करते हुए) की तरह किये जाने से उत्पादक कम्पनियों को एकीकृत रूप से तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (Aggregate Technical and Commercial Losses) होती है।
- लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाइयों के बंद होने या कम क्षमता पर कार्य करने के कारण विद्युत की माँग में कमी आई है, जिससे विद्युत कम्पनियों के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- भविष्य में बड़े विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य आधुनिक स्रोतों को अपनाए जाने से विद्युत कम्पनियों के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सुझाव

- विद्युत सब्सिडी केवल जरूरतमंद किसानों, परिवारों तथा उद्योगों को ही दी जानी चाहिये। जाली कागजात और पहचान के आधार पर विद्युत सब्सिडी के अनुचित लाभ पर रोकथाम हेतु मज़बूत निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये।
- विद्युत क्षेत्र में कारोबारी सुगमता (विद्युत के सीमा-पार व्यापार सहित) को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
- विनियामक संस्थाओं को लागत आधारित टैरिफ योजना लागू करने की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन तथा वितरण लागत कम हो सके।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में राज्य सरकारें (राज्य विद्युत नियामक आयोग) विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिये शुल्क तय करती हैं।
- विद्युत कम्पनियों का बार-बार पूँजीकरण करने की बजाय विनियामक अक्षमताओं को दुरस्त करने हेतु मज़बूत और प्रतिक्रियात्मक प्रणाली विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- PRAAPTI Portal - Payment Ratification and Analysis in Power Procurement for bringing Transparency in Invoicing of Generators
- इस पोर्टल का उद्देश्य विद्युत खरीद लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा उत्तम कार्यविधियों को प्रोत्साहित करना है।
- विद्युत खरीद समझौता (पॉवर परचेज एग्रीमेंट - पी.पी.ए.) यह समझौता दो पक्षों विद्युत उत्पादनकर्ता/विक्रेता तथा विद्युत खरीददार के मध्य होता है। इसमें विद्युत की बिक्री से सम्बंधित सभी वाणिज्यिक शर्ते शामिल होती हैं।

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया : मूल्यांकन एवं सुझाव

चर्चा में क्यों?

दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code –IBC) में दिवालियापन की प्रक्रिया से सम्बंधित कई नए सुधार किये गए हैं।

संहिता में आए परिवर्तन

- दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता ने पूर्व के दिवालियापन कानून को प्रतिस्थापित किया है, जिसने भारत में दिवालियापन प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस संहिता ने फर्मों या कम्पनियों के परिसमापन की बजाय निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कम्पनियों की समाधान प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है।
- इस संहिता ने निवेशकों के विश्वास में वृद्धि की है तथा घरेलू एवं विदेशी मुद्रा प्रवाह को गतिशीलता प्रदान की है।
- इस संहिता के प्रावधान लचीले और गतिशील दोनों हैं। इसलिये यह संहिता अधिक प्रभावशील है।
- भारत के दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBBI) ने बाज़ार की वास्तविक समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए विनियमन और दिवालियापन से सम्बंधित नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- रिज़ॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में रैंकिंग में 56 अंकों का सुधार आया है।
- इस संहिता के लागू होने से रिकवरी दर में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है तथा रिकवरी में लिये गए समय में भी अत्यधिक कमी आई है।

वर्तमान प्रयास

- सरकार के बहुआयामी प्रयासों के कारण व्यवसायिक मामले बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक अदालतों से बाहर संहिता की समाधान प्रक्रिया के तहत सुलझाए जा रहे हैं।
- मामूली अपराधों के लिये कारावास सहित अन्य आर्थिक दण्डों में निवेशकों के लिये रियायत प्रदान की गई है। हालाँकि भारत सरकार छोटे अपराधों के लिये सजा के प्रावधानों को कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह गैर इरादतन तथा भूल-चूक से हुए अपराधों के सम्बंध में अर्थदंड या कारावास के जोखिम को कम करेगा, जिससे इंस्पेक्टर राज की प्रवृति में भी कमी आएगी।
- दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान किया जाना चाहिये। यह औपचारिक अदालती प्रक्रिया के इतर मामलों को निपटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी तथा वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित होगी।
- यह सामाधान प्रक्रिया स्थायी, कुशल और मूल्यवान तरीकों से दिवालायापन प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करेगा।
- आई.बी.सी. ने व्यापार सुगमता को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया है तथा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि की है एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हुए उद्यमिता हेतु सकारात्मक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध करवाया है। इस कानून की गतिशीलता और सशक्तता घरेलू तथा विदेशी निवेशकों के लिये भारत को आकर्षक निवेश स्थान के रूप में संदर्भित करेगी।

चुनौतियाँ एवं सुझाव

- दुर्भाग्य से भारत की अदालतों में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले लम्बित हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली में भी मामलों की समाधान और समझौतों के निपटान की गति बहुत धीमी है, जिसमें कुशलता तथा तीव्रता के साथ मामलों का निपटान किया जाना चाहिये।

- विदित है कि संहिता से दिवालियापन की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं में कमी आई है। साथ ही, अब कर्ज़ वसूली के दौरान कम्पनी का लाइसेंस, परमिट, रियायत, मंजूरी को समाप्त या निलम्बित नहीं किया जाता है और ना ही इनका नवीनीकरण रोका जा रहा है।
- छिपे हुए कानूनी या वित्तीय दायित्त्वों को नए प्रबंधन के समक्ष नहीं लाए जाने से भी संस्थागत समस्याओं में कमी आई है, जिससे लालफीताशाही एवं कॉर्पोरेट घरानों पर अनुचित देयताओं का दबाव कम हुआ है।
- इस संहिता में समय के साथ तथा विभिन्न पक्षों के सुझावों के आधार पर लगातार परिवर्तन किये जा रहे हैं, जिससे कानून निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न पक्षों के हितों का संरक्षण किया जा सके।
- पुराने और छिपे हुए दायित्वों को कम या समाप्त करने से विभिन्न पक्षों (कॉर्पोरेट तथा देनदारों आदि) की तो समस्याएँ कम हो जाएँगी लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम भार तो आम जनता पर ही पड़ेगा, जिनका इस प्रकार के मामलों से कोई सम्बंध नहीं है।

निष्कर्ष

वर्तमान में सरकार को आवश्यकता है कि पुराने प्रबंधन, कम्पनी तथा नए प्रबंधन के मध्य एक स्पष्ट अंतर स्थापित किया जाए। पहले से चल रहे मुकदमे (धन शोधन, कर सम्बंधी या अन्य वित्तीय तथा आपराधिक मामले) नए प्रबंधन के कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करें।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- इंसोल्वेंट वह व्यक्ति या संस्था होती है, जो अपने दायित्वों को चुकाने में असमर्थ हो।
- दिवालिया वह व्यक्ति या संस्था होती है, जिसे ऋण या वित्तीय दायित्वों को ना चुकाने की स्थिति में कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है।
- आई.बी.सी. को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत विफल हो चुके या घाटे में चल रहे व्यवसायों के लिये एक तीव्र और उचित समाधान प्रक्रिया का प्रावधान किया था।

ऋण बाज़ार : अवसंरचनात्मक सुधार की आवश्यकता

पृष्ठभूमि

वित्तीय बाज़ार (Financial Market) आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। बॉन्ड, इक्विटी बाज़ार एवं बैंक, बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। इन बाज़ारों द्वारा किये गए कार्य अर्थव्यवस्था में तरलता (Liquidity/लिक्विडिटी) की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। वित्तीय बाज़ार संस्थाओं द्वारा जोखिम को कम करते हुए बचतकर्ताओं को उच्चतम प्रतिलाभ देना होता है, अत: वे निवेश के नए साधन, उपकरण या माध्यम खोजते रहते हैं। यह जोखिम के साथ-साथ एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। भारत में वित्तीय बाज़ार सुधार विशेषकर पूँजी बाज़ार से सम्बंधित सुधार, अभी शुरुआती अवस्था में हैं।

चुनौतियाँ

- बैंकों, कम्पनियों और वित्तीय संस्थाओं की विनियामकों द्वारा निरंतर निरीक्षण तथा निगरानी नहीं की जाती है।
- भारत की वित्तीय प्रणाली में लम्बे समय से सरकार का राजकोषीय प्रभुत्व बना हुआ है (विशेषकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में जैसे, आर.बी.आई. और एल.आई.सी.) तथा वर्तमान वित्तीय और मौद्रिक अवसंरचना भी सरकार के राजकोषीय हितों के अधीन ही दिखाई पड़ती है।
- पिछले कुछ महीनों से मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दरों में निरंतर कटौती करने या उन्हें स्थिर रखने के बावजूद लम्बी अवधि की ऋण दरें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।

- वित्तीय विनियामक संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव बना रहता है, जिससे वे स्वंतत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं।
- गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPA) को बैंकों के वित्तीय लेखे-जोखे से हटाने पर सरकार द्वारा इनकी क्षतिपूर्ति पुन:पूँजीकरण के माध्यम से की जाती है, जिससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त ऋणभार पड़ता है और अंतत: इसका दायित्व करदाताओं पर ही पड़ता है।

सुधार हेतु सुझाव

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की प्राथमिक समस्या यह है कि इन्हें समिष्टि आर्थिक प्रबंधन (राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने में) के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। इन बैंकों के प्राथमिक कार्यों को सार्वजनिक हित के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये। साथ ही, इनकी कार्य संस्कृति को जन केंद्रित किया जाना चाहिये।
- ऋण वितरण से सम्बंधित नीतियों में जोखिम कारकों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किया जाना चाहिये।
- सभी वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से ऋण लेने वाले व्यक्ति और इकाइयों द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत तथा कम्पनी की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकटीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
- सटीक आर्थिक स्थिति के प्रकटीकरण से व्यक्तियों तथा कम्पनियों की रेटिंग का वास्तविक समय में मूल्यांकन हो सकेगा, जिससे बड़े स्तर पर जोखिमों के कम होने की सम्भावना है।
- सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण हेतु ठोस और व्यावहारिक प्रयास किये जाने चाहिये। क्योंकि अधिकांश संकटग्रस्त ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही हैं।
- आर.बी.आई. को सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की भूमिका से मुक्त होकर स्वंतत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये।
- विनियामक संस्थाओं में प्रमुखों की नियुक्ति अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्पक्षता के आधार पर होनी चाहिये।

निष्कर्ष

वास्तविक रूप में फर्मों, कम्पनियों और उद्योगों की उत्पादकता तथा वृद्धि ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का मुख्य आधार है। इसलिये इन इकाइयों को उचित दर और शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय बाज़ार में बुनियादी सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम (India Energy Modeling Forum – IEMF)

संदर्भ

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की संचालक संरचना (Governing Structure) की घोषणा की गई है।

पृष्ठभूमि

2 जुलाई, 2020 को अमेरिका-भारत रणनीतिक उर्जा साझेदारी के तहत नीति आयोग तथा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की बैठक के दौरान सयुंक्त रूप से इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम (IEMF) का गठन किया गया था।

संरचना

इसकी संरचना में एक अंतर-मंत्रालयी समिति और एक संचालन समिति शामिल होगी।

- अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक नीति आयोग द्वारा बुलाई जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्तमान में अमिताभ कांत) द्वारा की जाएगी। इस समिति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति अध्ययन तथा मॉडलिंग गतिविधियों की समीक्षा करेगी।
- संचालन समिति में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, तकनीकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण कोष्ठ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, उद्योग संगठन, नीतिगत शोध, थिंक टैंक और वित्तीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- संचालन समिति द्वारा अध्ययन हेतु नीतिगत मुद्दों का निर्धारण किया जाएगा।

एनर्जी मॉडलिंग क्या है?

एनर्जी मॉडलिंग के अंतर्गत ऊर्जा प्रणालियों के विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर मॉडल तैयार किये जाते हैं। ये मॉडल ऊर्जा प्रणाली की व्यवहार्यता, हरित गैस उत्सर्जन, वित्तीय लागत, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और ऊर्जा दक्षता की जाँच तथा विश्लेषण कर आउटपुट प्रदान करते हैं।

इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के उद्देश्य

- ऊर्जा तथा पर्यावरण से सम्बंधित मुद्दों की जाँच तथा विश्लेषण करने हेतु एक मंच प्रदान करना।
- मॉडलिंग टीमों, सरकार, ज्ञान-भागीदारों और वित्तपोषकों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना तथा आपसी सहयोग को प्रोत्साहन देना।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा असम में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय 'परिवहन के विभिन्न साधनों वाले लॉजिस्टिक पार्क' (Multi Modal Logistic Park: MMLP) का शिलान्यास किया गया।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमि. (NHIDCL) को बोंगाईगाँव जिले के जोगीघोपा में पार्क के विकास का कार्य सौंपा है।
- इस पार्क से लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सम्पर्क की सीधी सुविधा प्राप्त होगी। इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' के तहत विकसित किया जाएगा।

भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project)

- भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास को समर्पित परियोजना है, जिसके अंतर्गत नए राजमार्गों के साथ-साथ अधूरी परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण को वर्ष 2021-22 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क वाली विकास परियोजना को शामिल किया गया है। बंदरगाहों, सड़कों, और राष्ट्रीय गलियारों को अधिक बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है।
- भारतमाला परियोजना में आर्थिक गलियारों की लम्बाई लगभग 25,000 कि.मी. से अधिक है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गलियारों का विकास शामिल है।

भारत और बांग्लादेश : प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आई.एम.एफ. द्वारा जारी 'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण' के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में भारत से आगे निकल गया है।

पृष्ठभूमि

आई.एम.एफ. के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10% से अधिक का संकुचन हो सकता है, जबकि कुछ समय पूर्व 4.5% के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया गया था। इन सबके बीच वर्ष 2020 में एक औसत बांग्लादेशी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय एक औसत भारतीय नागरिक की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होने के अनुमान ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है।

कारण

- आमतौर पर, देशों की तुलना जी.डी.पी. वृद्धि दर या निरपेक्ष जी.डी.पी. (Absolute GDP) के आधार पर की जाती है। आजादी के बाद अधिकांश समय इन दोनों गणनाओं के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से बेहतर ही रही है।

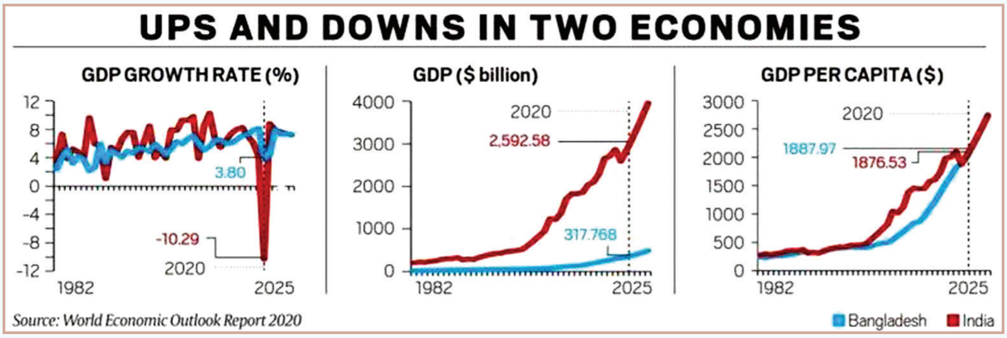

- उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि अधिकतर समय भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बांग्लादेश से 10 गुना अधिक रहा है और लगभग प्रत्येक वर्ष इसमें तीव्र वृद्धि हुई है।
- हालाँकि, प्रति व्यक्ति आय में भी समग्र जनसंख्या के रूप में एक अन्य चर भी शामिल होता है। कुल जनसंख्या द्वारा कुल जी.डी.पी. को विभाजित करके इसको प्राप्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, इस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय के बांग्लादेश से नीचे होने के तीन कारण हैं–
  - पहला कारण यह है कि वर्ष 2004 के बाद से बांग्लादेश की जी.डी.पी. वृद्धि दर काफी तेज़ रही है। फिर भी वर्ष 2004 और 2016 के मध्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष पदों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि भारत की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से तीव्र रही है। हालाँकि, वर्ष 2017 के बाद से भारत की विकास दर में गिरावट आई है, जबकि बांग्लादेश की वृद्धि दर और भी तेज़ हो गई है।
  - दूसरा कारण यह है कि 15 वर्ष की इस अवधि में भारत की जनसंख्या (लगभग 21%) बांग्लादेश की जनसंख्या (18% से भी कम) की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक पहले बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. भारत की जी.डी.पी से आधी थी।
  - सर्वाधिक तात्कालिक कारण वर्ष 2020 में दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 का सापेक्ष प्रभाव था। इस दौरान भारत की जी.डी.पी. में कमी का अनुमान है, जबकि बांग्लादेश की जी.डी.पी. में लगभग 4% वृद्धि की उम्मीद है।

पूर्व उदाहरण

- वर्ष 1991 में, गम्भीर आर्थिक संकट के दौरान जब भारत की वृद्धि दर 1% से कुछ ही अधिक थी तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. भारत से अधिक हो गयी थी। हालाँकि, इसके बाद भारत ने फिर से बढ़त प्राप्त कर ली।
- आई.एम.एफ. के अनुमानों से पता चलता है कि भारत में अगले वर्ष तेज़ी से वृद्धि की सम्भावना है, परंतु बांग्लादेश की जनसंख्या में कम वृद्धि दर और तीव्र आर्थिक विकास को देखते हुए निकट भविष्य में भारत और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय एक-दूसरे के काफी नजदीक रहने की सम्भावना है।

बांग्लादेश की तीव्र आर्थिक वृद्धि का कारण

- आजादी के बाद एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के श्रम कानून उतने कड़े नहीं थे और अर्थव्यवस्था में महिलाओं को तेज़ी से शामिल किया गया था, जिससे वहां की श्रम शक्ति में महिलाओं की उच्च भागीदारी देखी जा सकती है।
- विकास का एक प्रमुख संचालक कपड़ा उद्योग था, जहाँ महिला श्रमिकों ने बांग्लादेश को वैश्विक निर्यात बाज़ारों में बढ़त बनाने में सहायता प्रदान की।
- साथ ही, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि इसका सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। इसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान आता है। ये दोनों क्षेत्र कृषि की तुलना में अधिक पारिश्रमिक और रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि भारत में अभी भी बहुत से लोग कृषि पर निर्भर हैं।
- उत्तरोत्तर तीव्र विकास दर का एक प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बांग्लादेश में पिछले दो दशकों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई सामाजिक और राजनीतिक पैमानों में सुधार होना भी है।
- 154 देशों के नवीनतम लिंग समानता रैंकिंग में भी बांग्लादेश शीर्ष 50 में है, जबकि भारत 112वें पायदान पर है। यह रैंकिंग राजनीतिक व आर्थिक अवसरों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं के शैक्षिक प्राप्ति व स्वास्थ्य के अंतर को मापता है।

बांग्लादेश के समक्ष चुनौतियाँ

- पहली चुनौती गरीबी है, जिसका स्तर बांग्लादेश में अभी भी भारत की तुलना में बहुत अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार, 'गैर-कृषि क्षेत्र में दैनिक एवं स्व-नियोजित श्रमिकों तथा विनिर्माण क्षेत्र में वेतनभोगी श्रमिकों पर उच्चतम प्रभाव के साथ, वर्तमान समय में अल्पावधि में गरीबी में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।
- इसके अलावा, बांग्लादेश अभी भी भारत से बुनियादी शिक्षा मापदंडों में पीछे है और यही मानव विकास सूचकांक में इसकी निचली रैंक का कारण है।
- हालाँकि, बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर है। सार्वजनिक भ्रष्टाचार, कट्टरपंथी इस्लाम में भारी वृद्धि और राजनीतिक हिंसा यहाँ की एक बड़ी समस्या है।
- इन समस्याओं से न केवल बांग्लादेश के प्रगतिशील सामाजिक सुधारों में रुकावट आ सकती है बल्कि इसका आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- आई.एम.एफ. द्वारा जारी 'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण' के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में भारत से आगे निकल गया है।
- आमतौर पर, देशों की तुलना जी.डी.पी. वृद्धि दर या निरपेक्ष जी.डी.पी. (Absolute GDP) के आधार पर की जाती है।
- वर्ष 1991 में, गम्भीर आर्थिक संकट के दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. भारत से अधिक हो गयी थी।
- बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि इसका सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। इसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान आता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकॉनमी हैकथॉन (I-ACE)

चर्चा में क्यों?

अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सी.एस.आई.आर.ओ. (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation- CSIRO) की सहायता से भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकॉनमी हैकथॉन का आयोजन दिसम्बर, 2020 में किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- आई-ए.सी.ई. का विचार सर्वप्रथम भारत-ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की 4 जून की वर्चुअल मीटिंग में सामने आया था।
- आई-ए.सी.ई. के अंतर्गत भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के स्टार्ट-अप, एम.एस.एम.ई. तथा प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा नवाचारी तकनीकी समाधानों के विकास तथा उन्हें पहचान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- चयनित छात्रों को स्टार्टअप और एम.एस.एम.ई. से सम्बंधित नवाचारी समाधानों हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। प्रस्तावित हैकथॉन निम्नलिखित 4 विषयों पर केंद्रित होगा-
  1. पैकिंग अपशिष्ट को कम करने हेतु सीमित संसाधनों से पैकिंग क्षेत्र में नवाचार।
  2. भोजन की बर्बादी को कम करने हेतु खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार।
  3. प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी हेतु नए अवसरों की खोज।
  4. जटिल ऊर्जा धातु और अपशिष्ट पुनर्चक्रण हेतु नवाचार।

लाभ

- इससे अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का स्थाई समाधान निकलेगा तथा अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके भी सामने आएंगे।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया सयुंक्त रूप से अनुसंधान तथा विकास सम्बंधी प्रयासों में तीव्रता लाकर महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रभावी आर्थिक और सामाजिक समाधानों की खोज कर सकते हैं।
- आई-ए.सी.ई. से अर्थव्यवस्था को सीमित संसाधनों में बेहतर पर्यावरण अनुकूल आर्थिक विकास की दिशा में सहायता प्राप्त होगी।
- इस प्रयास से सर्कुलर इकॉनमी की चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त होगी।
- सर्कुलर इकॉनमी का मॉडल, व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन तथा उच्च आर्थिक विकास की दर प्राप्त करने में सहायक होगा।

नोटः सर्कुलर इकॉनमी में कचरे या अपशिष्ट की सहायता से नए उत्पाद और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

निष्कर्ष

सर्कुलर इकॉनमी की दिशा में सतत् और नवाचारी समाधानों को अपनाते हुए आगे बढ़ना समय की मांग है, क्योंकि ये समाधान न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि इनसे सतत् विकास को भी बढ़ावा मिलता है।

पोत यातायात निगरानी व्यवस्था (VTMS)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा समुद्री यातायात सेवा एवं पोत यातायात निगरानी व्यवस्था (Vessels Traffic Monitoring Systems : VTMS) हेतु स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधानों के विकास का अनावरण किया गया है।

मुख्य बिंदु

- जहाजरानी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वी.टी.एम.एस. सॉफ्टवेयर के विकास हेतु आई.आई.टी. चेन्नई को एक निश्चित राशि मंजूर की गई है।
- वी.टी.एम.एस. सॉफ्टवेयर प्रणाली आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप 'मेड इन इंडिया' तथा 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विज़न को साकार करेगी।
- ध्यातव्य है कि इस सॉफ्टवेयर को आगामी 10 महीनों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्वदेशी वी.टी.एम.एस. की आवश्यकता

- वर्तमान में भारतीय तट के साथ 15 वी.टी.एम.एस. प्रणाली कार्यरत हैं लेकिन इन प्रणालियों में एकरूपता का अभाव है।
- भारतीय बंदरगाहों के यातायात प्रबंधन हेतु उच्च लागत वाले विदेश निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा उपलब्ध सुविधाओं पर आश्रित रहने की बजाय देश की आवश्यकताओं के अनुकूल स्वदेशी प्रणाली के विकास पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

स्वदेशी वी.टी.एम.एस. के लाभ

- यह सॉफ्टवेयर पोत की स्थिति का पता लगाने, मौसम सम्बंधी चेतावनी देने, समुद्री वातावरण, आस-पास के किनारों के क्षेत्रों, कार्य स्थलों और समुद्री यातायात के सम्भावित दुष्प्रभावों से सुरक्षा करने में सहायक होगा।
- इस सॉफ्टवेयर की सहायता से समुद्री यातायात से सम्बंधित आपातकालीन स्थितियों से शीघ्रता से निपटा जा सकता है।
- यातायात परिचालन के आँकडों को प्रशासन, बंदरगाह प्राधिकरण, तटरक्षक बल द्वारा खोज और बचाव कार्यों हेतु महत्त्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित किया जा सकता है।
- भारतीय वी.टी.एम.एस. सॉफ्टवेयर की उपलब्धता से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कम्पनियों को वैश्विक स्तर पर निविदाओं और परियोजनाओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- स्वदेशी वी.टी.एम.एस. सॉफ्टवेयर के विकास से इस क्षेत्र में होने वाले विदेशी मुद्रा खर्च में कमी आएगी। साथ ही, अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी।

निष्कर्ष

भारत द्वारा इस सॉफ्टवेयर की सुविधाओं को भारत के व्यापार साझीदार जैसे मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और खाड़ी देशों को प्रदान किया जा सकेगा, जिससे इन देशों के साथ भारत के सम्बंध और मज़बूत होंगे। साथ ही, यह सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत के प्रभुत्व में वृद्धि करेगा।

विनियामक सैंडबॉक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा 'विनियामक सैंडबॉक्स' की रूपरेखा पेश की गई है।

मुख्य बिंदु

- यह विनियामक सैंडबॉक्स गिफ्ट सिटी में संचालित किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत पूंजी बाज़ार, बैंकिंग, बीमा, पेंशन और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को नवाचारी फिनटेक समाधानों (Innovative FinTech Solutions) के प्रयोग पर कुछ सुविधाएँ तथा छूट प्रदान की जाएगी।
- पूंजी बाज़ार, बैंकिंग, बीमा और पेंशन के क्षेत्र में सभी इकाइयाँ तथा एफ.ए.टी.एफ. के अनुवर्ती क्षेत्राधिकार (Compliant Jurisdiction) में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा स्टार्टअप विनियामक सैंडबॉक्स में भागीदारी के पात्र होंगे।
- इस सैंडबॉक्स में इच्छुक इकाइयों को अपने नवाचारी फिनटेक समाधानों, अवधारणाओं तथा व्यवसायों के मॉडल के प्रदर्शन हेतु आई.एफ.एस.सी.ए. में आवेदन करना होगा।
- आई.एफ.एस.सी.ए. ने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स के निर्माण का भी सुझाव दिया है, जहाँ फिनटेक कम्पनियाँ अपने मॉडल का परीक्षण सुगमता से कर सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centers Authority– IFSCA)

- आई.एफ.एस.सी.ए. की स्थापना केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों' के विनियमन हेतु की गई है। इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) में स्थित है।
- आई.एफ.एस.सी.ए. गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी को एक विश्वस्तरीय फिनटेक हब विकसित करने हेतु वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) को प्रोत्साहित करता है।
- आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त तथा वित्तीय उत्पादों से सम्बंधित सुविधाएँ प्रदान करने के साथ ही उन्हें विनियमित भी किया जाएगा।

गिफ्ट सिटी

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT City) निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
- यह परियोजना साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है एवं गांधीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 12 किमी. की दूरी पर है।

ई.एस.जी. फंड (ESG Funds)

- 'ई.एस.जी. फंड' से आशय एन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस फंड से है। वर्ष 2018 के बाद से भारत में ये फंड्स निरंतर लोकप्रिय होते जा रहे हैं।
- ई.एस.जी. फंड म्यूचुअल फंड्स का ही एक प्रकार होते हैं। ये कम्पनियों में निवेश हेतु गैर-वित्तीय कारकों यथा– पर्यावरणीय, सामाजिक तथा गवर्नेंस सम्बंधी मुद्दों को आधार बनाते हैं।
- एस.बी.आई. मैग्नम इक्विटी ई.एस.जी. फंड, अवेंड्स इंडिया ई.एस.जी. फंड, क्वांटम इंडिया ई.एस.जी. इक्विटी फंड, एक्सिस ई.एस.जी. आदि भारत में कार्यरत कुछ प्रमुख ई.एस.जी. फंड्स हैं।

- इन ई.एस.जी. फंड्स को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रत्येक ई.एस.जी. फंड किसी कम्पनी में निवेश करते वक्त स्वयं के द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करता है। यानी इनके द्वारा अपनाई जाने वाली निवेश नीति हेतु किसी संस्था द्वारा एक समान मानदंड घोषित नहीं किये गए हैं।
- ई.एस.जी. निगमित, सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से वृहद संकल्पना है। ई.एस.जी. निवेश का लाभ यह होता है कि इसे प्राप्त करने हेतु कम्पनियाँ अपनी पर्यावरणीय, नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को अधिक सक्रियता से निभाती हैं।

चरणबद्ध विनिर्माण नीति से जुड़े मुद्दे

पृष्ठभूमि

- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (Phased Manufacturing Policy- PMP) द्वारा शुरू में कम मूल्य की वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया तदोपरांत यह कार्यक्रम उच्च मूल्य घटकों/वस्तुओं के निर्माण और उनके निर्माताओं पर केंद्रित हो गया।
- इस योजना के तहत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर, परोक्ष प्रोत्साहन दिया जा रहा था।
- अन्य अर्थों में देखा जाए तो पी.एम.पी. को देश में मूल्यवर्धन क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिये हाल ही में, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तत्वावधान में मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र की 16 फर्मों को मंजूरी दी गई थी।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme - PLI) को पी.एम.पी. के अगले भाग के रूप में सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में लॉन्च किया गया था। ध्यातव्य है कि चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ था।

विचारणीय बिंदु

1) भारत में अधिक आयात और कम मूल्य संरक्षण

- एप्पल, ज़ियोमी, ओप्पो और वन-प्लस जैसी फर्मों ने भारत में निवेश किया है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ने अपने अनुबंध निर्माताओं के माध्यम से ही निवेश किया है।
- परिणामस्वरूप, इनका उत्पादन वर्ष 2016-17 में $13.4 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में $31.7 बिलियन हो गया।
- एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ (Annual Survey of Industries - ASI) के आँकड़ों से पता चलता है कि इन कम्पनियों ने मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिये 85% से अधिक इनपुट आयात किये थे।
- भारत, चीन, वियतनाम, कोरिया और सिंगापुर (2017-2019) से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के आँकड़े बताते हैं कि भारत को छोड़कर, सभी देशों ने आयात के सापेक्ष मोबाइल फोन के अधिकाधिक भागों का निर्यात किया था।
- इन देशों द्वारा आयात से अधिक निर्यात का होना यह दर्शाता है कि इन देशों में मूल्यवर्धन के लिये उचित मात्रा में सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- दूसरी ओर, भारत ने निर्यात की तुलना में आयात अधिक किया है।
- यद्यपि पी.एम.पी. नीति द्वारा घरेलू उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, किंतु स्थानीय मूल्य संरक्षण में अधिक सुधार नहीं हुआ है।
- इस प्रकार, भारत में घरेलू उत्पादन की बढ़ती लागत पर ही ध्यान दिया जा रहा है न कि स्थानीय मूल्य संरक्षण पर।
- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नई पी.एल.आई. नीति, वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।

2) चीन से प्रतिस्पर्धा

- भारत ने वर्ष 2018-19 के लिये लगभग 29 करोड़ यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन किया था; इनमें से लगभग 94% फोन घरेलू बाज़ार में ही बेचे गए।
- इससे यह पता चलता है कि पी.एल.आई. नीति के तहत वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री का ज़्यादातर हिस्सा, जो निर्यात बाज़ार के लिये होना चाहिये, वह सम्भव नहीं हो पा रहा है।
- हाल ही में, अंर्स्ट एंड यंग (Ernst & Young) के एक अध्ययन से पता चला है कि मोबाइल फोन के उत्पादन की लागत यदि 100 इकाई (बिना सब्सिडी के) है तो चीन में मोबाइल फोन के निर्माण की प्रभावी लागत (सब्सिडी और अन्य लाभों के साथ) 79.55, वियतनाम में 89.05 और भारत में (पी.एल. आई. सहित), 92.51 पड़ेगी।
- अत: मोबाइल विनिर्माण के एक बड़े हिस्से का चीन से भारत में स्थानांतरित होना अभी सम्भव नहीं लग रहा।

3) पी.एल.आई. वर्तमान निर्यात प्रतिस्पर्धा को मज़बूत नहीं करता है

- भारत का मोबाइल फोन निर्यात वर्ष 2018-19 में $1.6 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में $3.8 बिलियन हो गया, लेकिन प्रति यूनिट मूल्य क्रमश: $91.1 से घटकर $87 डॉलर हो गया।
- इससे पता चलता है कि हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा, कम बिक्री मूल्य के मोबाइल क्षेत्रों में है।
- पी.एल.आई. नीति के तहत चुनी गई विदेशी फर्मों के लिये, प्रोत्साहन 15,000 रुपए ($204.65) या इससे अधिक होगा। जिससे यह स्पष्ट है कि पी.एल.आई. नीति मोबाइल फोन क्षेत्र में हमारी मौजूदा निर्यात प्रतिस्पर्धा को अधिक मज़बूत नहीं कर पा रही है।

4) घरेलू फर्मों की अनुपस्थिति

- भारतीय बाज़ार से घरेलू फर्मों की भागीदारी लगभग समाप्त हो गई है।
- घरेलू फर्मों के पास अन्य कम आय वाले देशों को सस्ता मोबाइल फोन निर्यात करने का मार्ग ही शेष है।
- हालाँकि इस क्षेत्र में भी विगत वर्षों में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

5) आपूर्ति श्रृंखला का महत्त्व

- जिन छह फर्मों को 'निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स सेगमेंट' के तहत मंजूरी दी गई है, वे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को पूरा नहीं करती हैं।
- उदाहरण के लिये, जब सैमसंग ने वियतनाम में अपनी फर्म स्थापित की, तो वह अपने कोरियाई आपूर्तिकर्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर थी। हालाँकि, सैमसंग ने भारत में भी बहुत अधिक निवेश किया है, लेकिन भारत में इसकी कोई भी आपूर्ति शृंखला या उससे जुड़ी कम्पनी स्थित नहीं है।
- इसलिये, पी.एल.आई. नीति के तहत चुनी गई विदेशी फर्मों को देश में अपनी आपूर्ति पारिस्थितिकी प्रणालियों का प्रयोग करने या उनका निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- पी.एम.पी. नीति, 2016-17 के बाद से उद्योग में घरेलू मूल्य संरक्षण को बढ़ाने में अधिक मददगार साबित नहीं हुई है, हालाँकि इससे उत्पादन की लागत में काफी विस्तार हुआ है।
- भारत को पूर्वी एशियाई देशों की विनिर्माण नीति से बहुत कुछ सीखने की जरुरत है। साथ ही, लुक ईस्ट नीति को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से स्वयं को बाहर कर लेने के बाद भारत के विनिर्माण क्षेत्र में जो अंतराल आया है वह वापस इसी स्तर की बड़ी परियोजना या नीति के कार्यान्वयन से ही भरा जा सकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम *(Phased Manufacturing Policy- PMP)*

- मई 2017 में सेलुलर मोबाइल हैंडसेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MieTY) के तहत पी.एम.पी. की शुरुआत की गई थी।
- इसका उद्देश्य मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण में शामिल चुनिंदा उत्पादों पर कर राहत एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत मोबाइल फोन के विभिन्न घटकों के घरेलू विनिर्माण को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना *(Production Linked Incentive Scheme)*

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को अप्रैल 2020 में, भारत सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा एकत्रण (Assemble), परीक्षण (Testing), मार्किंग (Marking) एवं पैकेजिंग (Packaging) आदि इकाइयों एवं विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित करने के लिये मंजूरी प्रदान की गई थी।
- इस योजना के तहत भारत में निर्मित तथा लक्षित खंडों के क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर योग्य कम्पनियों को आधार वर्ष के बाद, पाँच वर्षों की अवधि के लिये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- इसके अंतर्गत मोबाइल विनिर्माण एवं विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत 6 प्रमुख वैश्विक कम्पनियों एवं कुछ घरेलू कम्पनियों को तथा भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124 | पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | Website: www.sanskritiIAS.com Follows us on:

10 कृषि

कृषि अधिनियम और संघवाद

पृष्ठभूमि

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वे नए कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं। साथ ही, केरल और पंजाब ने इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय किया है। इससे सम्बंधित प्रमुख और मूल प्रश्न है कि क्या कानूनों का अधिनियमित होना संघीय सिद्धांत का उल्लंघन है?

कानून के पक्ष और विपक्ष में तर्क

- सरकार का दावा है कि ये अधिनियम भारतीय कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगें और निजी निवेश को आकर्षित करेंगे।
- किसानों का (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, 2020 अनुबंध खेती के लिये आधार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत किसान कॉर्पोरेट निवेशकों के साथ अनुबंध के तहत फसलों का उत्पादन कर सकेंगें।
- किसानों को डर है कि प्रभावशाली निवेशक उन्हें बड़े कॉर्पोरेट कानून फर्मों द्वारा तैयार किये गए प्रतिकूल अनुबंधों के लिये बाध्य करेंगे और इसमें देयताओं व दायित्वों से सम्बंधित ज़्यादातर मामलें किसानों की समझ से परे होंगें।
- सरकार के अनुसार यह विधेयक किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देता है। विपक्ष का कहना है कि इससे कृषि का निगमीकरण होगा।
- पंजाब और हरियाणा इस विरोध के केंद्रबिंदु हैं। यहाँ पर बाज़ार शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क और आढ़तिया कमीशन 2-3% है। ये इन राज्यों में राजस्व के बड़े स्रोत हैं। राज्यों को नए कानूनों के तहत ए.पी.एम.सी. क्षेत्रों के बाहर बाज़ार शुल्क/उपकर लगाने की अनुमति नहीं है, जिससे अनुमानत: पंजाब और हरियाणा को क्रमश: 3,500 करोड़ रुपये और 1,600 करोड़ रुपये की क्षति हो सकती है।

कानूनों की संवैधानिकता सम्बंधी सवाल

- 'भारत संघ बनाम एच. डी. फिलोन' (वर्ष 1972) मामले के अनुसार, संसदीय कानूनों की वैधानिकता को केवल दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला वह विषय राज्य सूची में शामिल हो तथा दूसरा वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।
- आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय संसदीय कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी.ए.ए. और यू.ए.पी.ए. पर भी रोक नहीं लगाई गई थी।
- कृषि सम्बंधी दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उस संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके तहत संसद को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

संघवाद का मुद्दा

- संघवाद का वास्तविक मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों को एक-दूसरे के मध्य समन्वय के साथ उनके लिये आवंटित क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करने वाली तीन सूचियाँ हैं।

- संघ सूची में 97 विषय हैं, जिन पर संसद को अनुच्छेद 246 के अनुसार कानून बनाने की विशेष शक्ति है। राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु अनुच्छेद 254 के अनुसार किसी मतभेद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है।
- संसद संविधान में निर्धारित कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है।
- 'पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ'(वर्ष 1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान संघीय नहीं है। हालाँकि, 'एस. आर.बोम्मई बनाम भारत संघ' (वर्ष 1994) मामले में नौ-न्यायाधीशों वाली बेंच ने संघवाद को संविधान के बुनियादी ढ़ाँचे का हिस्सा बताया।
- केंद्र व राज्य से सम्बंधित विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 254 में किया गया है। राज्य की स्थिति संविधान संरचना में संघीय है और वह अपने विधायी व कार्यकारी शक्ति के मामलें में स्वतंत्र है।

विधायी शक्तियों की योजना और कृषि

- संघ सूची में कृषि से सम्बंधित आय और परिसम्पत्तियों को छोड़कर अन्य विषयों पर कर और शुल्क लगाने का प्रावधान है।
- राज्य सूची में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान व बीमारी, भूमि पर अधिकार, पट्टेदारी, कृषि भूमि का हस्तांतरण और कृषि ऋण का उल्लेख है। साथ ही बाज़ार, कृषि ऋणग्रस्तता से मुक्ति, भूमि राजस्व, भूमि रिकॉर्ड, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि का उत्तराधिकार और कृषि भूमि के सम्बंध में सम्पत्ति शुल्क का भी उल्लेख है।
- यह स्पष्ट है कि केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची कृषि से सम्बंधित मामलों को संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखती है तथा राज्य विधानसभाओं को विशेष शक्ति प्रदान करती है।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि के अधीन राज्य सूची की प्रविष्टि

- समवर्ती सूची में व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और घरेलू तथा आयातित उत्पादों के वितरण का उल्लेख है, जिस पर संसद का सार्वजनिक हित के संदर्भ में नियंत्रण है। इसमें तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थों, पशुओं के चारे, कच्चा कपास और जूट भी शामिल हैं।
- इसलिये केंद्र तर्क दे सकता है कि अनुबंध कृषि और अंत:राज्य व अंतर-राज्य व्यापार पर कानूनों को पारित करना और राज्यों को ए.पी.एम.सी. क्षेत्रों के बाहर शुल्क/उपकर लगाने से रोकना उसकी शक्तियों के अंतर्गत आता है।
- हालाँकि, शिक्षा की तरह कृषि भी एक व्यवसाय ही है, न कि व्यापार या वाणिज्य। यदि खाद्य पदार्थो को कृषि का पर्याय माना जाता है तो कृषि के सम्बंध में राज्यों की सभी शक्तियाँ निरर्थक हो जाएंगी।
- 'राजस्थान राज्य बनाम जी. चावला' (वर्ष 1959) जैसे मामलों में अदालत ने सूचियों की प्रविष्टियों के बीच अतिव्याप्ति (Overlap) वाले कानून के चरित्र व स्थिति को निर्धारित करने हेतु 'तत्त्व व सार' (Pith and Substance) के सिद्धांत का उपयोग किया है।
- यदि कोई विषय किसी एक सूची में काफी हद तक कवर होता है और दूसरी सूची में केवल प्रसंगवश शामिल है, तो कानून की संवैधानिकता को पहली सूची के अनुसार बरकरार रखा जाता है। हालाँकि, दो नए कृषि अधिनियम इसके दायरे में नहीं आते हैं और वे राज्य सूची में शामिल प्रविष्टियों पर लागू होते हैं।
- सूचियों की व्याख्या करने में 'बिहार बनाम कामेश्वर सिंह' (वर्ष 1952) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'छद्म विधायन' (Colourable Legislation) के सिद्धांत को लागू किया, जिसका अर्थ है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं।
- 'आई.टी.सी.लि. बनाम ए.पी.एम.सी.' मामले (वर्ष 2002) में उच्चतम न्यायालय ने कृषि उपज विपणन से सम्बंधित कई राज्य कानूनों की वैधता को बरकरार रखा और कहा है कि कच्चे माल या गतिविधि, जिसमें निर्माण या उत्पादन शामिल नहीं है, को 'उद्योग' के तहत कवर नहीं किया जा सकता है।

सरकार का पक्ष

- अशोक दलवई और रमेश चंद की अध्यक्षता वाली समितियों ने सिफारिश की कि 'कृषि बाज़ार' को समवर्ती सूची में रखा जाए। सिफारिशों में यह निहित है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि के तहत 'खाद्य पदार्थ' कृषि बाज़ारों पर कानून बनाने के लिये संसद को समर्थ नहीं बनाता है।
- वर्ष 2015 में सरकार ने लोकसभा को बताया कि 'राष्ट्रीय किसान आयोग' (स्वामीनाथन आयोग) ने 'कृषि बाज़ार' को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। हालाँकि, मार्च 2018 में सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका 'कृषि बाज़ार' को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का कोई इरादा नहीं है।

निष्कर्ष

राज्य सूची में कृषि के सम्बंध में कोई भी प्रविष्टि, संघ या समवर्ती सूची में किसी भी प्रविष्टि के अधीन नहीं है। शक्तियों के पृथक्करण की तरह संघवाद का उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन यह भारत की संवैधानिक योजना का सार है।

उर्वरक सब्सिडी की संरचना में बदलाव

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार किसी फसली मौसम के दौरान किसी एक किसान द्वारा व्यक्तिगत रूप से खरीदी जा सकने वाली उर्वरक की मात्रा या उर्वरक के बोरों (Fertilizer Bags) की संख्या को सीमित करने पर विचार कर रही है।

उर्वरक सब्सिडी

- किसान अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक खरीदते हैं। यह मूल्य उर्वरक की सामान्य आपूर्ति और मांग-आधारित बाज़ार दरों से कम या उनका उत्पादन/आयात करने में होने वाले खर्च से कम होता है।
- उदाहरणस्वरूप, नीम-कोटेड यूरिया के संदर्भ में केंद्र द्वारा उसके मूल्य को निश्चित कर दिया जाता है, जबकि इसके घरेलू निर्माताओं और आयातकों का 'औसत लागत-सह-मूल्य' इसके निर्धारित मूल्य से अधिक होता है। इस प्रकार होने वाले अंतर को केंद्र द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। संयंत्र-आधारित उत्पादन लागत और आयात मूल्य के अनुसार यह अंतर भिन्न-भिन्न होता है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों की एम.आर.पी. कम्पनियों द्वारा विनियंत्रित या तय की जाती है और केंद्र द्वारा इन पोषक तत्वों पर एक प्रकार से सीधी सब्सिडी (Flat Subsidy) का भुगतान यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि उनकी कीमत 'उचित स्तर' पर बनी रहे।

सब्सिडी के भुगतान का तरीका और पात्र

- सब्सिडी उर्वरक कम्पनियों को प्रदान की जाती है, हालाँकि इसका अंतिम लाभार्थी किसान होता है, जो बाज़ार निर्धारित दरों से कम एम.आर.पी. का भुगतान करता है।
- हाल के समय तक, कम्पनियों को उनके द्वारा बैग्ड सामग्री (Bagged Material) को किसी ज़िले के रेलहेड पॉइंट या स्वीकृत गोदाम में भेजे जाने के बाद भुगतान किया जाता था।
- मार्च 2018 से 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (डी.बी.टी.) प्रणाली के प्रारम्भ के साथ कम्पनियों को सब्सिडी का भुगतान खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसानों को वास्तविक बिक्री के बाद ही होगा।
- प्रत्येक रिटेलर के पास अब एक 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (PoS) मशीन होती है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ खरीदार का नाम और उर्वरक की खरीदी गई मात्रा को दर्ज किया जाता है। यह 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (PoS) मशीन उर्वरक विभाग के 'ई-उर्वरक DBT पोर्टल' से जुड़ी होती है।

- सब्सिडी प्राप्त उर्वरक खरीदने वाले किसानों को आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड नम्बर की आवश्यकता होती है। ई-उर्वरक प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने वाली बिक्री पर ही कोई कम्पनी सब्सिडी का दावा कर सकती है।

नई भुगतान प्रणाली का अंतर्निहित उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य व्यपवर्तन (Diversion) पर अंकुश लगाना है। अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त होने के कारण यूरिया की गैर-कृषि उपयोग की सम्भावना बनी रहती है।
- नेपाल और बांग्लादेश में तस्करी किये जाने के अलावा उर्वरक का प्रयोग प्लाईवुड/पार्टिकल बोर्ड निर्माताओं द्वारा बाइंडर (ज़िल्द) के रूप में, पशु आहार निर्माताओं द्वारा सस्ते प्रोटीन स्रोत या दूध विक्रेताओं द्वारा मिलावट के लिये किया जाता है।
- पहले की प्रणाली में लीकेज की सम्भावना अधिक थी। हालाँकि, डी.बी.टी, बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण और 'पॉइंट-ऑफ-सेल' मशीनों के प्रयोग के कारण लीकेज में कमी आई है और बहुत कम मामलों में यह केवल खुदरा स्तर पर ही सम्भव है।

प्रस्तावित कदम

- वर्तमान नीति के अनुसार गैर-कृषकों सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में PoS मशीनों के माध्यम से उर्वरकों की खरीद कर सकता है। इससे अनपेक्षित लाभार्थी भी थोक खरीद कर सकते हैं, जो वास्तविक या पात्र किसान नहीं हैं।
- एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा 100 बैग खरीदे जा सकने की एक सीमा निर्धारित है परंतु खरीदी जा सकने योग्य उर्वरक की मात्रा या बोरों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- वर्तमान में खरीफ या रबी फसल के मौसम में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकने वाले बैगों की संख्या को निश्चित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उर्वरक की आवश्यक मात्रा

- प्राथमिक तौर पर उर्वरक की आवश्यक मात्रा फसल पर निर्भर करती है। सिंचित क्षेत्र में गेहूँ या धान उगाने वाला किसान प्रति एकड़ यूरिया के 45 किग्रा. के लगभग 3 बैग, डी.ए.पी. का 50 किग्रा. का एक बैग और पोटाश लवण (MOP) का आधा बैग (25 किग्रा.) इस्तेमाल कर सकता है।
- इस प्रकार, उर्वरक के 100 बैग (बोरे) 20 एकड़ कृषि भूमि के लिये फसली मौसम की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो सकते हैं।
- सम्भवत: यह एक उचित सीमा हो सकती है और अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता की स्थिति में गैर-रियायती दरों का भुगतान करना पड़ सकता है।

कृषि उपकरणों पर कर और किसान

- किसान इनपुट्स पर वस्तु और सेवा कर (GST) का भुगतान करते हैं, जो ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों, पम्पों और ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों पर 12% से लेकर फसल सुरक्षा रसायनों पर 18% तक है। उर्वरक पर भी 5% कर लगता है।
- चूँकि कृषि उपज पर कोई जी.एस.टी. देय नहीं है, इसलिये किसान अन्य व्यापारियों की तरह अपनी बिक्री पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर सकते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र किसानों को फ्लैट प्रति-एकड़ नकद सब्सिडी (Flat Per-Acre Cash Subsidy) देने पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये, जिसका उपयोग वे किसी भी उर्वरक की खरीद के लिये कर सकते हैं।

- उगाई गई फसलों की संख्या और भूमि के सिंचित या असिंचित होने में भिन्नता के आधार पर यह राशि भिन्न हो सकती है।
- यह उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग को रोकने का एकमात्र स्थायी समाधान होने के अतिरिक्त उचित मृदा परीक्षण एवं फसल-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सही पोषक तत्व संयोजन के साथ उर्वरकों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग को भी प्रोत्साहित करता है।

कालेश्वरम परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NST) ने तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को दी गई मंजूरी को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन माना है।

मुख्य बिंदु

- एन.जी.टी. ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक पेयजल आपूर्ति को छोड़कर परियोजना के सभी कार्यो पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
- साथ ही, एन.जी.टी. ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी में पूर्वव्यापी कई प्रक्रियागत अनियमितताओं की भी अनदेखी की गई है।
- एन.जी.टी. ने इस परियोजना से हुए पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) गठित करने को कहा है।
- यह समिति राहत और पुनर्वास हेतु उपायों के सम्बंध में भी सुझाव देगी।
- एन.जी.टी. का कहना है राज्य सरकार ने मंजूरी के प्रस्ताव में केवल पेयजल आपूर्ति से सम्बंधित पक्षों का ही उल्लेख किया था।

एन.जी.टी. के निर्णय का प्रभाव

- इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे किसानों को अब सिंचाई सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
- इस निर्णय से राज्य सरकार की पर्यावरण प्रतिबद्धताओं पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)

- यह विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना राज्य को पेयजल और सिंचाई हेतु जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसमें गोदावरी नदी के पानी को लिफ्ट करने हेतु 139 मेगावाट की क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा पम्पिंग स्टेशन बनाया गया है।
- इससे पहले अमेरिका में कोलोराडो नदी पर निर्मित वाटर लिफ्ट परियोजना तथा लीबिया (अफ्रीका) में मानव निर्मित नदी पर बनी वाटर लिफ्ट परियोजना सबसे बड़ी वाटर लिफ्ट परियोजनाएँ थीं।

11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विकिरण-रोधी मिसाइल 'रुद्रम' : विकास और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने विकिरण-रोधी मिसाइल 'रुद्रम' का सफल परीक्षण किया है।

पृष्ठभूमि

'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली 'न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल' (NGARM) का एक और सफल परीक्षण किया है। इस प्रणाली को 'रुद्रम-1' भी कहा जाता है। इसका परीक्षण भारत के पूर्वी तट पर स्थित बालासोर के 'एकीकृत परीक्षण रेंज' (ITR) से किया गया। भारतीय वायु सेना के लिये विकसित भारत की पहली स्वदेशी 'एंटी-रेडिएशन मिसाइल : रुद्रम' का 'सुखोई- 30 एम.के.आई.' जेट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। 'शौर्य मिसाइल' या 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (HSTDV) के हालिया परीक्षणों के अतिरिक्त यह स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणालियों का एक अन्य परीक्षण है।

विकिरण-रोधी मिसाइल (Anti-Radiation Missile)

- एंटी-रेडिएशन मिसाइलों को विरोधियों या शत्रुओं के रडार, संचार साधनों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने तथा उनको ट्रैक व प्रभावहीन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि रडार, संचार साधन और रेडियो आवृत्ति स्रोत को सामान्यतया वायु रक्षा प्रणालियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जाता हैं।
- इस तरह के मिसाइल नेविगेशन तंत्र में एक 'जड़त्वीय पथ-प्रदर्शन प्रणाली' (Inertial Navigation System) शामिल होती है, जो उपग्रह आधारित जी.पी.एस. से जुड़ी होती है। 'जड़त्वीय पथ-प्रदर्शन प्रणाली' एक कम्प्यूटरीकृत तंत्र है, जो लक्ष्य या पिंड की स्थिति में त्वरित परिवर्तन होने पर भी सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम है।
- मार्गदर्शन या पथप्रदर्शन के लिये यह 'पैसिव होमिंग हेड' (Passive Homing Head : PHH) प्रणाली से सुसज्जित होती है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवृत्तियों के एक विस्तृत बैंड पर (इस मामले में रेडियो आवृत्ति स्रोत) लक्ष्यों का पता लगाने, वर्गीकृत और इंगेज करने का कार्य कर सकती है।
- एक बार लक्ष्य निर्धारित या लॉक हो जाने के बाद विकिरण के स्रोत को बीच में बंद कर देने पर भी 'रुद्रम मिसाइल' सटीकता से प्रहार करने में सक्षम है।
- लड़ाकू जेट से प्रक्षेपण मापदंडों के आधार पर मिसाइल की परिचालन सीमा 100 किमी. से अधिक है।

रुद्रम : विकास-क्रम

- 'रुद्रम' हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसका डिज़ाइन और विकास डी.आर.डी.ओ. (DRDO) द्वारा किया गया है।
- डी.आर.डी.ओ. ने लगभग आठ वर्ष पूर्व विकिरण रोधी मिसाइलों का विकास आरम्भ किया था। लड़ाकू जेट विमानों के साथ इसका एकीकरण वायुसेना और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की विभिन्न डी.आर.डी.ओ. सुविधाओं व संरचना इकाइयों का एक संयुक्त प्रयास है।

- अभी इस प्रणाली का परीक्षण सुखोई- 30 एम.के.आई. से किया गया है। बाद में इसे अन्य लड़ाकू जेट विमानों से भी लॉन्च के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
- चूँकि इन मिसाइलों को अत्यंत जटिल और संवेदनशील लड़ाकू जेट्स से ले जाना और प्रक्षेपित किया जाना है, अतः लड़ाकू जेट के साथ इसके एकीकरण के अलावा 'विकिरण साधक प्रौद्योगिकियों' और 'मार्गदर्शन प्रणालियों' जैसे विकास काफी चुनौतीपूर्ण थे।
- 'एंटी-रेडिएशन मिसाइल' का संक्षिप्त रूप "ARM" होने के कारण इसका नाम 'रुद्रम' रखा गया है। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ 'दुखों का निवारण करने वाला' है।

ऐसी मिसाइलों का हवाई युद्ध में महत्त्व

- रुद्रम को भारतीय वायु सेना की 'शत्रु वायु रक्षा शमन' (Suppression of Enemy Air Defence : SEAD) क्षमता को बढ़ाने के लिये विकसित किया गया है।
- एस.ई.ए.डी. में युद्ध-रणनीति के कई पहलू शामिल हैं। हवाई संघर्ष के प्रारंभिक चरण में विकिरण-रोधी मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई रक्षा परिसम्पत्तियों पर हमले के लिये किया जाता है।
- विरोधियों के प्रारम्भिक चेतावनी रडार, कमान एवं नियंत्रण प्रणाली, निगरानी प्रणाली के संचालन को निष्क्रिय करना या बाधित करना बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। ये प्रणाली रेडियो आवृत्ति का उपयोग करती हैं और विमान भेदी हथियार के लिये इनपुट प्रदान करती है।
- आधुनिक युद्ध प्रणाली और रणनीति अधिक से अधिक नेटवर्क केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि इसमें विस्तृत स्तर पर पहचान, निगरानी व संचार प्रणाली शामिल होती है, जो हथियार प्रणालियों के साथ एकीकृत है।

अगला चरण

- 'अत्याधुनिक विकिरण ट्रैकिंग और मार्गदर्शन प्रणाली' से लैस इस मिसाइल प्रणाली का भारतीय वायु सेना के एक 'ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन' की मदद से अतीत में प्रारम्भिक परीक्षण किया जा चुका है।
- डी.आर.डी.ओ. के अनुसार इस परीक्षण में भी रुद्रम ने 'विकिरण लक्ष्य' पर पिनपॉइंट सटीकता के साथ प्रहार किया है। यह परीक्षण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- इस मिसाइल को वर्तमान में भारतीय वायु सेना में विभिन्न लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस प्रणाली को प्रवर्तन हेतु तैयार करने के लिये अभी कुछ अतिरिक्त उड़ान परीक्षणों की आवश्यकता होगी।

'K' मिसाइल समूह और इसका रणनीतिक महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया।

शौर्य मिसाइल

- शौर्य मिसाइल पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली भारत की K-15 (B-05) मिसाइल का उन्नत व स्थलीय संस्करण है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह बैलिस्टिक हथियार K-मिसाइल श्रेणी से सम्बंधित है, जो परमाणु पनडुब्बियों के 'अरिहंत वर्ग' से लॉन्च किये गए हैं। इसका कूटनाम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है।
- इस मिसाइल के उन्नत संस्करण की मारक क्षमता लगभग 750 कि.मी. है। यह मिसाइल मैक 7 या 2.4 किमी/सेकंड की रफ्तार से 50 किमी. की ऊँचाई पर लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम है।

- ओडिशा में शौर्य का उपयोगकर्ता (User) परीक्षण किया गया, जो छोटी दूरी की SLBM K-15 सागरिका का एक स्थलीय संस्करण है। भारत ने इस वर्ग की 3500 किमी. रेंज वाली K-4 मिसाइलों का विकास और सफल परीक्षण किया है।

महत्त्व

- शौर्य को अपने उच्च प्रदर्शन नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणालियों, कुशल प्रणोदन प्रणाली, परिष्कृत नियंत्रण प्रौद्योगिकियों और कनस्तरों के प्रक्षेपण के कारण विश्व की शीर्ष 10 मिसाइलों की सूची में रखा गया है।
- सरकार ने शौर्य स्ट्रैटजिक मिसाइल (Shaurya Strategic missile) को सेवा में शामिल करने की अनुमति दे दी है। शौर्य स्ट्रैटजिक मिसाइल को जल्दह ही उन स्थानों पर तैनात किया जाएगा, जिनकी पहचान 'भारतीय सामरिक बल', राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के साथ मिलकर करेंगे।
- सरकार की ओर से मिसाइल के स्थलीय संस्करण को विकसित किये जाने का निर्णय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मिसाइल को एकल वाहन द्वारा लॉन्च किया जा सकता है।
- स्थल-आधारित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की समान रेंज के साथ K-5 मिसाइल को परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा।

'K' वर्ग की मिसाइलें

- 'K' वर्ग में मुख्य रूप से पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें (Submarine Launched Ballistic Missiles- SLBM) हैं।
- इन 'नेवल प्लेटफॉर्म लॉन्च' मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु परीक्षण त्रय को पूरा करने के रूप में शुरू हुआ। इस त्रय में स्थल, समुद्र और वायु आधारों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता शामिल है।
- इन मिसाइलों को पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जाता है, अतः ये अपनी समकक्ष मिसाइलों (अग्नि शृंखला की मिसाइलें, जो मध्यम और अंतरमहाद्वीपीय श्रेणी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं) की तुलना में हल्की, छोटी और अधिक मारक हैं।

SLBM का सामरिक महत्त्व

- परमाणु हथियार को पनडुब्बी प्लेटफार्मों से लॉन्च करने की क्षमता परमाणु त्रय को प्राप्त करने के संदर्भ में बेहतर रणनीतिक महत्त्व रखती है, विशेष रूप से भारत की परमाणु हथियारों की 'नो फर्स्ट यूज' नीति के संदर्भ में।
- समुद्र आधारित व पानी के नीचे से लॉन्च की जा सकने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलें/पनडुब्बियाँ किसी देश की द्वितीय स्तर की प्रहार क्षमता में काफी वृद्धि करती हैं। एक तरह से ये परमाणु निरोध प्राप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
- ये पनडुब्बियाँ न केवल विपक्षियों द्वारा प्रथम प्रहार से बच सकती हैं, बल्कि जवाब में प्रहार व हमला भी शुरू कर सकती हैं, जिससे विश्वसनीय परमाणु निरोध प्राप्त हो सकता है।
- वर्ष 2016 में कमीशन प्राप्त परमाणु संचालित अरिहंत पनडुब्बी और उस वर्ग की अन्य पनडुब्बियाँ, जो पाइपलाइन में हैं, वे परमाणु हथियार के साथ मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम हैं।
- पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बंधों के मद्देनज़र इन क्षमताओं का विकास महत्त्वपूर्ण है। चीन ने कई पनडुब्बियों को तैनात किया है, जिनमें कुछ परमाणु शक्ति सम्पन्न हैं। यह क्षमता निर्माण भारत के परमाणु निरोध के लिये महत्त्वपूर्ण है।

हालिया का परीक्षण

- इस वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में डी.आर.डी.ओ. ने आंध्र प्रदेश राज्य के तट के जलमग्न प्लेटफॉर्मों से K-4 मिसाइल के दो सफल परीक्षण किये। ये परीक्षण अंततः INS अरिहंत पर K-4 को तैनात करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसमें पहले से ही K-15 तैनात है।
- शौर्य के हालिया परीक्षण में पहले की तुलना में कई उन्नत मापदंडों की जाँच की गई।
- कई आधुनिक मिसाइलों की तरह शौर्य एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए डिब्बों (Compartment) में संग्रहीत और संचालित होता है।
- कनस्तर में भीतर का नियंत्रित वातावरण इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाता है। इससे हथियारों की शेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है।
- यद्यपि ये परीक्षण डी.आर.डी.ओ. द्वारा किये गए परंतु इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। इसका सम्भावित कारण 'K वर्ग' की मिसाइल परियोजनाओं की वर्गीकृत प्रकृति और उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन (ATV-Advanced Technology Vehicle) परियोजना से उनका करीबी सम्बंध हो सकता है, जिसमें अरिहंत श्रेणी के जहाज शामिल हैं।
- इन प्रणालियों के हालिया परीक्षणों को क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र चीन और पाकिस्तान के लिये एक मज़बूत संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है।

नाग मिसाइल (NAG Missile)

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 22 अक्तूबर को तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल (ए.टी.जी.एम.) 'नाग' का पोखरण परीक्षण रेंज पर प्रयोक्ता द्वारा अंतिम परीक्षण (Final User Trial) किया गया।
- इस अंतिम प्रयोक्ता परीक्षण के बाद, अब नाग उत्पादन के चरण में प्रवेश करेगी। नाग मिसाइल का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड' द्वारा किया जाएगा, जबकि एन.ए.एम.आई.सी.ए. का उत्पादन मेडक स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

नाग मिसाइल

- 'ए.टी.जी.एम. नाग' को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा दिन और रात दोनों ही स्थितियों में टैंकों को निशाना बनाने हेतु विकसित किया गया है।
- नाग मिसाइल समग्र और प्रति-क्रियाशील कवच से लैस सभी मुख्य युद्धक टैंकों (Main Battle Tank : एम.बी.टी.) को नष्ट करने के लिये एक 'पैसिव होमिंग गाइडेंस' उपकरण के साथ-साथ 'दागो और भूल जाओ' तथा 'उच्च हमले' की क्षमताओं से लैस है।
- होमिंग गाइडेंस एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें मिसाइल में लगा रिसीवर लक्ष्य तक पहुँचने के लिये लक्ष्य से निकलने वाले विकिरण का उपयोग करता है।

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ (Monoclonal Antibodies)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव (IAVI) एवं सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने SARS-CoV-2 वायरस को बेअसर करने वाले मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ का उपयोग करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कम्पनी, 'मर्क' के साथ एक समझौते की घोषणा की है।
- IAVI एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, जो तत्काल रूप से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने की दिशा में कार्य करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। सीरम इंस्टिट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है।

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ क्या होते हैं?

- एन्टीबॉडीज़/प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली अधिकतर कोशिकाओं की प्रवृत्ति कभी-कभी केंसरकारी (Cancerous) हो जाती है, क्योंकि इन कोशिकाओं में विभाजन की असीमित तथा अनियंत्रित क्षमता उत्पन्न हो जाती है।
- कोशिकाओं के विभाजन (Division) से ऐसे अवयव को मायलोमा (Myeloma) कहते हैं। ये मायलोमा एकल कोशिका से प्राप्त होता है। अतः इस कोशिका से प्राप्त संतति कोशिकाओं (Daughter Cells) में एक समान जीन पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त क्लोन की यह विशेषता होती है कि समस्त कोशिकाएँ एक ही प्रकार की एन्टीबॉडीज़ का उत्पादन करती हैं।
- जर्मनी के जॉर्ज जे.एफ. कोहलर (Georges J. EKohler) एवं अर्जेंटीना के सीज़र मिल्सटेन (Cesar Milstein) ने वर्ष 1975 में अनुसंधान शालाओं में मायलोमा के एकल क्लोन से एन्टीबॉडीज़ (Antibodies) के उत्पादन की विधि विकसित की थी तथा इन्हें एकल क्लोनी प्रतिरक्षी या मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ (Monoclonal Antibodies) नाम दिया। इसके लिये कोहलर एवं मिल्सटीन को वर्ष 1984 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। दूसरी एन्टीबॉडीज़ की अपेक्षा मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ अधिक स्वच्छ एवं एकसमान होती है।
- इसके द्वारा ड्रोसीफिला (Drosophila) के गुणसूत्रों में Z-DNA को अंकित करने में सफलता प्राप्त की गई। केंसर व प्रतिरोधी तंत्र के उपचार में मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज़ का उपयोग किया जाता है।

वैज्ञानिकों द्वारा गले में नए अंग की खोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नीदरलैंड केंसर संस्थान के शोधकर्ताओं ने लार ग्रंथियों (Salivary Gland) का एक नया स्थान खोजा है।

शोध परिणाम/निष्कर्ष

- सिर और गर्दन पर विकिरण के दुष्प्रभावों की जाँच करने के दौरान शोधकर्ताओं को दो अनपेक्षित क्षेत्र मिले, जो नैजोफैरिंक्स (Nasopharynx) के पीछे उद्घाटित हो रहे थे। ये क्षेत्र पहले से ज्ञात प्रमुख लार ग्रंथियों के समान ही थे।

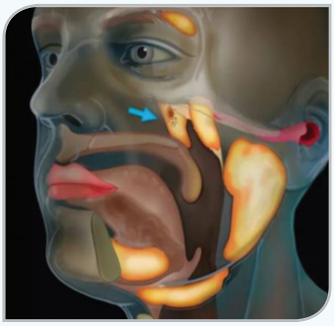

- नैजोफैरिंक्स नाक के पीछे, गले का ऊपरी भाग होता है। यह ग्रसनी का एक हिस्सा है।
- मानव शरीर में लार ग्रंथि प्रणाली में तीन प्रमुख युग्मित ग्रंथियाँ और 1,000 से अधिक छोटी/गौण ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो पूरे म्यूकोसा (Mucosa) में फैली रहती हैं।
- ये ग्रंथियाँ निगलने, पाचन, स्वाद, चर्वण और दंत स्वच्छता के लिये आवश्यक लार का स्त्रावण करती हैं।
- शोध के दौरान नैजोफैरिंक्स के पीछे एक द्विपक्षीय संरचना मिली, जो लार ग्रंथियों की विशेषताओं से युक्त थीं। इस ग्रंथि के लिये 'ट्यूबरियल ग्रंथि' (Tubarial GlanosQ) नाम प्रस्तावित किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रंथियाँ मुख्य लार ग्रंथियों की चौथी जोड़ी के रूप में मान्य हो सकती हैं।
- प्रस्तावित नाम इसके शारीरिक स्थान पर आधारित है। अन्य तीन ग्रंथियों को पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल कहा जाता है।
- हालाँकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन ग्रंथियों को गौण ग्रंथि या प्रमुख ग्रंथि या एक अलग अंग या अंग प्रणाली के एक नए हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- इसके निष्कर्षों को 'रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी जर्नल' में प्रकाशित किया गया है।

शोध विधि

- शोधकर्ताओं के अनुसार ये ग्रंथियाँ कपाल के आधार (Base of the Skull) के अंतर्गत एक दुरूह पहुँच वाले शारीरिक स्थान पर अवस्थित हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे केवल नासिका एंडोस्कोपी का उपयोग करके ही देखा जा सकता है।
- सी.टी. स्केन, एम.आर.आई. और अल्ट्रासाउंड जैसी पारम्परिक इमेजिंग तकनीकों द्वारा इन ग्रंथियों को नहीं देखा जा सकता है।
- इस क्षेत्र का स्केन करने हेतु PSMA PET/CT स्केन नामक एक नए प्रकार के स्केन का उपयोग किया गया था, जो इन ग्रंथियों का पता लगाने के लिये आवश्यक उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रदान करने में सक्षम था।

इन ग्रंथियों का कार्य

- शोधकर्ताओं को मानना है कि इन ग्रंथियों का शारीरिक कार्य नैजोफैरिंक्स और ऑरोफैरिंक्स को नम और चिकना करना है।
- हालाँकि, अभी इसकी पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

इस खोज का महत्त्व

- शोधकर्ता इस खोज को सिर व गर्दन के केंसर तथा जिह्वा/जीभ व गले के ट्यूमर वाले रोगियों के लिये अच्छा संकेत मान रहे हैं क्योंकि उपचार के दौरान किसी भी जटिलता से बचने के लिये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट (विकिरण से केंसर की चिकित्सा करने वाले) इस क्षेत्र को बायपास करने में सक्षम होंगे। अर्थात् अब शरीर के इस भाग को विकिरण के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा, जो बोलने और निगलने जैसी जटिलताएँ उत्पन्न करते हैं।
- प्रमुख लार ग्रंथियों को विकिरण चिकित्सा के समय जोखिम से युक्त अंगों के (Organs-at-Risk) रूप में जाना जाता है और उनको रक्षित करने की आवश्यकता होती है।
- अब खोजी गई इन नई ग्रंथियों को भी रेडिएशन थेरेपी के समय प्रमुख लार ग्रंथियों की ही तरह सुरक्षित रखा जा सकता है।

आगे की राह

शोधकर्ताओं को अब यह पता लगाना है कि इन नई खोजी गई ग्रंथियों को विकिरण से केसे बचाया जाए ताकि रोगियों पर दुष्प्रभाव कम हो और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।

टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट : सम्बंधित पहलू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुछ टेलीविज़न चैनलों पर टी.आर.पी. में हेर-फेर का मामला सामने आया है।

टी.आर.पी. (Target/Television Rating Point : TRP)

- 'टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट' (TRP) को 'टार्गेट रेटिंग पॉइंट' भी कहा जाता है। टी.आर.पी. यह दर्शाता है कि किसी निश्चित एवं तय समय अंतराल में कितने दर्शक किसी विशेष टी.वी. शो को देख रहे हैं।
- टी.आर.पी. लोगों की पसंद और किसी चैनल या शो की लोकप्रियता बताता है। इसका प्रयोग विपणन व विज्ञापन एजेंसियों द्वारा दर्शकों की संख्या के मूल्यांकन हेतु किया जाता है।

- टी.आर.पी. को मापने के लिये कुछ जगहों पर 'पीपल्स मीटर' (People's Meter) लगाए जाते हैं। आई.एन.टी.ए.एम. (INTAM) और बार्क (BARC) जैसी एजेंसियाँ किसी टीवी शो की टी.आर.पी. को मापती हैं।
- ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा 'बार-ओ-मीटर्स' (Bar-O-Meters) का उपयोग करके टी.आर.पी. को रिकॉर्ड किया जाता है। यह मीटर कुछ चयनित घरों के टी.वी. सेट में लगाए जाते हैं।

टेलीविज़न मीडिया

- आज टेलीविज़न शायद किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार के विज्ञापन व प्रचार के लिये सबसे बड़ा और उपयुक्त माध्यम है क्योंकि भारत में प्रति सप्ताह लगभग 760-800 मिलियन लोग टी.वी. देखते हैं।
- ग्रामीण भारत में टी.वी. की पहुँच लगभग 52% है, जबकि शहरी भारत में यह लगभग 87% है। इस उद्योग के कुल राजस्व में लगभग 40% विज्ञापन से तथा 60% वितरण व सब्सक्रिप्शन सेवाओं से प्राप्त होता है।
- डेंट्सु (विज्ञापन से सम्बंधित कम्पनी) के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का कुल विज्ञापन बाज़ार 10-12 बिलियन डॉलर के मध्य है, जिसमें से डिजिटल विज्ञापन लगभग 2 बिलियन डॉलर का है।

टी.आर.पी. की प्रकृति

- पूर्व में भी कई चैनलों के लिये टी.आर.पी. प्रणाली में धांधली की गई है परंतु अब चैनल इस कार्य में स्वयं संलग्न हैं।
- टी.ए.एम. (टेलीविज़न ऑडियंस मेज़रमेंट) और आई.एन.टी.ए.एम. (इंडियन नेशनल टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट) के समय मोटर साइकिल सवारों को डाटा प्राप्त करने/मीटर लगाने और 'गोपनीय घरों' की पहचान करने के लिये भेजा जाता था।
- इन घरों को नए टेलीविज़न प्रदान किये जाते थे और उसमें एक विशेष चैनल को चालू कर दिया जाता था, जबकि घर के लोग नियमित टी.वी. सेट पर इच्छानुसार चैनल देखते थे।
- TAM और INTAM विभिन्न ग्राहकों के अनुरूप अलग-अलग रेटिंग रिपोर्ट दिया करते थे। बाद में BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) भी इन्हीं त्रुटिपूर्ण मीटरों का प्रयोग करने लगा है।
- इसके अतिरिक्त टी.आर.पी. के खेल में मीडिया से समझौता करने वाली एजेंसियों को फीस, कमीशन, आदि के रूप में अन्य उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।
- साथ ही ऑनलाइन चैनल जैसे- नेटफ्लिक्स और यूट्यूब न केवल यह जान सकते हैं कि दर्शकों ने क्या और कितनी देर तक देखा, बल्कि यह भी जान सकते है कि दर्शकों को क्या पसंद आ रहा है और वे किसकी अनदेखी कर रहे हैं।

आगे की राह

- आज हाइपर कनेक्टिविटी की दुनिया में इंटरनेट से जुड़े हुए 'बार-ओ-मीटर' के निर्माण के लिये आत्मनिर्भर होना होगा, जो न केवल चैनल-वार, बल्कि कार्यक्रम-वार और घंटे-वार डाटा भी देते हों। इस तरह रेटिंग की माप असतत्, आवधिक और छेड़छाड़ से युक्त होने की बजाय निरंतर और पारदर्शी होगी।
- 'ऑफकॉम' और 'फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन', यू.के. और अमेरिका में टी.आर.पी. के दो मुख्य स्वतंत्र नियामक हैं। इनमें आमतौर पर कॉरपोरेट जगत के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी शामिल होते हैं। भारत में भी ऐसा किया जा सकता है।
- यदि किसी विशेष विचारधारा की सरकार एक नियामक नियुक्त करती है तो यह लगभग पक्षपातपूर्ण माना जाएगा। इस समस्या को भी दूर करने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, 'BARC : स्व-नियमन' या 'संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण' के मध्य चुनाव भी एक मुद्दा है।

निष्कर्ष

भारत जैसे देश में किसी संस्थान या व्यक्ति द्वारा विनियमित होने की प्रवृति में कमी पाई जाती हैं। न्यायाधीशों का मानना है कि वे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की तुलना में बेहतर तरीके से स्व-विनियमन कर सकते हैं। इसी प्रकार मीडिया, विशेष रूप से टेलीविज़न मीडिया, स्व-विनियमन की ही बात करता है।

भारत में नवाचार की बढ़ती सम्भावनाएँ

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ तथा पहलें शुरू की गई हैं, जिनके महत्त्व तथा चुनौतियों के सम्बंध में चर्चा आवश्यक है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत इंटरनेट उपयोग के मामले में सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला देश है। वर्तमान में यहाँ 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं तथा वर्ष 2025 तक इनके 974 मिलियन होने की सम्भावना है।
- जैम ट्रिनिटी (जन-धन, आधार और मोबाइल) के अंतर्गत 404 मिलियन जन-धन खातों के साथ ही 1.2 बिलियन आधार कार्ड तथा 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हैं।
- भारत की जी.डी.पी. में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से वर्ष 2035 तक 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की सम्भावना है।
- नवाचार नए उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से समाज के रहन-सहन को सुगम बनाते हैं तथा उन्हें नई दिशा प्रदान करते हैं।

भारत के प्रयास

- भारत द्वारा 2 अक्तूबर को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट या वैभव समिट का आयोजन किया गया था। इसमें 55 देशों के 3,000 से अधिक भारतीय मूल के विदेशी शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों के साथ ही 10,000 भारतीयों ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य विज्ञान, अनुसंधान और शोध को बढ़ावा देना है।
- 5 से 9 अक्तूबर तक सामाजिक सशक्तिकरण के लिये ज़िम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता या 'रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट', 2020 (RAISE, 2020) शिखर सम्मलेन का आयोजन किया गया।
- RAISE, 2020 सामाजिक सशक्तिकरण के लिये जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमता विषय पर आधारित एक वैश्विक सम्मलेन है। इस सम्मलेन में सामाजिक परिवर्तन, स्वास्थ्य, समावेशी कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्रों में सशक्तिकरण पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
- भारत में नवाचार को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने हेतु कई पहलें शुरू की गई हैं। जैसे- हाल ही में, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत mapmyindia तथा setu (स्टार्टअप) को पुरस्कृत किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु स्टार्स (स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेज - STARS) योजना शुरू की गई है।
- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing- KIRAN) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता से सम्बंधित चुनौतियों का समाधान करना है।
- अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (Innovation in science pursuit for Inspired Research– INSPIRE)। इस योजना के तहत मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन तथा अनुसंधान व विकास हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- युवा आबादी को राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ने हेतु स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसके अंतर्गत नवाचारी तकनीकी प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाता है।

महत्त्व

- तकनीकी नवाचार नए उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- नवाचार के बिना कोई भी कम्पनी या संगठन बाज़ार में ज़्यादा दिनों तक प्रतिस्पर्धी नहीं रह सकता है।
- समाज की उन्नति के लिये नवाचार महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं तथा समाज की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ

- अत्यधिक सरकारी विनियमन
- पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव
- वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण की कमी
- पीढ़ी अंतराल
- भारतीय संस्थाओं की विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी साझीदारों से समन्वय में कमी
- तकनीकी तथा प्रबंधन विश्विद्यालयों का उद्योग क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष समन्वय न होना।
- शुरुआत में लोग नई तकनीक को अपनाने तथा उसके उसके दीर्घकालिक प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं, जिससे कई नवाचार शुरुआती अवस्था में ही समाप्त हो जाते हैं।

सुझाव

- नवाचारी परियोजनाओं के सुगम संचालन हेतु जोखिमपूर्ण पूंजी (Risk Capital) जुटाने के लिये सरकार को उद्योग तथा नवाचारी व्यक्ति या संस्थाओं के मध्य एक सम्पर्क सेतु का निर्माण करना चाहिये।
- शिक्षित समुदाय तथा उद्योगों के मध्य सम्बंधों तथा समन्वय को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- निजी तथा सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों में नवाचारी संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- भारत में नवाचारी संस्कृति तथा नवोन्मेषी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत ने कई घरेलू तथा विश्व स्तरीय प्रयास किये हैं, जो भविष्य में हमारी तकनीकी क्षमता की वृद्धि का आधार बनेंगे। वर्तमान में संस्थाओं या समाज को अपना आस्तित्व बनाए रखने हेतु नवाचार महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- नवाचार और उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की स्थापना की गई थी।
- AIM के तहत प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रयोग हेतु देशभर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज़ (ATL) की स्थापना की गई है।
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (BIRAC) द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य युवा स्टार्टअप को अनुदान प्रदान करना है। यह भारत में सबसे बड़ा प्रारम्भिक बायोटेक फंडिंग प्रोग्राम है।

क्षुद्रग्रह बेनु (Asteroid Bennu)

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ओसीरिस-रेक्स (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेनु से धूल और कंकड़ के कुछ नमूने एकत्र किये हैं, जिन्हें वह वर्ष 2023 तक पृथ्वी पर पहुँचाएगा।
- ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था जो वर्ष 2018 में अपने लक्ष्य पर पहुँचा। बेनु क्षुद्रग्रह धरती से 32 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- क्षुद्रग्रह मुख्यत: चट्टानी, हीरे के आकार के अंतरिक्ष में तैरते मलबे के ढेर होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अमेरिका किसी क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने वाला दूसरा देश बन गया है, इससे पहले जापान ऐसा कर चुका है।
- क्षुद्रग्रह को उनकी उपस्थिति के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट (Main Asteroid Belt) में लगभग 1.1-1.9 मिलियन क्षुद्रग्रहों के पाए जाने का अनुमान लगाया गया है।
- दूसरा वर्ग ट्रोजन का है, जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा को साझा करते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स तथा वर्ष 2011 में पृथ्वी की कक्षा में भी ट्रोजन की उपस्थिति दर्ज की गई थी। तीसरे वर्ग में, पृथ्वी की करीब से परिक्रमा करने वाले नियर-अर्थ एस्ट्रोइड्स (NEA) जिन्हें सम्भावित खतरनाक क्षुद्रग्रहों (PHAs) के रूप में जाना जाता है, को रखा गया है। इनकी संख्या 1,400 से अधिक है।

न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली (New Shepard Rocket System)

- न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली एक उप-कक्षीय रॉकेट प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष यात्री और अनुसंधान पेलोड ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है।
- यह पुन: प्रयोज्य (Reuseable), ऊर्ध्वाधर टेकऑफ और ऊर्ध्वाधर लैंडिंग स्पेस वाहन है, जो इंजन से अलग होने से पूर्व लगभग 2.5 मिनट के लिये तेज़ हो जाता है। इस रॉकेट प्रणाली में केप्सूल (केबिन) और बूस्टर (रॉकेट) दो भाग हैं। बूस्टर से अलग होकर केप्सूल अंतरिक्ष में गिरने के पश्चात् पैराशूट की मदद से पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जबकि बूस्टर पृथ्वी पर स्वायत्त रूप से नियंत्रित ऊर्ध्वाधर लैंडिंग करता है।

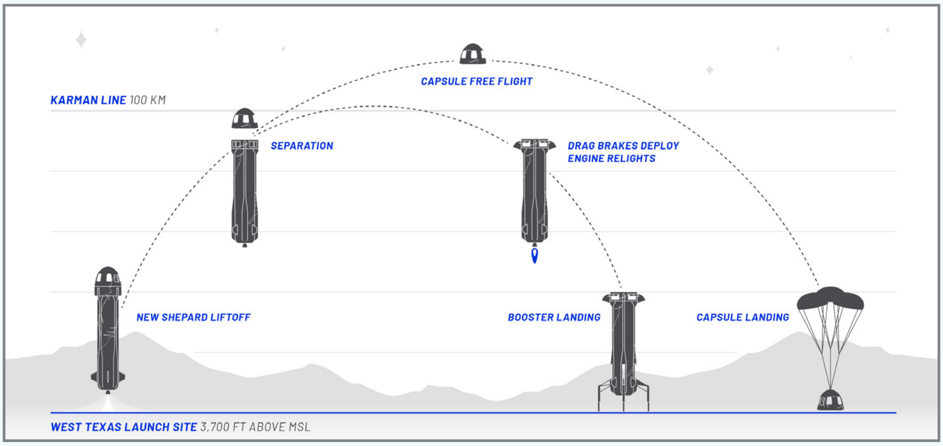

- केप्सूल 6 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 100 किमी. ऊपर ले जाकर माइक्रोग्रैविटी का अनुभव कराने तथा 100 किग्रा. अनुसंधान पेलोड को कर्मन लाइन तक ले जाने में सक्षम है। इसका उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमशीलता के लिये आसान और लागत प्रभावी पहुँच प्रदान करना है।

- इसका विकास अमेज़ॅन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि ब्लू ओरिजिन उन दस कम्पनियों में से एक है जिसे वर्ष 2018 में नासा के चंद्र और मंगल मिशनों के लिये अंतरिक्ष-आधारित संसाधनों को एकत्रित, संसाधित तथा उपयोग करने के लिये और अग्रिम प्रौद्योगिकियों का अध्ययन तथा संचालन करने के लिये चुना गया था।

होलोग्राफिक इमेजिंग (Holographic Imaging)

- न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 'होलोग्राफिक इमेजिंग तकनीक' का उपयोग करके वायरस और एंटीबॉडी के परीक्षण हेतु एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है, जो 30 मिनट से कम समय में न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों द्वारा भी अत्यधिक सटीकता के साथ परिणाम देने में सक्षम है।
- होलोग्राम चित्रण तकनीक में टेस्ट बीड्स (Test BeeosQ) को रिकॉर्ड करने के लिये लेज़र बीम का उपयोग कर बीड्स की सतहों को जैव रासायनिक बंधन के साथ संलग्न करके सक्रिय किया जाता है, जो इच्छित परीक्षण पर निर्भर एंटीबॉडी या वायरस कणों को आकर्षित करते हैं, जिससे, ये बीड्स मीटर के कुछ अरबवें हिस्से के समान दिखाई देते हैं। बीड्स के होलोग्राम में हुए इस परिवर्तन के माध्यम से इसके विकास का पता लगाया जा सकता है। यह परीक्षण प्रति सेकंड एक दर्जन बीड्स का विश्लेषण करने में सक्षम है।
- होलोग्राफिक वीडियो माइक्रोस्कोपी 'XSight' उपकरण द्वारा की जाती है, जिसे न्यूयॉर्क स्थित स्फेरीक्स कम्पनी द्वारा बनाया गया है।
- यह तकनीक मानव शारीरिक रचना की जटिल छवियों को 3-D दृष्टिकोण से समझने के साथ-साथ सैन्य मानचित्रण, सूचना भंडारण, चिकित्सा, धोखाधड़ी और सुरक्षा, कला आदि के क्षेत्र में भी उपयोगी हो सकती है।
- ध्यातव्य है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी डेनिस गैबोर को 'होलोग्राफिक पद्धति के आविष्कार और विकास के लिये' 1971 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

12

पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन

हरित हाइड्रोजन : भविष्य का स्वच्छ ईंधन

पृष्ठभूमि

टिकाऊ एवं सस्ती ऊर्जा के भविष्य की दृष्टि से हाइड्रोजन धीरे-धीरे स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का हिस्सा बनता जा रहा है। यह ऊर्जा संक्रमण, जैसे- ऊर्जा क्षेत्र के डी-कार्बनाइज़ेशन और जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरण की गति को तीव्र करेगा।

हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन उत्पादन की सबसे स्थापित और प्रमाणित विधियों में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किसी इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना महत्त्वपूर्ण है।
- इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है, जबकि अन्य विधियों में कार्बन का उत्सर्जन होता है।

जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन आधारित नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरण की स्थिति

- यद्यपि ऊर्जा संक्रमण अभी नवजात अवस्था में है परंतु हाइड्रोजन आधारित बाज़ारों व परियोजनाओं के विकास ने इसको गति प्रदान की है।
- हाइड्रोजन का सम्भावित उपयोग उद्योग, परिवहन, बिजली और वितरित ऊर्जा सहित विभिन्न एंड-यूज़ क्षेत्रों (End-Use Sectors) में किया जा सकता है।
- उपयोगकर्ता द्वारा सीधे उपभोग की जाने वाली ऊर्जा को इंड-यूज़ ऊर्जा कहते हैं। यह प्राथमिक ऊर्जा के विपरीत है, जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे प्राप्त की जाती है।

भविष्य में हाइड्रोजन का महत्त्व

- हाइड्रोजन परिषद् के अनुसार, हाइड्रोजन तकनीक भविष्य में विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 18% की आपूर्ति करने के साथ ही वर्ष 2050 तक विश्व भर में लगभग 425 मिलियन वाहनों को शक्ति/पावर देने में सक्षम होगी।
- वर्ष 2050 के लिये यूरोपीय आयोग के ऊर्जा रोडमैप के प्रस्ताव के अनुसार, 85% ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से किया जाएगा।
- इस मांग को पूरा करने के लिये, आयोग ने जल के अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाजित करने तथा बाद में उपयोग के लिये हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिये अतिरिक्त बिजली के उपयोग का प्रस्ताव दिया है।
- कई अन्य देश/क्षेत्र भी पूरी तरह से न्यूनतम कार्बन आधारित विद्युत (Low-Carbon Electricity) की ओर स्थानांतरित होकर उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य बना रहे हैं। वर्ष 2040 तक स्वीडन, 2045 तक केलिफोर्निया और वर्ष 2050 तक डेनमार्क इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

निम्न कार्बन आधारित बिजली (Low-Carbon Electricity) और हरित हाइड्रोजन

- सौर और पवन ऊर्जा की घटती तकनीक लागत से भविष्य के ऊर्जा मिश्रण में इनकी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग न केवल निम्न कार्बन आधारित विद्युत उत्पादन

में किया जा सकता है, बल्कि इससे ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाया जा सकता है, जो एंड-यूज क्षेत्रों, जैसे- परिवहन, उद्योगों और भवन में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को प्रतिस्थापित कर सकता है।

- यह कई प्रक्रियाओं में फीड स्टॉक्स के रूप में भी जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो अर्थव्यवस्था को डी-कार्बनाइज़ करने में मदद कर सकती है।

हरित हाइड्रोजन : लागत

- विद्युत अपघटित (इलेक्ट्रोलाइटिक) हाइड्रोजन उत्पादन में बिजली की लागत सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। ज़्यादातर मामलों में कार्बन केप्चर यूज़ एंड स्टोरेज (CCUS) या नवीकरणीय विद्युत के साथ उत्पादित कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन (Low-Carbon Hydrogen) जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन की तुलना में महँगे होते हैं।
- प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन की लागत प्रायः $1.53/kgH2 के आस-पास होती है, जबकि नवीकरणीय विद्युत (सौर पी.वी. या तटवर्ती पवन) से उत्पन्न हाइड्रोजन की लागत इससे अधिक होती है।
- अत्यधिक कम लागत वाले सौर व विद्युत अपघटन के संयोजन और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण वर्ष 2025 तक हरित हाइड्रोजन की लागत घटकर $1.5 प्रति किलोग्राम होने की आशा है। वर्ष 2030 तक इसकी लागत सम्भवतः यूरोप में प्राकृतिक गैस की लागत के बराबर हो सकती है।

भारत और हाइड्रोजन

- टेरी (TERI) के अनुसार, भारत में हाइड्रोजन के उपयोग का सम्भावित अनुमान बहुत अधिक है, जो वर्ष 2050 तक तीन से दस गुना तक बढ़ सकता है।
- यह कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

बाधाएँ

- ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन का अधिकाधिक दोहन करने के लिये कई बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- इन बाधाओं में इसके महत्त्व की अपर्याप्त मान्यता, प्राथमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर निवेश के दीर्घकालिक जोखिमों को कम करने तथा साझा करने के लिये तंत्र की कमी के साथ-साथ हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई का आभाव तथा विकसित की जा रही तकनीकों के साथ निष्पक्ष आर्थिक व्यवहार शामिल हैं।

आगे की राह

- हाइड्रोजन के दीर्घावधिक लाभ प्रेरणादायक हैं और ऊर्जा संक्रमण के लिये एक उत्साहजनक तस्वीर पेश करते हैं। पिछले तीन वर्षों में उत्पादों के व्यवसायीकरण ने इस क्षेत्र की वृद्धि को गति प्रदान की है।
- सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन से सम्बंधित प्रौद्योगिकियों की लागत और प्रदर्शन में सुधार से हरित हाइड्रोजन क्रांति में मदद मिलेगी।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- हाइड्रोजन उत्पादन की सबसे स्थापित और प्रमाणित विधियों में से एक 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किसी इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना' है। इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं।
- एंड-यूज़ ऊर्जा उपयोगकर्ता द्वारा सीधे उपभोग की जाने वाली ऊर्जा है। एंड-यूज क्षेत्रों (End-Use Sectors) में उद्योग, परिवहन, बिजली और वितरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।
- वर्ष 2050 के लिये यूरोपीय आयोग के ऊर्जा रोडमैप ने प्रस्तावित किया है कि 85% ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से किया जाएगा।

चीन की जलवायु प्रतिबद्धता

पृष्ठभूमि

हाल ही में, चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन के सम्बंध में दो घोषणाएँ की हैं।

चीन की घोषणा

- प्रथम घोषणा के अनुसार, वर्ष 2060 तक चीन ने 'नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य' या 'कार्बन तटस्थता' (कार्बन नेट-ज़ीरो) की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- 'नेट-ज़ीरो' एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की क्षति-पूर्ति वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और उसके निष्कासन द्वारा की जाती है।
- ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण को अधिक कार्बन सिंक के सृजन से बढ़ाया जा सकता है, जबकि निष्कासन में कार्बन केप्चर और स्टोरेज जैसी तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल है।
- दूसरी घोषणा के अनुसार, चीन का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही CO2 उत्सर्जन के स्तर में कमी करना है। चीन पहले वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन स्तर में कमी करने को लेकर प्रतिबद्ध था।
- इसका मतलब है कि चीन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अपने अधिकतम स्तर से आगे नहीं बढ़ने देगा। हालाँकि, चीन ने 'वर्ष 2030 से पहले' की अवधि का उल्लेख नहीं किया है परंतु इसे विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक द्वारा एक अत्यंत सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नेट ज़ीरो का लक्ष्य : महत्त्व

- विगत कुछ वर्षों से, वर्ष 2050 तक 'जलवायु तटस्थता' की स्थिति प्राप्त करने के लिये बड़े कार्बन उत्सर्जकों व अन्य देशों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिये एक ठोस अभियान चलाया जा रहा है।
- इसे कभी-कभी 'शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें देशों को अपने उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता होती है, जबकि भूमि या वन के रूप में कार्बन सिंक बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो उत्सर्जन को अवशोषित करते हैं।
- यदि कार्बन सिंक पर्याप्त नहीं हैं तो देश उन प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीनहाउस गैसों को भौतिक रूप से निष्कासित करती हैं। हालाँकि, इस तरह की अधिकांश तकनीकें अभी भी अप्रमाणित और बेहद महँगी हैं।
- वैज्ञानिकों और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं का कहना है कि 'पूर्व-औद्योगिक' स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान को 2°C से आगे बढ़ने से रोकने हेतु पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय वर्ष 2050 तक वैश्विक कार्बन तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करना है।
- उत्सर्जन की वर्तमान दर के अनुसार विश्व, वर्ष 2100 तक तापमान में 3° से 4°C की वृद्धि की ओर अग्रसर है।

चीन की प्रतिबद्धता का महत्त्व

- चीन, विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वैश्विक उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30% है, जो अगले तीन सबसे बड़े उत्सर्जनकर्ता– अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत के संयुक्त उत्सर्जन से अधिक है।
- चीन द्वारा नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिये स्वयं को प्रतिबद्ध करना एक बड़ी सफलता है। विशेषकर, ऐसी स्थिति में जब कई देश इस तरह की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं।
- अभी तक यूरोपीय संघ ही एकमात्र बड़ा उत्सर्जक था जो वर्ष 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन स्थिति हेतु प्रतिबद्ध था।
- इसके अतिरिक्त 70 से अधिक अन्य देशों ने भी इसी तरह की प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं। हालाँकि, उनमें से अधिकांश देश अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण उनकी नेट-ज़ीरो उत्सर्जन स्थिति भी पृथ्वी के लिये अधिक सहायक सिद्ध नहीं होगी।

- पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये चार बड़े उत्सर्जकों, यथा- चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत की कार्यवाहियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जो एक साथ मिलकर आधे से अधिक वैश्विक उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं। इसके बाद रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं।
- कुछ समय पूर्व दक्षिण अफ्रीका ने भी वर्ष 2050 तक कार्बन-तटस्थता की इच्छा जताई है, परंतु अन्य कई देश इससे पीछे हट गए हैं। पेरिस समझौते से अमेरिका भी बाहर हो गया है और अब वह इन लक्ष्यों पर विश्वास भी नहीं करता है।

भारत की प्रतिबद्धता

- भारत ने विकसित देशों द्वारा अपने पिछले वादों को निभाने में पूरी तरह से विफल रहने और उनके द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धताओं पर कभी अमल नहीं करने का हवाला देते हुए उत्सर्जन को लेकर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिये बनाए जा रहे दबाव का विरोध किया है।
- भारत यह भी तर्क दे रहा है कि उसके द्वारा की जा रही जलवायु परिवर्तन की कार्रवाइयाँ विकसित देशों की तुलना में सापेक्षिक रूप से कहीं अधिक मज़बूत हैं।
- चीन अब तक कमोबेश भारत के समान इसी तरह के तर्क देता रहा है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन वार्ता में ऐतिहासिक रूप से एक साथ मिलकर मुद्दे उठाए हैं, भले ही पिछले कुछ दशकों में उनके उत्सर्जन और विकास की स्थिति में भारी अंतर आया हो।

भारत के लिये चीन की प्रतिबद्धता के निहितार्थ

- चीनी घोषणा के द्वारा स्वाभाविक रूप से भारत पर नियमों का पालन करने के लिये दबाव बढ़ेगा।
- वास्तव में, यदि पेरिस समझौते को देखा जाए तो भारत एकमात्र G20 देश है, जिसका कार्य 2°C लक्ष्य को पूरा करने के लिये अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है।
- जलवायु एक्शन ट्रैकर भी भारत के कार्यों को '2°C के अनुरूप' मानता है, जबकि अमेरिका, चीन और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के वर्तमान प्रयासों को 'अपर्याप्त' माना गया है।
- चीन के फैसले का एक और दुष्परिणाम यह है कि भारत और चीन के मध्य जलवायु वार्ता में मतभेद बढ़ सकते हैं। एक विकासशील देश के रूप में भारत के साथ गठबंधन करने के लिये चीन के पास अब बहुत कम आधार शेष हैं।

निष्कर्ष

- पेरिस समझौते की सफलता के लिये चीन का निर्णय एक बड़ा कदम है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि इस महामारी के दौरान जलवायु परिवर्तन के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है।
- क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार, यदि चीन द्वारा निर्धारित लक्ष्य साकार हो जाए तो वर्ष 2100 के ग्लोबल वार्मिंग के अनुमानों को 0.2° से 0.3°C किया जा सकता है, जो किसी भी देश द्वारा अब तक का सबसे प्रभावशाली एकल कार्य माना जाएगा।

आकस्मिक बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाएँ (FFGS)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा बेहतर समन्वय, विकास और कार्यान्वयन हेतु दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाईडेंस सर्विसेज़ (आकस्मिक बाढ़ सम्बंधी मार्गदर्शन सेवाएँ) के क्षेत्रीय केंद्र की ज़िम्मेदारी भारत (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) को सौंपी गई है।

आकस्मिक बाढ़ सम्बंधी मार्गदर्शन प्रणाली परियोजना

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 15वीं कांग्रेस द्वारा आकस्मिक बाढ़ सम्बंधी मार्गदर्शन प्रणाली परियोजना (Flash Flood Guidance System) के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई थी।
- यह प्रणाली डब्ल्यू.एम.ओ. कमीशन फॉर हाइड्रोलॉजी द्वारा डब्ल्यू.एम.ओ. कमीशन फॉर बेसिक सिस्टम तथा यू.एस. नेशनल वेदर सर्विस, यू.एस. हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर (HRC) एवं यू.एस.ऐड/ओ.एफ.डी.ए. के सहयोग से विकसित की गई थी।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र हेतु 23 अक्तूबर, 2020 को इस प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत के 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMC) तथा 'केंद्रीय जल आयोग' (CWC) भी इस प्रणाली में भागीदार हैं।

प्रणाली की विशेषताएँ

- यह प्रणाली दक्षिण एशियाई देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में जल तथा मौसम सम्बंधी खतरों का पूर्वानुमान लगाने हेतु क्षमता निर्माण (Capacity Building) में सहयोग प्रदान करेगी।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों में जन-धन की हानि को कम करने हेतु आवश्यक राहत उपायों सम्बंधी मार्गदर्शन सेवाएँ क्षेत्रीय केंद्रों की सहायता से राष्ट्रीय एवं राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अन्य सभी हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएँगी।
- इस प्रणाली द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के बाढ़ सवेंदनशील क्षेत्रों के लिये वास्तविक समय पर आधारित चेतावनी प्रणाली (Real Time Warning) उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रणाली द्वारा सम्बंधित क्षेत्र में जल स्तर में अचानक उतार-चढ़ाव (बाढ़ उत्पन्न करने सम्बंधी) के पूर्वानुमानों पर आधारित चेतावनी भी दी जाएगी।
- ध्यातव्य है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्व संचालित प्रणाली (Pre-operational System) के विकास हेतु गत मानसूनी मौसम के दौरान इस मार्गदर्शन प्रणाली का परीक्षण किया तथा सत्यापन हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिये आकस्मिक बाढ़ हेतु बुलेटिन जारी किये गए थे।

भारत को महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का कारण

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अत्याधुनिक कम्प्यूटिंग तकनीक, मौसम के संख्यात्मक आधारित पूर्वानुमानों तथा अवलोकन सम्बंधी विस्तृत नेटवर्क (धरती, वायु और अन्तरिक्ष आधारित) जैसी क्षमताओं से सुसज्जित है। इसीलिये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा बेहतर समन्वय, विकास और कार्यान्वयन हेतु दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम के क्षेत्रीय केंद्र का उत्तरदायित्व भारत को सौंपा गया है।
- हाल ही में, भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा समुद्री यातायात सेवा और पोत निगरानी व्यवस्था (VTMS) हेतु स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधानों के विकास की शुरुआत की गई थी। समुद्री सुरक्षा से सम्बंधित समाधानों की दिशा में भारत तेज़ी से विकास कर रहा है।

आवश्यकता

- दुनिया भर में आकस्मिक बाढ़ से सम्बंधित वास्तविक समय आधारित चेतावनी प्रणाली का अभाव है।
- आकस्मिक बाढ़ से व्यापक स्तर पर जानमाल की क्षति होती है। अत: इस प्रकार की मार्गदर्शन सेवाओं से जोखिमों को कम किया जा सकता है।

मार्गदर्शन प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव

- जल विज्ञान से सम्बंधित व्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार हेतु वर्षा तथा मिट्टी के अवलोकन से जुड़े नेटवर्क को उन्नत करने की आवश्यकता है।

- सोशल मीडिया के उपयोग से सभी हित धारकों के लिये सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक स्वचालित माध्यम निर्मित किया जाना चाहिये, ताकि आपदा सम्बंधी सूचनाएँ सम्बंधित अधिकारियों तक समय रहते पहुँच सके।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आंकड़ों, विशेषज्ञता के विकास और सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु हाइड्रोलॉजिकल अनुसंधान केंद्र तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है तथा इसके अधिकांश कारण मानव जनित हैं। अत: विकास सम्बंधी गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए संधारणीय भविष्य की राह तय करने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO)** की स्थापना वर्ष 1947 की संधि के आधार पर वर्ष 1950 में की गई थी। यह सयुंक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडल विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करती है। वर्तमान में इसके भारत सहित 193 सदस्य देश हैं।
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD)** यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम सम्बंधी अवलोकन कर पूर्वानुमान तथा भूकम्प गतिविधियों का अध्ययन कर जानकारी प्रदान करने वाली एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा यह भारत एवं अंटार्कटिका के सैंकड़ों अवलोकन स्टेशनों (Observation Stations) का संचालन करता है।

लायन-टेल्ड मकाक : एक दुर्लभ प्रजाति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' के डाटाबेस में 'लायन-टेल्ड मकाक' प्राइमेट की नवीनतम संरक्षण स्थिति को अपडेट किया गया।

लायन-टेल्ड मकाक (Lion-tailed Macaque)

- लायन-टेल्ड मकाक के मुँह की बनावट शेर के सम्मान होती है। इसका वैज्ञानिक नाम मकाका साइलीनस (Macaca Silenus) है।
- ये एक प्राचीन स्थानिक प्रजाति है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के छोटे और अत्यधिक खंडित वर्षा वनों में पाए जाते हैं ।
- ये (प्राइमेट्स) ज़्यादातर शर्मीले स्वभाव वाले और फल-भक्षी होते हैं, जो सदाबहार वर्षावनों में अपेक्षाकृत ऊपरी केनोपियों में रहना पसंद करते हैं।

वर्तमान स्थिति

- इस प्रजाति को छठी बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की 'रेड डाटा लिस्ट' के अंतर्गत 'संकटग्रस्त' (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि शिकार, सड़क दुर्घटना में मृत्यु और निवास स्थान में क्षति सहित विभिन्न कारणों से अगले 25 वर्षों में इनकी जनसंख्या में 20% से अधिक की गिरावट हो सकती है।

- उल्लेखनीय है कि लायन-टेल्ड मकाक के संरक्षण की स्थिति का पहला आकलन वर्ष 1990 में किया गया था, जिसमें इसको 'संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया था। वर्ष 1994 में इसकी संरक्षण स्थिति में कुछ सुधार देखा गया और इसको 'सुभेद्य' (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया। हालाँकि, वर्ष 1996 से यह लगातार 'संकटग्रस्त' स्थिति में बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)

- वर्ष 1963 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा 'वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम' और 'प्रजाति उत्तरजीविता आयोग' की मदद से रेड लिस्ट जारी की जाती है।
- इसके तहत वैश्विक स्तर पर पशु व पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन किया जाता है और अब तक एक लाख से ज़्यादा प्रजातियों का आकलन किया जा चुका है।
- रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के अनुसार कुल नौ वर्गों में विभाजित किया जाता है।

संख्या में गिरावट : कारण

- शोधकर्ताओं के अनुसार, एल.टी.एम. के निवास स्थानों में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो मुख्यत: पश्चिमी घाट रेंज में दक्षिण में स्थित कलक्कड़ पहाड़ियों (Kalakkad Hills) से लेकर उत्तर में सिरसी-होन्नावर (Sirsi-Honnavara) पहाड़ियों तक है।
- निवास स्थानों का विखंडन इस प्रजाति के लिये प्रमुख खतरों में से एक है।
- मानव आवासों से मकाक को पकड़ना और एल.टी.एम. के निवास स्थान पर छोड़ना भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये नए परजीवियों के प्रसार का कारण बनते हैं।

उपाय

- अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु) के वालपराई पठार की आबादी को अन्य आबादी से भी जोड़ा जा सकता है। प्रबंधन, संरक्षण और जनसंख्या की प्रवृत्ति को समझने के लिये निरंतर निगरानी महत्त्वपूर्ण है।
- पिछले कई वर्षों में प्राइमेट्स के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त शोध किया जा चुका है और अब उन्हें वास्तविक रूप में लागू करना अति आवश्यक है।
- मानवीय हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों में इनके द्वारा भोजन प्राप्त करने और आपसी सामाजिक क्रियाओं में भारी बदलाव देखा गया है, अत: मानव और इन प्राइमेट्स के मध्य सामंजस्य पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

कार्बन टैक्स : आवश्यकता एवं महत्त्व

पृष्ठभूमि

चीन ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 से पहले वह कार्बन डाऑक्साइड को समायोजित करने के साथ अपने कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करेगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा CO_2 उत्सर्जक देश है। चीन द्वारा इस घोषणा के बाद विश्व में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े CO_2 उत्सर्जक देशों- अमेरिका और भारत पर विश्व की निगाह टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आयात पर कार्बन लेवी लगाने की यूरोपीय संघ की योजना का समर्थन कर रहा है। हरित गृह गैसों, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, के उत्सर्जन के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव काफी व्यापक हैं।

आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव

- दिल्ली में रिकॉर्ड हीटवेव, दक्षिण-पश्चिम चीन में बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग और इस वर्ष केलिफोर्निया में जंगल की भयावह आग वैश्विक तापन से होने वाले खतरों के सूचक हैं।

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1998 से 2017 के बीच आपदा प्रभावित देशों में प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान में से लगभग 77% की क्षति जलवायु परिवर्तन के कारण हुई।
- जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक नुकसान अमेरिका को हुआ है। तत्पश्चात् सबसे अधिक नुकसान चीन, जापान और भारत को हुआ है। भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में पाँचवें स्थान पर है।
- वैश्विक तापन के लिये मुख्य रूप से ज़िम्मेदार CO_2 की स्थिति पिछले संचयों के कारण अगस्त 2020 में 414 पार्ट्स प्रति मिलियन (PPM) थी। इसमें से आधी हिस्सेदारी शीर्ष तीन कार्बन उत्सर्जक देशों की है, अतः इन देशों में अकार्बनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

बड़े निर्णय और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता

- भारत वर्ष 2030 तक बिजली की क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है। साथ ही, वह इसी समय-सीमा के अंतर्गत जी.डी.पी. से उत्सर्जन के अनुपात को वर्ष 2005 के स्तर से एक-तिहाई कम करने को लेकर भी प्रतिबद्ध है।
- वर्ष 2030 से पहले इस क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई देश हित में है, ताकि वर्ष 2050 तक शून्य निवल कार्बन वृद्धि की ओर बढ़ा जा सके।
- इसके लिये कुछ बड़ी कम्पनियों द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण (Carbon Pricing) योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सरकारी प्रोत्साहन और 2020-21 के बजट में पर्यावरण कर जैसी पहलें शामिल की जा सकती हैं।
- कार्बन मूल्य निर्धारण का एक तरीका इमीशन ट्रेडिंग (Emission Trading) है। चीन में कार्बन ट्रेडिंग से सम्बंधित पायलट परियोजनाएँ सफल रहीं हैं।
- इस सम्बंध में यूरोपीय संघ और कुछ अमेरिकी राज्यों के अनुभव महत्त्वपूर्ण रहे हैं। उत्तर-पूर्व अमेरिका में 'क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल' इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- दूसरा तरीका आर्थिक गतिविधियों पर कार्बन टैक्स लगाना है। उदाहरण के लिये, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर कार्बन टैक्स, जैसा कि कनाडा और स्वीडन में लगाया जाता है।

कार्बन टैरिफ को आरोपित करना

- यूरोपीय संघ द्वारा परिकल्पित कार्बन टैरिफ लगाने के लिये भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपने वैश्विक क्रेता एकाधिकार (Monopsony) या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़े खरीदार शक्ति का उपयोग करना चाहिये।
- व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि यदि आयात कार्बन उत्सर्जन कारकों पर आधारित रहता है तो केवल घरेलू स्तर पर कार्बन उत्पादन सामग्री को कम करना पर्याप्त कदम नहीं होगा।
- अतः इसके लिये क्रेता एकाधिकार, कूटनीति और वित्तीय क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिये।

इन पहलों से लाभ

- कनाडा में CO_2 उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स को दुगने से भी अधिक कर दिया गया है, जिससे वर्ष 2022 तक 80 से 90 मिलियन टन के बीच ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण के कम होने का अनुमान है।
- कार्बन मूल्य निर्धारण से पर्याप्त राजकोषीय लाभ भी हो सकता है। भारत में CO_2 उत्सर्जन पर यदि $35 प्रति टन की दर से कार्बन टैक्स लगाया जाता है, तो वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% हिस्सा इससे प्राप्त हो सकता है।
- राजस्व अर्जित करते हुए प्रदूषक अपशिष्टों को कम करने का एक तरीका घरेलू उत्पादन और आयातित वस्तुओं की कार्बन प्राइसिंग है।
- कार्बन मूल्य निर्धारण (Carbon Pricing) कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक दृष्टिकोण है, जो उत्सर्जन लागत को उत्सर्जकों पर डालने के लिये बाज़ार तंत्र का उपयोग करता है।

- इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक जीवाश्म ईंधन का उपयोग हतोत्साहित होता है, जलवायु परिवर्तन के कारणों का निदान होता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों को भी पूरा करता है।

आगे की राह

- भारत उन देशों में शामिल है जो जलवायु प्रभावों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जलवायु कार्रवाई के लिये सार्वजनिक समर्थन मिल रहा है लेकिन इसके लिये ऐसे समाधानों की आवश्यकता है, जो भारत के हित में हों।
- इस संदर्भ में भारत जलवायु परिवर्तन के मुख्य स्रोतों, जैसे- अत्यधिक कार्बन-युक्त ईंधन (कोयला आदि) पर कर लगाने और अन्य उपायों को अपनाकर विकासशील देशों में अग्रामी हो सकता है।
- घरेलू रूप से कार्बन कर और व्यापार के लिये एक बाज़ार-उन्मुख दृष्टिकोण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीति के माध्यम से अन्य देशों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई को प्रेरित करना आगे के लिये एक रास्ता प्रदान कर सकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- जलवायु परिवर्तन जनित नुकसान का सबसे अधिक सामना अमेरिका, चीन, जापान और भारत को करना पड़ा। भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में पाँचवें स्थान पर है।
- भारत वर्ष 2030 तक बिजली की क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करने के साथ-साथ इसी समय-सीमा के अंतर्गत जी.डी.पी. से उत्सर्जन के अनुपात को वर्ष 2005 के स्तर से एक-तिहाई कम करने को लेकर भी प्रतिबद्ध है।
- कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर कनाडा और स्वीडन में कार्बन टैक्स लगाया जाता है।

भारत में पानी की बर्बादी पर दंड का प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने अपने एक आदेश में पानी की बर्बादी और इसके अनावश्यक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये दंड का प्रावधान किया है। इस दंड के तहत 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। ध्यातव्य है कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ ही नागरिकों के लिये पहली बार इस तरह का आदेश जारी किया है।

पृष्ठभूमि

विगत वर्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजेंद्र त्यागी और गैर-सरकारी संस्था 'फ्रैंड्स' की ओर से पानी की बर्बादी पर रोक लगाने सम्बंधी याचिका पर पहली बार सुनवाई की थी। इस मामले में करीब एक वर्ष बाद एन.जी.टी. के आदेश का अनुपालन करते हुए सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने यह आदेश जारी किया है।

मुख्य बिंदु

- अब देश में कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से प्राप्त होने वाले पेयजल (Potable Water) की बर्बादी या अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं तो यह एक दंडात्मक कृत्य माना जाएगा।
- इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह-जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएँ भी पानी की बर्बादी करती हैं।
- देश में प्रत्येक दिन 4,84,20,000 करोड़ घन मीटर यानी 48.42 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि देश में करीब 16 करोड़ लोगों को साफ और ताजा पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं, लगभग 60 करोड़ लोग जलसंकट से जूझ रहे हैं।

- सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने पानी की बर्बादी और अनावश्यक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये अक्तूबर, 2020 में पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 की धारा पाँच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरणों और देश के सभी लोगों को सम्बोधित करते हुए अपने आदेश में कहा है :
    1. इस आदेश के जारी होने की तारीख से, सभी सम्बंधित नागरिक निकाय जो कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क की देखरेख करते हैं, जिन्हें सामान्यतः जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो यह सुनिश्चित करेंगे कि भूजल से प्राप्त होने वाले पेयजल की बर्बादी और उसका अनावश्यक इस्तेमाल नहीं होगा। इस आदेश का पालन करने के लिये सभी निकाय मिलकर एक तंत्र विकसित करेंगे और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किये जाएंगे।
    2. देश में कोई भी व्यक्ति भू-जल स्रोत से हासिल पेयजल का अनावश्यक इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है।
- विदित है कि आवासीय और व्यावसायिक आवासों के साथ ही पानी आपूर्ति करने वाले कई सरकारी टैंकों से भी भू-जल दोहन के जरिये निकाला गया पेयजल बर्बाद होता रहता है। किसी तरह का प्रावधान न होने की वजह से पानी बर्बाद करने वाले संस्थानों या व्यक्ति को इस बात के लिये दंडित भी नहीं किया जा सकता था।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority- CGWA)

- केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) का निर्माण पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। भूजल संसाधनों के दीर्घावधिक सम्पोषण (Sustenance) और उससे जुड़ी विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्राधिकरण भूजल विकास के विनियमन से जुड़ी विभिन्नि गतिविधियों का संचालान कर रहा है।
- ध्यातव्य है कि एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद पर निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को भूजल संरक्षण के लिये एक प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया था।
- यह केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है, जो जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक बहु-विषयक संगठन है।

भारत में रामसर स्थल (Ramsar Sites in India)

- हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर बिहार के मीठे पानी के दलदल कबरताल तथा उत्तराखंड दून घाटी में आसन बैराज को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि घोषित किया है। इसके साथ ही वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 39 हो गई है, जो अब दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
- आसन संरक्षण रिज़र्व उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी की सहायक आसन नदी के समीप 444 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है, जो जैव विविधता केंद्र के रूप में गम्भीर रूप से लुप्तप्राय रेडहेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर तथा बीयर्स पोचर्ड (Baer's pochard) सहित पक्षियों की 330 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रवासी पक्षियों जैसे कि रेड क्रेस्टेड पोचर्ड और रूडी शेल्डक के साथ-साथ 40 से अधिक मछली की प्रजातियों का भी एक प्रसिद्ध प्रवास स्थल है। रामसर स्थल घोषित किये जाने के लिये

इस रिज़र्व ने आवश्यक नौ मानदंडों में से पाँच मानदंडों को पूरा किया है, जिसके बाद यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है।

- कबरताल, जिसे कंवर झील के रूप में भी जाना जाता है, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में 2,620 हेक्टेयर भारत-गंगा के मैदानों में फैला हुआ है। यह स्थल स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाढ़ बफर का कार्य भी करता है। यह स्थल गम्भीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध, जैसे रेड हेडेड वल्चर और व्हाइट रम्प्ड वल्चर आदि का निवास स्थान है।
- रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जिस पर 2 फरवरी, 1971 में ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किये गए थे। इस कन्वेंशन को 'कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स' (Convention on Wetlands) के नाम से भी जाता है। भारत 1 फरवरी, 1982 को इसमें शामिल हुआ था। इसके अंतर्गत वे आद्रभूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की हैं, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है।
- वेटलैंड्स इंटरनेशनल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर भारत में रामसर स्थल के नामांकन तथा घोषणा प्रक्रिया का कार्य करता है।

येलो डस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर कोरिया ने चीन से आने वाली 'येलो डस्ट' से बचाव के लिये सलाह जारी करते हुए कहा है कि इससे कोविड-19 का प्रसार हो सकता है।

येलो डस्ट (Yellow Dust)

- येलो डस्ट वास्तव में चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान से उत्पन्न होने वाली रेत युक्त हवाएँ है। प्रति वर्ष एक विशिष्ट अवधि के दौरान उच्च गति वाली ये रेत युक्त धूल भरी सतही हवाएँ उत्तर और दक्षिण कोरिया में प्रवेश करती हैं।
- रेत के इन कणों में औद्योगिक प्रदूषकों जैसे विषाक्त पदार्थों के मिश्रण के परिणामस्वरूप येलो डस्ट श्वसन सम्बंधी बीमारियों का कारण बनती है।
- कभी-कभी जब वातावरण में येलो डस्ट के धूल की सांद्रता 800 माइक्रोग्राम/घन मीटर के आसपास हो जाती है, तो स्कूलों के साथ-साथ बाहरी गतिविधियों को भी बंद कर दिया जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका रोग नियंत्रण केंद्र (CDC) के अनुसार यद्यपि कोविड-19 विषाणु घंटों तक हवा में रह सकता है परंतु संक्रमण के इस तरह से प्रसार की सम्भावना नहीं है।

ई-कचरे से सम्बंधित समस्याएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया गया।

ई-कचरा : सम्बंधित तथ्य

- मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे- टी.वी, फ्रिज, वाशिंग मशीन व अन्य और ट्यूबलाइट, बल्ब व सी.एफ.एल. जैसी अन्य उपकरण जिनमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जब खराब हो जाते हैं या जब इनका उपयोग समाप्त हो जाता है तो ये ई-कचरा कहलाते हैं।
- पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ई-कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। इसके दोगुना होने की दर लगभग 16 वर्ष है।

- अन्य प्रकार के कचरों की अपेक्षा ई-कचरे में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था, जो लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था।
- यूरोप अपने द्वारा उत्पन्न ई-कचरे का लगभग 42.5% और अफ्रीका द्वारा केवल 0.9% के आस-पास पुनर्चक्रण करता है।

भारत की स्थिति

- भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 3.2 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न किया, जिसमें से लगभग 90% कचरे का विवरण उपलब्ध नहीं है।
- भारत में ई-कचरे के 90% से अधिक हिस्से को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा सम्भाला जाता है, जो ई-कचरे से संसाधनों को निकालने के लिये गैर-वैज्ञानिक और खतरनाक तरीके अपनाता है और बाद में इसे गैर-जिम्मेदार तरीके से डम्प कर दिया जाता है।

ई-कचरा उत्पन्न होने के प्रमुख कारण

- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) के उत्पादन में वृद्धि को औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिये आवश्यक माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की माँग में वृद्धि हुई है।
- ई-कचरे के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण उच्च और गैर-ज़िम्मेदारी पूर्वक खपत, इन उत्पादों का छोटा जीवन काल और ई.ई.ई. उत्पादकों द्वारा एक निश्चित समय के बाद इन उपकरणों को अनिवार्य रूप से अप्रचलित कर दिया जाना आदि है।

ई-कचरे से समस्या और हानियाँ

- विश्व स्तर पर उत्पादित ई-कचरे के 80% भाग के स्रोत, निपटान स्थल और इनको अंतिम रूप से फेंकने से पूर्व इसमें उपलब्ध संसाधनों के निष्कर्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
- विश्व स्तर पर विकसित और बड़े देशों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उच्च वर्ग अपने द्वारा उत्पादित ई-कचरे को अविकसित एवं छोटे देशों व निम्न वर्ग की ओर हस्तांतरित कर रहे हैं।
- निष्कर्षण की अनुपयुक्त तकनीकों के कारण ई-कचरे से कोबाल्ट की कुल प्राप्ति दर केवल 30% के आस-पास है, जबकि लैपटॉप, स्मार्ट फोन और इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिये इस धातु की माँग काफी अधिक है।
- ई-कचरे से पारिस्थितकी असंतुलन के साथ-साथ जल, वायु, मृदा और रेडियोसक्रिय प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है।

ई-कचरे के उपयोग की सम्भावना

- ई-कचरा सभी प्रकार के कचरों में सबसे मूल्यवान साबित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोना, चाँदी सहित कई मूल्यवान धातुएँ पाई जाती हैं, अतः ई-कचरे से सोना, चाँदी, कोबाल्ट और प्लैटिनम के साथ-साथ अन्य दुर्लभ धातुएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार सामान मात्रा में चाँदी अयस्क की अपेक्षा ई-कचरे से अधिक मात्रा में चाँदी प्राप्त की जा सकती है। विदित है कि एक टन सोने के अयस्क की तुलना में एक टन स्मार्ट फोन में 100 गुना अधिक सोना होता है।

ई-कचरे का नियमन

- वर्ष 2019 तक की स्थिति के अनुसार ई-कचरे के वैज्ञानिक और सु-प्रबंधन के लिये लगभग 78 देशों ने कोई न कोई नीति, विनियम या कानून बनाया था।

- भारत ने भी अक्तूबर 2016 में एक नीति को अधिसूचित किया, जिसे ई-कचरा प्रबंधन नियम कहा जाता है। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन अभी संतोषजनक अवस्था में नहीं है।

समाधान

- इसका एक समाधान इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वर्तुलाकार अर्थव्यवस्था बनाना हो सकता है और इसके लिये एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है।
- उत्पादों को इस तरह से डिज़ाइन किये जाने की आवश्यकता है कि उनका पुनः उपयोग किया जा सके और वे टिकाऊ हों तथा पुनर्चक्रण के लिये भी सुरक्षित हों।
- उत्पादकों द्वारा पुराने उपकरणों को एकत्र करने के लिये 'बाय-बैक' या 'रिटर्न ऑफर' जैसी योजनाएँ लानी चाहिये और उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिक ई-कचरा उत्पादक को शहरों में उपयुक्त स्थानों पर संग्रह केंद्र स्थापित करने चाहिये, जहां ग्राहक अपने अनुपयुक्त उत्पादों को छोड़ सकें। और इस प्रकार एकत्र किये गए ई-कचरा/ उत्पादों का पुनर्चक्रण (Recycling) सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण को 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' प्रावधान के अंतर्गत शहरी खनन प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि वैश्विक समुदाय ई-कचरे का प्रबंधन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। ई-कचरे के प्रबंधन हेतु बेहतर कार्यान्वयन के ऐसे तरीकों और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है, जो अनौपचारिक क्षेत्र को ई-कचरे के प्रबंधन हेतु स्थान उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसको मान्यता प्रदान करती हों। साथ ही, पर्यावरणीय दृष्टि से पुनर्चक्रण के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद प्रदान करती हों।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- प्रत्येक वर्ष 14 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर ई-कचरे के दोगुने होने की दर लगभग 16 वर्ष है।
- यूरोप अपने द्वारा उत्पन्न कुल ई-कचरे का अधिकतम और अफ्रीका न्यूनतम पुनर्चक्रण करता है।
- लैपटॉप, स्मार्ट फोन और इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिये कोबाल्ट धातु की काफी मांग है।
- ई-कचरे से सोना, चाँदी, कोबाल्ट और प्लैटिनम के साथ-साथ दुर्लभ धातुएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- भारत ने अक्टूबर 2016 में 'ई-कचरा प्रबंधन नियम' को अधिसूचित किया है।

वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट, 2020 (State of Global Air Report, 2020)

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- हाल ही में आई वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (SoGA) 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1 लाख 16 हज़ार से अधिक शिशुओं की मृत्यु हुई है।
- यह नवजात शिशुओं पर वायु प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव का पहला व्यापक विश्लेषण है तथा पहली बार वायु प्रदुषण के कारण एक माह से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु का अनुमान लगाया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति प्रदूषण स्तर सर्वाधिक (83.2 µg/घन मीटर) है जिसके बाद क्रमशः नेपाल (83.1 µg/घन मीटर) तथा नाइजर (80.1 µg/घन मीटर) का स्थान है। भारत में पिछले तीन वर्षों में प्रदूषण का स्तर औसत से कम रहा, लेकिन इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में विशेष रूप से सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च (Extremely High Particulate Matter Pollution) होता है।

कार्यान्वयन

- इस रिपोर्ट को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME2) के सहयोग से हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरेक्टिव वेबसाइट के साथ डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाता है।
- यह एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
- इसके निष्कर्ष हालिया ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (GBD3) के अध्ययन पर आधारित हैं, जिन्हें 15 अक्तूबर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका, द लैंसेट में प्रकाशित किया गया है।

कारण

- रिपोर्ट के अनुसार बायोमास ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को इस आयु वर्ग में होने वाली लगभग दो तिहाई मौतों के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है। वायु प्रदूषण के प्रतिकूल परिणामों का गर्भावस्था और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना मध्यम आय वाले देशों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- यद्यपि उज्ज्वला योजना के पश्चात् ग्रामीण स्तर पर खराब गुणवत्ता वाले ईंधन पर घरेलू निर्भरता में धीमी और स्थिर कमी आई है, परंतु इस ईंधन से होने वाला वायु प्रदूषण अभी भी नवजात शिशुओं की मृत्यु का एक प्रमुख कारक बना हुआ है।
- हाल ही में, भारत में ICMR द्वारा किये गये अध्ययन तथा कई अन्य देशों के वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जन्म के समय बच्चों का वजन कम होना व उनके समय से पूर्व-जन्म लेने के पीछे भी वायु प्रदूषण एक मुख्य कारक है।
- SoGA, 2020 में किये गए विश्लेषण के अनुसार सभी कारणों से होने वाली नवजात बच्चों की मृत्यु का लगभग 21% बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण है।
- वर्ष 2019 में स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों के केंसर, फेफड़ों की पुरानी बीमारियों आदि के कारण 1.67 मिलियन से अधिक वार्षिक मृत्यु वायु प्रदुषण के लंबे समय तक बने रहने के कारण हुई है।

बुलढाणा पैटर्न (Buldhana Pattern)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र के जल संरक्षण की विधि बुलढाणा पैटर्न को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। नीति आयोग बुलढाणा पैटर्न के आधार पर जल संरक्षण पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Water Conservation) तैयार करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- यह नीति राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और जल संरक्षण के समन्वय पर आधारित है। कुएँ, नाले और नहरों के निर्माण या उन्हें गहरा करने से प्राप्त मिट्टी का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु किया जाता है।
- सूखाग्रस्त विदर्भ क्षेत्र के बुलढाणा जिले में पहली बार जल निकायों, नालों और नदियों से मिट्टी का उपयोग करके इस विधि में सफलता प्राप्त की थी।
- इस पैटर्न के तहत बुलढाणा जिले में 5510 लाख घनमीटर जल भण्डारण का निर्माण किया गया है। इससे 152 गांव लाभान्वित हुए हैं।
- इस पैटर्न के तहत राज्य जल ग्रिड के निर्माण तथा जल संरक्षण विधियाँ अपनाए जाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप विदर्भ क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे।

हिम तेंदुआ एक फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में नामित

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 23 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है।

हिम तेंदुआ (Snow Leopard)

- यह बिल्ली प्रजाति का लम्बे फर वाला तथा ऊँचे व ठंडे स्थानों पर पाया जाने वाला जीव है। यह जीव दहाड़ नहीं सकता है।
- यह एक दुर्लभ जीव है, जिसे घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है।
- हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी तथा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश तथा 2 केंद्र-शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के भूभाग में पाया जाने वाला जीव है।
- हिम तेंदुआ आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में सुभेद्द (Vulnerable) की श्रेणी में एवं भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है।
- हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है।

भारत के प्रयास

- भारत वर्ष 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम में शामिल है। इस बहुआयामी कार्यक्रम में हिम तेंदुए की रेंज वाले 12 देश शामिल हैं। इन देशों द्वारा हिम तेंदुए की व्यवहार्य आबादी हेतु उपयुक्त बड़े भू-दृश्यों की पहचान की गई है।
- भारत सरकार द्वारा हिम तेंदुए की पहचान अत्यधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति (Flagship Species) के रूप में की गई है।
- भारत द्वारा तीन बड़े भू-दृश्यों (Landscapes) की पहचान की गई है–
  1. लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में हेमिस-स्पीति
  2. उत्तराखंड के गंगोत्री में नंदा देवी
  3. अरुणाचल प्रदेश में खंगचेंदजोंगा-तवांग
- हाल ही में, पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम 'हिमाल संरक्षक' की शुरुआत की गई है तथा वन्य जीवों के अवैध व्यापार से निपटने के विषय पर आधारित एक नोटबुक जारी की गई।
- भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के माध्यम से हिम तेंदुए तथा उनके निवास स्थान को संरक्षित किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी।
- भारत द्वारा वर्ष 2019 में हिम तेंदुओं की निगरानी हेतु राष्ट्रीय प्रोटोकाल जारी किया गया था, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं।
- भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित जी.एस.एल.ई.पी. कार्यक्रम की चौथी संचालन समिति की मेजबानी की गई थी। इस बैठक में मध्य तथा दक्षिण एशिया के पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु हिम तेंदुए की रेंज वाले देशों में सहयोग को मज़बूत करने हेतु 'नई दिल्ली स्टेटमेंट' जारी किया गया था।

ठोस अपशिष्ट का सतत् प्रसंस्करण : एक नई राह

भूमिका

लगातार बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की तीव्र गति के कारण देश को अपशिष्ट प्रबंधन सम्बंधी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में 'वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' का महत्त्व बढ़ जाता है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की स्थिति

- अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में उत्पन्न होने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste – MSW) में ज़्यादातर हिस्सा कार्बनिक कचरे का होता है।
- जैविक कचरे के अवैज्ञानिक निस्तारण से ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) उत्सर्जन के साथ-साथ हवा के अन्य प्रदूषक भी उत्पन्न होते हैं।
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का अप्रभावी प्रसंस्करण भी कई बीमारियों का मूल कारण भी है क्योंकि डम्प किये गए लैंडफिल से रोगाणुओं का प्रसार होता है।

नई तकनीक का विकास

- सी.एस.आई.आर-सी.एम.ई.आर.आई. (CSIR-CMERI) द्वारा विकसित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से न केवल ठोस कचरे के विकेंद्रीकृत अपघटन में सहायता मिलती है, बल्कि सूखी पत्तियों व सूखी घास जैसे बहुतायत में उपलब्ध जैविक पदार्थों से मूल्य वर्धित उत्पादों (Value-Added End-Products) को भी बनाने में मदद मिलती है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के बाद वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम.एस.डब्ल्यू. प्रसंस्करण सुविधा विकसित की गई है।
- इसमें शामिल यंत्रीकृत पृथक्करण प्रणाली (Mechanized Segregation System) ठोस अपशिष्टों को धातु अपशिष्ट (मेटल बॉडी, मेटल कंटेनर आदि), बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट (खाद्य पदार्थ, सब्जियाँ, फल, घास इत्यादि), नॉन-बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट (प्लास्टिक, पैकेजिंग समग्री, पाउच, बोतल आदि) और अक्रिय अपशिष्टों (काँच, पत्थर आदि) में पृथक करता है।
- कचरे के जैव-अपघटनीय घटक को अवायवीय वातावरण में विघटित किया जाता है, जिसे सामान्यत: 'जैव-गैसीकरण' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों के रूपांतरण से बायोगैस मुक्त होती है।

बायोमास अपशिष्ट निस्तारण

- बायोमास अपशिष्ट, जैसे- सूखी पत्तियाँ, मृत शाखाएँ, सूखी घास आदि को उपयुक्त आकार में बदलने के बाद बायोगैस डाइजेस्टर घोल के साथ मिश्रण करके इनका निस्तारण किया जाता है।
- यह मिश्रण ब्रिकेट (Briquette) के लिये फीडस्टॉक है, जिसे खाना पकाने के लिये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रिकेट का उपयोग सिनगैस के उत्पादन के लिये गैसीफायर में भी किया जा रहा है।

पॉलिमर अपशिष्ट निस्तारण

पॉलिमर कचरे में प्लास्टिक और सैनिटरी अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। इनका निस्तारण दो मुख्य प्रक्रियाओं- पायरोलिसिस और प्लाज़्मा गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है।

पायरोलिसिस

- पायरोलिसिस प्रक्रिया में उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलिमर अपशिष्ट को अवायवीय वातावरण में

400-600 °C के तापमान पर गर्म किया जाता है। हीटिंग के परिणामस्वरूप पॉलिमर अपशिष्ट से वाष्पशील पदार्थ निकलता है, जो संघनित होने पर पायरोलिसिस तेल में बदल जाता है।

- शुद्धिकरण के बाद गैर-संघनित सिनगैस और 'क्रूड पायरोलिसिस ऑइल' का उपयोग हीटिंग के लिये पुनः किया जाता है। इस प्रक्रिया में बचे ठोस अवशेषों को 'चार' (Char) कहा जाता है। इसको ब्रिकेट के उत्पादन के लिये बायोगैस घोल के साथ मिश्रित किया जाता है।

प्लाज़्मा आर्क गैसीकरण

- प्लाज़्मा आर्क गैसीकरण (Plasma Arc Gasification) ठोस अपशिष्टों के उपचार व निस्तारण का एक पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन विकल्प है।
- यह प्रक्रिया प्लाज़्मा रिएक्टर के अंदर उच्च ताप प्लाज़्मा आर्क (3000 °C से ऊपर) उत्पन्न करने के लिये विद्युत का उपयोग करती है, और अपशिष्ट को सिनगैस (Syngas) में परिवर्तित कर देती है।
- उत्पादित सिनगैस गैस शोधन प्रणाली की एक लम्बी श्ृंखला से गुज़रती है, जिसमें उत्प्रेरक परिवर्तक, रेडॉक्स रिएक्टर, चक्रवात विभाजक, स्क्रबर और कंडेनसर शामिल। इसके पश्चात् यह विद्युत उत्पादन हेतु गैस इंजन में उपयोग के लिये तैयार होती है।
- यद्यपि यह तकनीक आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट उपचार के लिये इसमें ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रोड खपत की उच्च दर इसको और अधिक खर्चीला बना देती है।

सिनगैस (Syngas)

- 'सिनगैस या संश्लेषित गैस' (Synthesis Gas) एक गैस मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। इसका उपयोग संश्लेषित प्राकृतिक गैस (एस.एन.जी.) बनाने और अमोनिया या मेथनॉल के उत्पादन में मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है।

सेनेटरी अपशिष्ट निस्तारण

- सैनिटरी उत्पादों में मास्क, सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि शामिल होते हैं। इनको उच्च ताप प्लाज़्मा का उपयोग करते निस्तारित किया जाता है।
- यू.वी-सी. लाइट्स (UV-C Lights) और हॉट-एयर कन्वेंशन विधियों के माध्यम से रोगाणु श्रृंखला को तोड़ने में मदद करने के लिये नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेष कीटाणुशोधन क्षमताओं से युक्त है।

उपयोग

- बायोगैस का उपयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पादन के लिये गैस इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। साथ ही, अवशिष्ट राख को ईंटों के निर्माण हेतु सीमेंट के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
- बायोगैस संयंत्र से शेष बचे अवशिष्ट पंक को एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे वर्मी-कम्पोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। इस वर्मी-कम्पोस्ट का उपयोग जैविक खेती में किया जाता है।
- विकेंद्रीकृत एम.एस.डब्ल्यू. और इसके सतत् प्रसंस्करण की तकनीक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता रखती है।
- साथ ही, पर्यावरणीय रूप से 'ज़ीरो-वेस्ट' और 'ज़ीरो-लैंडफिल इकोलॉजी' वाले शहरों के विकास के साथ-साथ प्रसंस्करण व विनिर्माण दोनों के माध्यम से 'रोज़गार का सृजन' किया जा सकता है। यह देश में सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग (MSE), स्टार्ट-अप और कई छोटे उद्यमियों के लिये लाभदायक हो सकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- भारत में उत्पन्न होने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में ज़्यादातर हिस्सा कार्बनिक कचरे का होता है।
- जैविक कचरे के अवैज्ञानिक निस्तारण से ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी. उत्सर्जन के साथ-साथ हवा के अन्य प्रदूषक भी उत्पन्न होते हैं।
- 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरे के निपटान से सम्बंधित है।
- ठोस अपशिष्टों को धातु अपशिष्ट (मेटल बॉडी, मेटल कंटेनर आदि), बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट (खाद्य पदार्थ, सब्जियाँ, फल, घास इत्यादि), नॉन-बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट (प्लास्टिक, पैकेजिंग समग्री, पाउच, बोतल आदि) और अक्रिय अपशिष्टों (काँच, पत्थर आदि) में पृथक किया जाता है।
- कचरे के जैव-अपघटनीय घटक को अवायवीय वातावरण में विघटित किया जाता है, जिसे सामान्यत: 'जैव-गैसीकरण' कहा जाता है।
- पॉलिमर कचरे में प्लास्टिक और सैनिटरी अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं, जिनका निपटान 'पायरोलिसिस' और 'प्लाज़्मा गैसीकरण' प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
- एम.एस.डब्लू. के प्रसंस्करण से प्राप्त गैर-संघनित 'सिनगैस' और 'क्रूड पायरोलिसिस ऑइल' का उपयोग हीटिंग के लिये पुन: किया जाता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दस वर्ष : एक समीक्षा

चर्चा में क्यों?

18 अक्तूबर, 2020 को 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (Notional Green Tribind– NGT) की 10वीं वर्षगाँठ थी।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण : एक परिचय

- 18 अक्तूबर, 2010 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी।
- यह अधिकरण वर्ष 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा तय की गई कार्यविधि से प्रतिबंधित नहीं होता है, परंतु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्देशित होता है।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण से सम्बंधित विवादों, बहु-अनुशासनिक मामलों सहित विशेषज्ञता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है।
- एन.जी.टी. की देशभर में 5 पीठे हैं। इनमें प्रधान पीठ नई दिल्ली में, जबकि चार क्षेत्रीय पीठें– भोपाल, पुणे, चैन्नई, एवं कलकत्ता में हैं।

कार्य क्षेत्र

- इसका गठन पर्यावरण सुरक्षा तथा वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन एवं क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिये अनुतोष व क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुडे हुए मामलों में प्रभावी एवं त्वरित निपटारे के लिये किया गया है।
- अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं का 6 माह के अंदर निपटारा करने के लिये अदेशाधीन है।

विकास के चरण

- संसद ने वर्ष 1995 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण' और वर्ष 1997 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण' की स्थापना से सम्बंधित कानून पारित किये थे।
- इस प्राधिकरण का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यावरण मंजूरी से सम्बंधित चुनौतियों के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना था, जबकि न्यायाधिकरण जीवन या सम्पत्ति के पर्यावरणीय क्षति सम्बंधी मामलों में सीमित मात्रा में क्षतिपूर्ति का निर्णय दे सकता था।

- हालाँकि, यह स्पष्ट था कि पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तन, संरक्षण और न्यायिक निर्णय के लिये एक विशेष और समर्पित निकाय की आवश्यकता थी।
- ऐसे निकाय में न्यायाधीशों के साथ-साथ पर्यावरणीय विशेषज्ञों के शामिल होने और विभिन्न राज्यों में इसकी पीठ के स्थापित होने से अधिकतम नागरिकों तक पहुँच बढ़ने की सोच के तहत 'एन.जी.टी.' का विचार पैदा हुआ था।
- इससे पूर्व भी 'एम.सी. मेहता व अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य' (1986) के मामले में भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने वैज्ञानिक और तकनीकी डाटा मूल्यांकन तथा विश्लेषण के कारण क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने की बात कही थी।
- ऐसी ही टिप्पणियाँ वर्ष 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम. वी. नायडू' के ऐतिहासिक मामले में पुनः दोहराई गई थी।

ट्रैक रिकॉर्ड

- स्थापना के बाद से ही एन.जी.टी. ने कानूनी विशेषज्ञों का एक नया वर्ग तैयार करने के साथ-साथ वन भूमि के व्यापक संरक्षण और महानगरों तथा छोटे शहरों में प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों को रोकने में सफलता प्राप्त की है।
- साथ ही, इसने कानूनों को क्रियान्वित न करने वाले अधिकारियों को दंडित किया है और बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के उत्तरदायित्व को भी तय किया है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की है और 'प्रदूषण भुगतान' सिद्धांत के प्रवर्तन को सुनिश्चित किया है।

समस्या

एन.जी.टी. के अधिकार क्षेत्र में वन, वन्य जीवन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और तटीय जैसे विषय संरक्षण शामिल है। इसके विशाल और सर्वव्यापी दायरे का एक नकारात्मक पहलू यह है कि यह समान रूप से बड़ी संख्या में मुकदमेबाज़ी को जन्म देता है।

आगे की राह

- एन.जी.टी. को शासन के मुद्दों पर कम तथा अधिनिर्णय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- इसे पीठों के विस्तार के साथ-साथ रिक्त पदों को शीघ्र भरने की भी आवश्यकता है।
- एन.जी.टी. को अगले दशक में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर कार्य करते हुए आर्थिक विकास को पारिस्थितिक रूप से अस्थिर बनाने वाली कार्रवाईयों को रोकने की भी आवश्यकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। इस वर्ष इसकी स्थापना के दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
- अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में इसकी अन्य चार पीठे हैं।
- संसद ने वर्ष 1995 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण' और वर्ष 1997 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण' की स्थापना से सम्बंधित कानून पारित किये थे।
- 'एम.सी. मेहता व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य' (1986) के मामले में भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने वैज्ञानिक और तकनीकी डाटा मूल्यांकन तथा विश्लेषण के कारण क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने की बात कही थी।

पश्चिमी अमेरिका में जंगल की आग की समस्या

चर्चा में क्यों?

दक्षिणी केलिफोर्निया में जंगल की आग (दावानल) ने गम्भीर रूप ले लिया है और इसको अभी तक रिकॉर्ड की गई सबसे खतरनाक दावानल के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

सन् 1932 से केलिफोर्निया में रिकॉर्ड की गई छह सबसे बड़ी व भयानक दावानल की घटनाओं में से पाँच घटनाएँ वर्ष 2020 में घटित हुई। इनमें सबसे बड़ी घटना अगस्त में घटी, जिसे 'अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर' कहा गया।

केलिफोर्निया में जंगल की आग की अवधि

- आमतौर पर पश्चिमी अमेरिका में दावानल के मौसम का विस्तार बसंत के अंत से लेकर शीतकालीन मौसमी वर्षा और हिमपात तक रहता है।
- इस आग से निकले धुएँ और राख ने सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र तथा ओरेगन व वाशिंगटन के कुछ हिस्सों में आसमान को नारंगी करने के साथ ही इन क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया।

इस वर्ष केलिफोर्निया में दावानल के प्रारम्भ होने के कारण

- नासा की अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी के अनुसार, अगस्त में केलिफोर्निया में शुष्क मौसम में बिजली गिरने की घटना के कारण जंगल में आग लगी थी। आकाशीय विद्युत झंझा में वृद्धि का एक कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है।
- हालाँकि, केलिफोर्निया में अधिकांश जंगली आग मानवीय कारणों से लगती है। इसका एक उदाहरण पायरोटेक्निक डिवाइस का प्रयोग भी है। अन्य कारणों में विद्युत पारेषण लाइनें या अन्य उपकरण शामिल हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में आग का कारण बनते हैं।
- वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, दावानल की 84% घटनाओं के लिये मानवीय कारण ही उत्तरदायी हैं।

इस वर्ष दावानल के घातक होने के कारण

- यद्यपि जंगल की आग केलिफोर्निया राज्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया हैं, परंतु केलिफोर्निया तथा पश्चिमी-अमेरिका में आग के मौसम की अवधि प्रत्येक वर्ष समय से पूर्व प्रारम्भ हो रही है और निश्चित समय के बाद समाप्त हो रही है।
- वहाँ के स्थानीय कार्यालय के अनुसार, जलवायु परिवर्तन इस प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। वसंत व ग्रीष्म ऋतु के तापमान में वृद्धि तथा बर्फबारी में कमी एवं वसंत पूर्व बर्फ के पिघलने से शुष्क मौसम की अवधि बढ़ रही है।
- इस शुष्क मौसम की वजह से वनस्पति में आर्द्रता की कमी ने जंगलों को गम्भीर दावानल के प्रति अतिसंवेदनशील बना दिया है।
- रिकॉर्ड उच्च तापमान, तेज़ हवाओं और विद्युत् झंझा की अधिकता का संयोजन केलिफोर्निया में मौजूदा जंगल की आग की गम्भीरता का कारण हो सकता है। दक्षिणी केलिफोर्निया में वर्तमान स्थिति सम्भवत: अत्यधिक हवा और आर्द्रता के कम स्तर के कारण है।

जंगल की आग के कारण

- दहन की प्रक्रिया का प्रारम्भ या तो स्वाभाविक रूप से, जैसे- बिजली गिरने या आकस्मिक रूप से, जैसे- सिगरेट स्टब्स से, हो सकता है।

- हालाँकि, कभी-कभी दहन का कारण साभिप्राय हो सकता है, जैसे कि भूमि को खाली व साफ करना या जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिये वनस्पतियों व पेड़-पौधों को हटाना।
- शहद जैसे अन्य वनोत्पादों को इकट्ठा करने के कारण भी जंगलों में आग की घटनाएँ होती हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रो में अन्य कारणों सहित चीड़ (पाइनस) के पेड़ भी दावानल के लिये उत्तरदायी माने जाते हैं।
- दावानल की तीव्रता एवं आवृत्ति उस क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधों की प्रजातियों पर भी निर्भर करती है। साथ ही, भू-आकृति व मौसम, जैसे- गर्मी, बारिश, वायु की दिशा व आर्द्रता भी इस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- एक मूल्यांकन रिपोर्ट ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि, हीटवेव की आवृत्ति, तीव्रता व सीमा में वैश्विक वृद्धि और सूखे की आवृत्ति, अवधि व तीव्रता में क्षेत्रीय वृद्धि जैसे कुछ कारकों की पहचान की है, जो जंगल की आग के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

हानियाँ

- जंगल की आग से जैव विविधता को क्षति होने के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या में वृद्धि होती है।
- साथ ही, इससे पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है, जो कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है, इससे नई प्रजातियाँ उस क्षेत्र में प्रभावी हो जाती हैं। इस प्रक्रिया से अग्नि अप्रिय (पायरोफोबिक) पौधों का स्थान अग्नि सह्य (पायरोटालरेन्ट) व अग्नि प्रिय (पायरोफिलिक) पौधे ले लेते हैं। इस कारण कहीं-कहीं अपक्षय के साथ-साथ मरुस्थलीकरण भी देखने को मिलता है।
- दावानल से उत्पन्न धूम्र पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले बड़े कारक के रूप में उभरा है, जो पर्यावरण पर हरित गृह की ही तरह का प्रभाव डालता है, अर्थात् आग से गर्मी व गर्मी से आग में वृद्धि होती है।
- इसके अतिरिक्त, मृदा की शुष्कता में वृद्धि के साथ उर्वरता में कमी आती है।
- पर्यटन, रोज़गार व उद्योगों की हानि के साथ ही टिम्बर, दुर्लभ व आयुर्वेदिक गुणों से युक्त वनस्पतियाँ भी इससे नष्ट हो जाती हैं।
- वनोत्पादों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों के लिये खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। साथ ही, इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य शृंखला का असुंतलन भी पैदा हो जाता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज़ व शुष्क हवाओं को 'सांता एना' कहा जाता है।
- भारत में वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति और वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को अपनाया गया।
- रियो पृथ्वी सम्मेलन (1992) में जंगल की आग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई थी।
- केलिफोर्निया में अगस्त माह में घटने वाली आग की एक बड़ी घटना को 'अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर' कहा गया।
- पहाड़ी क्षेत्रो में अन्य कारणों सहित चीड़ (पाइनस) के पेड़ भी दावानल के लिये उत्तरदायी माने जाते हैं।
- **'कंट्रोल फायर लाइन'** कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से निर्मित एक ऐसी सीमा-रेखा होती है, जिसके पार आग को नियंत्रित करने व बढ़ने से रोकने का प्रयास विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसके लिये अग्निरोधी वनस्पतियों को उगाने के साथ अन्य सहायक तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

हिमालयन ब्राउन बियर (Himalayan Brown Bear)

- हाल ही में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पश्चिमी हिमालय में किये गए अध्ययन के आधार पर वर्ष 2050 तक हिमालयन ब्राउन बियर के आवास में लगभग 73% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है।
- ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से इनके प्राकृतिक आवास सर्वाधिक असुरक्षित क्षेत्र हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय के अन्य ऊँचाई वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
- इस अध्ययन के अनुसार, इनके संरक्षित क्षेत्रों के बीच सम्पर्क में आने वाली कमी के कारण 13 संरक्षित क्षेत्रों में स्थित निवास स्थानों में अत्यधिक क्षति देखने को मिल सकती है, जिनमें से 8 निवास स्थान वर्ष 2050 तक पूरी तरह से आबादी रहित हो जाएंगे।
- विदित है कि यह हिमालय के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले सबसे बड़े माँसाहारी जीवों में से एक है। इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 तथा आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक (Least Concern) श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- हिमालयन ब्राउन बियर भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, जैसे- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3000-5000 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ये नेपाल, तिब्बत, पश्चिमी चीन, उत्तरी पाकिस्तान आदि में भी पाए जाते हैं, जबकि भूटान में ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं।

हींग (Asafoetida)

- हाल ही में, सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशाला इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर द्वारा हींग की खेती के लिये बीज और कृषि-तकनीक विकसित की गई है, जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में बंजर पड़ी जमीन पर हींग की खेती करने के लिये किया जाएगा।
- कच्ची हींग को फेरुला की मांसल जड़ों से ओलियो गम राल के रूप में निकाला जाता है, जिसके पैदा होने में लगभग पाँच वर्ष का समय लगता है। ध्यातव्य है कि इस पौधे की वृद्धि के लिये ठंडी और शुष्क परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। अत: भारतीय हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र हींग की खेती के लिये उपयुक्त हैं।
- विश्व में फेरुला की लगभग 130 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हींग के उत्पादन के लिये फेरुला अस्सा-फेटिडिस आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजाती है। परन्तु भारत में इसकी अन्य प्रजातियाँ- फेरुला जेस्सेकेना (चंबा) और फेरुला नार्थेक्स (कश्मीर एवं लद्दाख) पायी जाती हैं जिनसे हींग पैदा नहीं होती। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से भारत कच्ची हींग का आयात करता है।
- राज्य में हींग की खेती के उद्देश्य से सी.एस.आई.आर-आई.एच.बी.टी. और राज्य कृषि विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यातव्य है कि 15 अक्टूबर, 2020 को क्वारिंग गांव में हींग के पहले पौधे की रोपाई की गई है।

द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट, 2000-2019

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2020 को 'यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन' (UNDRR) द्वारा 'द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट, 2000-2019' जारी की गई।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2000 से 2019 के बीच 7,348 प्रमुख आपदा की घटनाएँ घटित हुई -
    - जिनमें 1.23 मिलियन लोगों की जान गई
    - 4.2 बिलियन लोग प्रभावित हुए
    - वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2.97 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

- रिपोर्ट के अनुसार, चीन (577 घटनाएँ) और अमेरिका (467 घटनाएँ) के पश्चात भारत (321 घटनाएँ) में सबसे अधिक आपदा की घटनाएँ घटित हुई।
- रिपोर्ट में पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के दोगुना होने का कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है।
- आपदा की घटनाओं में बाढ़ और तूफान की घटनाओं में तीव्र वृद्धि (दोगुनी की वृद्धि) हुई है।
- भूकम्प और सुनामी जैसी भू-भौतिकीय घटनाओं में वृद्धि भी लोगों की मौत का प्रमुख कारण बनी है।

UNDRR

- UNDRR को वर्ष 1999 में 'आपदा न्यूनीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति' (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR) के कार्यान्वयन हेतु एक समर्पित सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों के मध्य समन्वयकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता (Signatory) राष्ट्र है।

ज़ॉम्बी फायर (Zombie Fire)

- हाल ही में, टुंड्रा (Tundra) क्षेत्र में आग की घटनाओं के साथ ही 'ज़ॉम्बी फायर' (Zombie Fire) की घटनाओं में वृद्धि देखी गई।
- ज़ॉम्बी फायर मुख्यत: आग का वह रूप है, जिसमें आग भूमिगत (बर्फ के नीचे कार्बनिक पीट क्षेत्र में) तो लगी रहती है किंतु सतह पर वह कुछ समय बाद दृष्टिगत होती है।
- चिंता की बात यह है कि यह आग अब आर्कटिक क्षेत्र के उन भागों में ज़्यादा फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधी क्षेत्र थे। सामान्यत: टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष नहीं या बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ की जलवायु भी ठंडी होती है और यहाँ वर्षा भी सामान्य से बहुत कम होती है। अध्ययन के अनुसार आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित यह टुंड्रा क्षेत्र लगातार शुष्क होता जा रहा है।
- निरंतर आग की इन घटनाओं व लगातार हो रही तापमान वृद्धि की वजह से यह कार्बन के प्रमुख स्रोत के रूप में बदल सकता है, जबकि यहाँ की जलराशियाँ अभी तक कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर रहीं थीं और प्रतिवर्ष औसतन 60 मेगा टन कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर रहीं थीं। यह परिवर्तन वैश्विक तापन में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन सकता है।
- ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान टुंड्रा क्षेत्र में शीत व वसंत के दौरान तापमान सामान्य से अधिक होने की वजह से आर्कटिक क्षेत्र में आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, साइबेरिया क्षेत्र में भी वर्ष 2020 में तापमान में अत्यधिक बढ़ोत्तरी दिखी थी, जिससे क्षेत्र में गहन हीट वेव को भी महसूस किया गया था।

लाल पांडा (Red Panda)

परिचय

- रेड पांडा एक स्तनपायी जानवर है जो ऐलुरुस (Ailurus) वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। यह मुख्य रूप से हिमालय से हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला (चीन) के साथ लगी सीधी रेखा के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके वास स्थानों में नेपाल, सिक्किम, भूटान, उत्तरी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी म्यांमार और चीन के सिचुआन और युन्नान प्रांत शामिल हैं।

- ब्रह्मपुत्र का महान मोड़ (The Great Bend of the Brahmaputra) पांडा की आबादी को दो भागों में विभाजित करता है:

  1. हिमालयन रेड पांडा 2. चीनी रेड पांडा।

वर्तमान स्थिति

- आई.यू.सी.एन. की 'लाल सूची' (Red List) में इसे 'संकटापन्न' (Endangered) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- लाल पांडा आखेट, अवैध शिकार, रैखिक बुनियादी ढांचे और निवास स्थान की क्षति, तस्करी, पालतू पशुओं के व्यापार, जंगली प्रजातियों में भोजन के लिये प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ पशुधन और आंतरिक प्रजनन के कारण चिंताजनक रूप से खतरे की स्थिति में है।

सम्बंधित बिंदु

- 1990 के दशक में लाल पांडा सिक्किम का राज्य पशु और दार्जिलिंग चाय महोत्सव का शुभंकर बना।
- दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 1990 के दशक में लाल पांडा के संरक्षण हेतु एक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया।
- लाला पांडा भोजन के लिये ज्यादातर बांस पर निर्भर होता है, जो कि बहुत कम ऊर्जा वाला आहार है। यद्यपि यह एक मांसाहारी जीव है, जो बांस के अलावा अन्य पौधों और छोटे जानवरों को भी खाता है। इस प्रकार यह वातावरण में एक प्रकार का संतुलन बनाए रखता है।
- हाल ही में, उत्तरी बंगाल में सिंगालिला (Singalila) और नेओरा (Neora) घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसकी तस्करी चर्चा में रही हैं।
- प्रत्येक वर्ष सितम्बर के तीसरे शनिवार को लाल पांडा के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

13

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की वैधानिक स्थिति एवं भविष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा फैंटेसी क्रिकेट संचालकों पर एक अध्यादेश के माध्यम से प्रतिबंध (आई.पी.एल. के प्रायोजक ड्रीम 11 सहित) लगाया गया है।

ऑनलाइन सट्टेबाज़ी

ऑनलाइन सट्टेबाज़ी में वर्चुअल पोकर (कार्ड गेम में शर्त या बाज़ी लगाने वाले खिलाड़ी) केसीनो और खेल सम्बंधी बेटिंग (शर्त) शामिल हैं। दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

भारत में कानूनी स्थिति

- भारत में जुआ या सट्टेबाज़ी राज्य सूची का विषय है तथा इससे सम्बंधित प्रत्येक राज्य का अपना कानून है। भारत में कौशल आधारित खेल जुए के दायरे से मुक्त हैं। नागालैंड राज्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौशल आधारित खेल क्या और कौन से हैं। अधिकांश राज्यों के कानूनों में इस तरह की स्पष्टता नहीं है। इस सम्बंध में समय-समय पर न्यायालय को ही व्याख्या करनी पड़ती है कि कौन से खेल कौशल के दायरे में आते हैं और कौन से नहीं।
- हालाँकि, इस मामले से सम्बंधित यचिका अभी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या व्याख्या में सट्टेबाज़ी पर रोक लगाता है तो यह पूरा उद्योग बंद हो जाएगा और अगर अनुमति देता है तो राज्य सरकारें इन गतिविधियों के लिये लाइसेंस जारी कर सकती हैं। साथ ही पूरे भारत में यह निर्णय लागू होगा। ध्यातव्य है कि भारत में घोड़ों की रेस पर सट्टेबाज़ी की अनुमति है। गोवा तथा सिक्किम में कई प्रकार की सट्टेबाज़ी की अनुमति है।
- भारत में संचालित ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफार्म, जैसे– ड्रीम 11 और पेटीएम फर्स्ट आर्थिक लेन-देन पर आधारित हैं। भारत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह माना गया है कि इन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध खेल, सम्भावनाओं की बजाय कौशल आधारित खेल (games of skill rather than games of chance) हैं।
- कई देशों में जहाँ ऑनलाइन सट्टेबाज़ी को कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, वहाँ ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की सेवाएँ प्रदान करने या इससे सम्बंधित विज्ञापन जारी करने हेतु सेवा प्रदाताओं को कुछ निर्धारित लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।
- खेल उद्योग में कई प्रकार के कानूनी और गैर कानूनी घटक शामिल होते हैं। इसमें मनोरंजन से लेकर गैर कानूनी गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं। सिक्किम और गोवा में केसिनो उद्योग को विनियमित किया जाता है। कौशल आधारित कुछ खेलों को नागालैंड राज्य में भी विनियमित किया जाता है। के.पी.एम.जी. (वित्तीय फर्म) के अनुसार भारत में खेल उद्योग का आकार लगभग 150 बिलियन डॉलर है।

ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की चुनौतियाँ

- ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के सम्बंध में केंद्र तथा राज्यों के कानून बहुत पुराने और स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, जैसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867।
- अधिकांश ऑनलाइन सट्टेबाज़ी पर आधारित कम्पनियाँ अपनी आधार स्थिति (Base Location) को टैक्स हैवन क्षेत्रों (ऐसा देश या स्थान, जहाँ विदेशी निवेशकों के लिये कराधान की प्रभावी दरें बहुत कम होती हैं तथा यहाँ उच्चस्तरीय वित्तीय गोपनीयता प्रदान की जाती है) में पंजीकृत कराती हैं, जिससे मनी लॉन्डरिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

- ऑनलाइन सट्टेबाज़ी में अगर कोई व्यक्ति जाली पहचान से गैर-कानूनी गतिविधियाँ संचालित करता है तो उसे खोजना बहुत जटिल कार्य है तथा इसके लिये भारत में अभी तकनीकी कुशलता का भी अभाव है।
- सट्टेबाज़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करने से खिलाड़ियों में खेल भावना को लेकर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

आगे की राह

- सट्टेबाज़ी के संदर्भ में व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए इस उद्योग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की बजाय इसका विनियमन किया जाना चाहिये।
- सट्टेबाज़ी की कुछ गतिविधियों को विनियमित करने से सरकार को व्यापक स्तर पर कर के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसे वर्तमान में काले धन के रूप में छिपाया जा रहा है तथा यही काला धन आगे विभिन्न गैर-कानूनी उद्योगों में निवेश किया जाएगा, जिससे आतंकवादी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- सट्टेबाज़ी उद्योग को विनियमित किये जाने से व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन होने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
- सट्टेबाज़ी से सम्बंधित वेबसाइटों का विनियमन कर इनकी निरंतर जाँच हेतु एक मज़बूत निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के सम्बंध में सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों के पास कानूनी ढाँचा तथा लाइसेंस व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानूनों का विस्तार किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में आई.पी.एल. के आयोजन को लेकर भी शुरुआत में इसी प्रकार का विरोध हुआ था लेकिन वर्तमान में आई.पी.एल. विश्व की सबसे सफल क्रिकेट श्रृंखला बन चुकी है, जिसने भारत में क्रिकेट की दशा और दिशा ही परिवर्तित कर दी है। ऐसी है सकारात्मक अभिवृत्ति हमें सट्टेबाज़ी के संदर्भ में अपनानी होगी, तथा इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 भारत में सामान्य तौर पर सट्टेबाज़ी का विनियमन करता है।
- विधि आयोग द्वारा सट्टेबाज़ी के विनियमन पर सहमति जताई गई है।
- सट्टेबाज़ी से सम्बंधित याचिका अभी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।

करेंट अफेयर्स
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

ह्यूमन चैलेंज ट्रायल: जीवन रक्षा या नैतिकता 129

विविध

एकता दिवस और विभिन्न पहलें....................131

रशिकोंडा समुद्री तट को मिला ईको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' का दर्जा....................132

नोबेल पुरस्कार, 2020....................133

वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020....................138

'इंफोडेमिक' प्रबंधन....................140

पुलवामा पेंसिल....................141

इंदिरा रसोई योजना : राजस्थान....................141

ओहाका खादी....................142

गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन....................142

अटल सुरंग....................143

14 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

ह्यूमन चैलेंज ट्रायल : जीवन रक्षा या नैतिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कई देशों के लोग स्वेच्छा से एक विवादास्पद परीक्षण विधि **'ह्यूमन चैलेंज ट्रायल'** में भाग लेने के लिये तैयार हो गए हैं। कोरोना वायरस का टीका जल्द निर्मित करने के लिये इस विधि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ह्यूमन चैलेंज ट्रायल और इसके महत्त्व

- इस विधि में वॉलंटियर्स को जान-बूझकर परीक्षण वैक्सीन लगाने के पश्चात् लक्षित वायरस से संक्रमित किया जाता है, फिर वायरस के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, इस प्रकार के परीक्षणों से वैक्सीन विकसित करने में लगने वाले समय की बचत होती है। इसमें प्रतिभागियों पर बाहरी परिस्थितियों में संक्रमण के प्रभाव की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। इसमें पारम्परिक **क्लीनिकल ट्रायल** के तीसरे चरण के परीक्षण हेतु लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकता है, ताकि प्रभावकारी टीके का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके।
- ध्यातव्य है कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का प्रयोग मलेरिया, डेंगू, इंफ्लुएंज़ा और हैज़ा जैसे रोगों की वैक्सीन विकसित करने में किया जाता है।

नैदानिक परीक्षण/क्लीनिकल ट्रायल (Clinical Trial)

- क्लीनिकल ट्रायल **वैक्सीन निर्माण हेतु एक प्रकार का शोध** है। इसमें नए परीक्षणों और उपचारों का अध्ययन किये जाने के साथ ही परीक्षण किये जा रहे टीके का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाता है। लोग स्वेच्छा से दवाओं, कोशिकाओं और अन्य बायोलॉजिकल उत्पादों, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाओं, चिकित्सकीय उपकरणों तथा व्यवहार सम्बंधी उपचार के परीक्षणों में भाग लेते हैं।
- आमतौर पर टीके के परीक्षण और विकास में कई वर्षों का समय लगता है। अधिकांश विनियामक प्रक्रियाओं के अंतर्गत टीके का विकास क्लीनिकल परीक्षण के चार चरणों के माध्यम से होता है।
- पहले चरण में, लोगों के एक छोटे समूह पर नए टीके का परीक्षण किया जाता है। अगर पहले चरण में परीक्षण सफल रहता है तो दूसरे चरण में लोगों के एक बड़े समूह पर टीके के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी की जाती है।
- गत परीक्षणों के सफल होने पर तीसरे चरण में एक व्यापक जनसमूह या देशों में परीक्षण किया जाता है। पहले परीक्षण में भाग लेने वाले देशों की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् चौथे चरण में एक व्यापक जनसमूह पर लम्बे समय तक परीक्षण किया जाता है।

ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की चुनौतियाँ

- यह परीक्षण नैतिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी रोग के लक्षणों तथा पूर्ण प्रभाव के सामने आए बिना ही वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर दिया जाता है, जिससे इस वैक्सीन के निकट भविष्य में असफल होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- इस परीक्षण में वैक्सीन के दुष्प्रभावों (Side Effects) के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, जिससे जल्दबाजी में तैयार किया गया वैक्सीन लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

- इसमें वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु गरीब अफ्रीकी देशों के लोगों पर आर्थिक दबाव बनाकर उन्हें परीक्षण के लिये तैयार किया जाता है। यह प्रयास उनके स्वास्थ्य के लिये खतरनाक होने के साथ-साथ मानवाधिकारों के विरुद्ध भी है।

आगे की राह

- वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों की पूर्ण सहमति जरूरी है। उन पर किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव नहीं बनाना चाहिये।
- सभी मानव परीक्षणों में मानव के स्वास्थ्य सम्बंधी जोखिमों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये, जिससे गरीब तथा वंचित लोगों के शोषण की रोकथाम कर उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

वर्तमान में कोविड-19 का कोई औपचारिक उपचार उपलब्ध नहीं है। इस संकटपूर्ण स्थिति में ह्यूमन चैलेंज ट्रायल वैक्सीन के तीव्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अनुसंधान में सार्वजनिक विश्वास तथा नैतिकता बनाए रखने के लिये मानव परीक्षण में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों को इससे सम्बंधित जोखिमों की स्पष्ट तथा पूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।

15 विविध

एकता दिवस और विभिन्न पहलें

पृष्ठभूमि

31 अक्तूबर को **'लौह पुरुष'** सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्तूबर, 2020 को सरदार पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एकता समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में ही स्थित है।

विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत

- केवड़िया के समेकित विकास कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 30-31 अक्तूबर 2020 को विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
- इन परियोजनाओं के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिये एकता क्रूज़ सेवा, एकता मॉल और 'बच्चों के लिये पोषक पार्क' का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही, प्रधानमंत्री ने एकता दिवस की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया।
- इसके अलावा यूनिटी ग्लो गार्डन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- इस अवसर पर केवड़िया ऐप को भी लॉन्च किया गया और केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट के लिये सी-प्लेन सेवा की भी शुरुआत की गई।
- प्रधानमंत्री ने केवड़िया में 'सरदार पटेल प्राणी उद्यान' और 'जियोडेसिक एवरी डोम' का भी उद्घाटन किया।

जियोडेसिक एवरी डोम

- जियोडेसिक एवरी डोम विश्व का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है।
- इस प्राणी उद्यान में दो अलग-अलग पक्षी अभयारण्य हैं, जिसमें एक घरेलू पक्षियों के लिये और दूसरा विदेश से आने वाले पक्षियों के लिये है।

एकता क्रूज़ सेवा

- एकता क्रूज़ सेवा के माध्यम से पर्यटक फेरी बोट सर्विस (Ferry Boat Service) के जरिये श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक छह किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे।
- नाव सेवा को शुरू करने का उद्देश्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों को बोटिंग सेवाओं का अनुभव देना है।

एकता मॉल

- एकता मॉल में सम्पर्ण भारत की मौजूद हस्तकलाओं और पारम्परिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, इसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है।
- इस मॉल में स्थित प्रत्येक एम्पोरियम (बिक्री-भंडार) किसी-न-किसी राज्य का प्रतिनिधत्व करते हैं।

बच्चों के लिये पोषक पार्क

- यह विश्व का पहला प्रौद्योगिकी आधारित बच्चों के लिये पोषक पार्क है जो कि 35 हज़ार वर्गफुट में फैला हुआ है।

- इस पार्क में एक 'न्यूट्री ट्रेन' भी चलाई जाएगी, जिसके स्टेशन के नाम- 'फलशाखा गृहम', 'पायोनागरी', 'अन्नपूर्णा', 'पोषण पुराण', और 'स्वस्थ भारत' हैं।
- इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पोषण युक्त भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिसके लिये पार्क में मिरर मेज, 5डी वर्चुअल रियल्टी थियटर और अगुमेंटेंड रियल्टी गेम की भी व्यवस्था की गई है।

आरम्भ 2020

- 'आरम्भ' एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा सभी अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप-ए केंद्रीय सेवाएँ, विदेश सेवाओं के प्रशिक्षुओं को एक कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम के जरिये एक साथ लाया जाता है।
- इसका उद्देश्य परम्परागत रूप से विभागीय और सेवाओं के स्तर पर विभाजित सोच को समाप्त करना है, जिससे सिविल अधिकारियों के अंदर विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके।
- आरम्भ 2020 में तीन उपविषय हैं–
  - **एक भारत-श्रेष्ठ भारत–** भारत में सांस्कृतिक विविधता व तालमेल को प्रभावी रूप से तथा आर्थिक विविधता व एकता को शक्ति के रूप में स्थापित करना।
  - **आत्मनिर्भर भारत–** ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में।
  - **नवीन भारत–** शिक्षा, उद्योग और प्रशासन में शोध व नवाचार को बढ़ाना।
- इस वर्ष यह 'आरम्भ' का दूसरा संस्करण है। इसमें 18 सेवाओं और भूटान की तीन शाही सेवाओं के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और एकता के द्वारा भारत को प्रभावशाली बनाना है।
- आरम्भ की शुरुआत वर्ष 2019 में 94वें फाउंडेशन कोर्स के तहत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री प्रशिक्षु अधिकारियों से सीधे संवाद भी करते हैं।

आरोग्य वन एवं आरोग्य कुटीर

- आरोग्य वन 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 380 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 5 लाख पौधे हैं।
- आरोग्य कुटीर में एक पारम्परिक उपचार सुविधा संथीगिरी वेलनेस सेंटर हैं। इसमें आयुर्वेद, सिद्ध, योग एवं पंचकर्म पर आधारित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

रशिकोंडा समुद्री तट को मिला ईको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, विशाखापत्तनम स्थित **'रशिकोंडा समुद्री तट' (Rushikonda Beach)** के साथ-साथ भारत के सात अन्य समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ईको-लेबल **"ब्लू फ्लैग"** दर्जा प्रदान किया गया है। भारत ने तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा सौंदर्यीकरण हेतु तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन?

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा डेनमार्क स्थित 'पर्यावरणीय शिक्षा फाउंडेशन' (Foundation for Environmental Education– FEE) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह दर्जा निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के लिये प्रदान किया जाता है। इन मानकों के अंतर्गत तटों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिये सम्बद्ध तट को प्लास्टिक व कचरा मुक्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सुसज्जित करना शामिल हैं।

- साथ ही, पर्यटकों के लिये अच्छी गुणवत्ता वाले जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यटन सुविधाएँ विकसित करने के अतिरिक्त समुद्री तट के उपयोगकर्ताओं के पर्यावरणीय ज्ञान का भी आकलन मानकों के तहत किया जाता है।
- ध्यातव्य है की एफ.ई.ई. ने 4664 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्रदान किया है। सर्वाधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणन दर्जा प्राप्त समुद्री तट स्पेन में स्थित हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लाभ

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्री तट वैश्विक मानचित्र पर स्थापित हो जाते हैं। भारत अब विश्व के 50 ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले देशों में शामिल हो गया है। इस प्रमाणन के द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
- इस निर्णय के बाद समुद्री तटों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक 'तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम' अर्थात सी.आर.जेड. नियमों के तहत ऐसे क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं थी।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2018 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रमाणपत्र के लिये 13 समुद्री तटों की पहचान की थी, जिनमें से 8 का चुनाव किया गया है।
- भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य सात समुद्री तटों में- शिवराजपुर (गुजरात), घोघला (दीव), कासरकोड (कर्नाटक), पदुबिदरी (कर्नाटक), कप्पड़ (केरल), गोल्डेन (ओडिशा) और राधानगर (अंडमान) शामिल हैं।

रशिकोंडा : एक नजर में

- रशिकोंडा तट आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा समुद्री तट है, जिसे केंद्र सरकार ने ' समुद्री तट पर्यावरण और सौंदर्यशास्त्र प्रबंधन सेवाएँ' (Beach Environment and Aesthetics Management Services — BEAMS) परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास के लिये चुना है।
- आउटडोर फिटनेस उपकरण, समुद्री तटों की निरंतर सफाई के लिये तंत्र, सी.सी.टी.वी. कैमरे और जीवनरक्षक सुरक्षा उपकरण भी इस परियोजना के अंतर्गत प्रदान किये गए थे।

नोबेल पुरस्कार, 2020 (Nobel Prize, 2020)

परिचय

- नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से शुरू किये गए थे। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है।
- इस पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने दिसम्बर 1896 में अपनी मृत्यु से पहले अपनी सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिये सुरक्षित रख दिया था, जिसके ब्याज़ से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष नोबेल पुरस्कार वितरण शुरू हुआ।
- नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून, 1900 को हुई तथा वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किये जाने लगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 में की गई।

नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति/संस्थान

- भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यह करोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है।

■ साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किय जाता है, जबकि शांति के क्षेत्र में नोबेल नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई पाँच सदस्यीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय

■ **साहित्य के क्षेत्र में-** रवीन्द्रनाथ टैगोर (1913) भारतीय मूल के वी.एस. नायपॉल (2001)

■ **शांति का नोबेल-** मदर टेरेसा (1979), कैलाश सत्यार्थी (2014)

■ **भौतिकी के क्षेत्र में-** सी.वी. रमन (1930), भारतीय मूल के सुब्रहमण्यम चंद्रशेखर (1983)

■ **रसायन विज्ञान के क्षेत्र में-** वेंकट रामकृष्णन (2009)

■ **चिकित्सा के क्षेत्र में-** हरगोविंद खुराना (1968)

■ **अर्थशास्त्र के क्षेत्र में-** अमर्त्य सेन (1998), अभिजीत बनर्जी (2019) अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Physics)

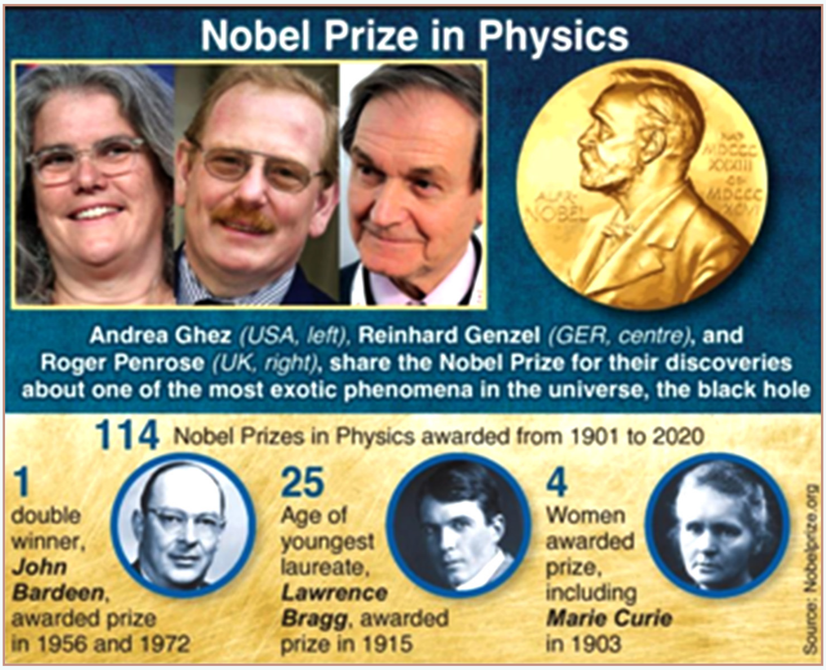

■ हाल ही में, तीन वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज़ (Roger Penrose – UK), रेनहार्ड गेंजल (Reinhard Genzel – Germany) और एंड्रिया गेज़ (Andrea Ghez – USA) को वर्ष 2020 के लिये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिये चुना गया है। ध्यातव्य है कि मैरी क्यूरी (1903), मारिया गोपर्ट-मेयर (1963), और डोना स्ट्रिकलैंड (2018) के बाद एंड्रिया गेज़ भौतिकी में नोबेल पाने वाली चौथी महिला हैं।

■ रोजर पेनरोज़ को ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा समझाने के लिये यह पुरस्कार दिया जा रहा है, उन्होंने गणितीय आधार पर यह साबित किया है कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सम्भव है और यह पूरी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है।

■ राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज़ को आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली **'सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट' (Supermassive Compact Object)**, जिसे अब 'धनु A*' नामक

विशाल ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है, की खोज के लिये संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिये नामित किया गया है।

- सुपरमैसिव ब्लैक होल के रूप में ज्ञात धनु A* (Sagittarius A*) का द्रव्यमान सूर्य से लगभग चालीस लाख गुना अधिक है। धनु A*, उन दो ब्लैक होल्स में से एक है, जिनकी छवि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोज़ेक्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Chemistry)

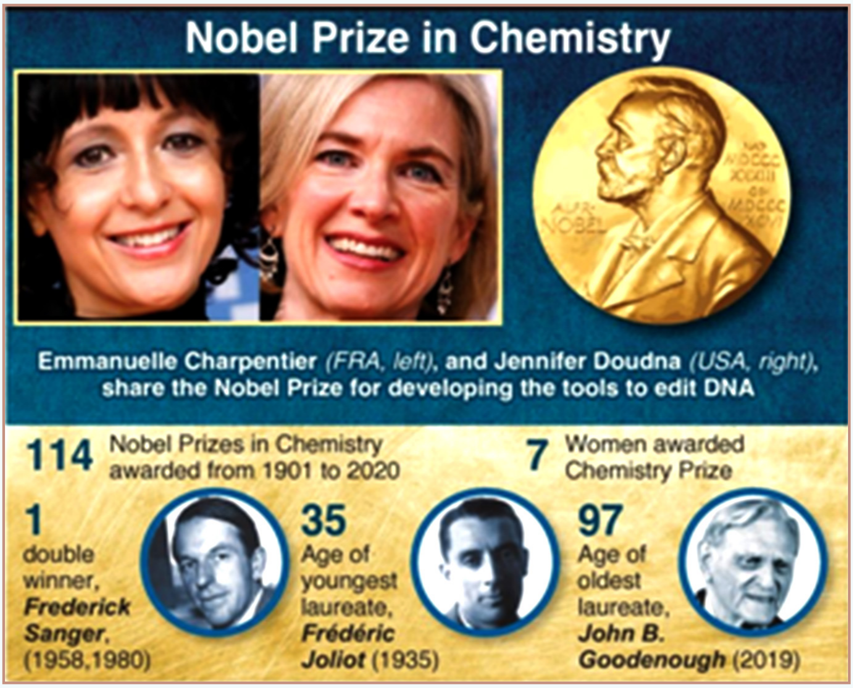

- फ्रांस की इमैनुएल चार्पेंटियर (Emmanuelle Charpentier) एवं अमेरिका की जेनिफर डॉडना (Jennifer A Doudna) को 'ज़ीनोम एडिटिंग' में सहायक क्रिस्पर- कैस 9 नामक 'जेनेटिक कैंची' की खोज के लिये संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिये नामित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि दोनों वैज्ञानिकों ने जीव जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्मजीवों के डी.एन.ए. को सटीकता से सम्पादित करने के लिये क्रिस्पर (CRISPR – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) कैस-9 नामक उपकरण विकसित किया था। सम्भवत: यह पहला ऐसा मौका है, जब किसी वर्ग में दो महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
- 'जीनोम एडिटिंग' एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक जीव-जंतुओं के डी.एन.ए. में बदलाव करते हैं। कैंची की तरह काम करने वाली इस प्रौद्योगिकी में डी.एन.ए. को किसी विशेष या रोग जनित स्थान से काटा जाता है, फिर किसी अन्य या स्वस्थ डी.एन.ए. को उस स्थान से काटे गए हिस्से से बदल दिया जाता है। इससे रोगों के उपचार में काफी मदद मिलती है। क्रिस्पर–कैस-9 की खोज से पहले, जीन एडिटिंग अधिक समय लेने वाली एवं कठिन प्रक्रिया थी।
- विदित है कि स्ट्रेप्टोकॉकस प्योजेंस (Streptococcus Pyogenes) (एक प्रकार का बैक्टीरिया, जो मनुष्यों के लिये सबसे अधिक नुकसान का कारण बनता है) का अध्ययन करते हुए, एमैनुएल चार्पेंटियर ने एक अज्ञात अणु 'ट्रांस-एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आर.एन.ए.' (TracrRNA) की खोज की थी, जिसे वर्ष 2011 में प्रकाशित किया गया था। ये 'TracrRNA' बैक्टीरिया की प्राचीन प्रतिरक्षा प्रणाली क्रिस्पर- कैस 9 का हिस्सा था, जो अपने डी.एन.ए. को विघटित करके वायरस को निष्क्रिय कर देता था।

चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Medicine)

- हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाफटन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिये चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

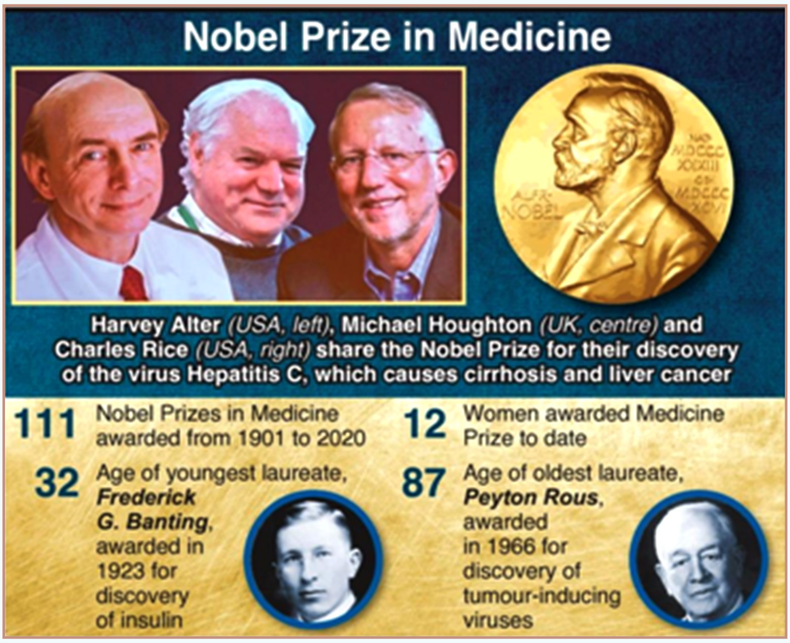

- नोबेल समिति ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि तीनों वैज्ञानिकों की खोज से हेपेटाइटिस के स्त्रोत की जानकारी मिलना आसान हो जाएगा, जो पूर्व में हेपेटाइटिस वायरस ए और बी के द्वारा सम्भव नहीं था। इस खोज से अब हेपेटाइटिस की जांच और नई दवाएँ बनाना भी आसान हो जाएगा।

अर्थशास्त्र का नोबेल (Nobel in Economics)

- **'रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस'** ने वर्ष 2020 के लिये आर्थिक विज्ञान में 'सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार' से पॉल आर. मिलग्रोम और रॉबर्ट बी. विल्सन को सम्मानित किया है। 'सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार' को लोकप्रिय रूप में अर्थशास्त्र का नोबेल भी कहा जाता है।
- इस जोड़ी को 'नीलामी के सिद्धांत में सुधार' और 'नए नीलामी प्रारूपों की खोज या कल्पना' के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- 'नीलामी सिद्धांत' यह बताता है कि नीलामी किस प्रकार किसी वस्तु की कीमत को तय करती है और नीलामी प्रक्रिया कैसे तैयार की जाती है व इन्हें कौन से नियम नियंत्रित करते हैं। साथ ही, बोली लगाने वालों का व्यवहार और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
- रॉयल स्वीडिश अकादमी के अनुसार, विल्सन ने 'सामान्य मूल्य' के साथ वस्तुओं की नीलामी का सिद्धांत विकसित किया है। यह एक ऐसा मूल्य होता है, जो पहले अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिये समान होता है। साथ ही उन्होंने 'बोली विजेताओं के हानिकारक प्रभाव' (Winner's Curse) को भी स्पष्ट किया है।

नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize)

- संयुक्त राष्ट्र के 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (World Food Programme – WFP) को वर्ष 2020 के लिये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' को यह पुरस्कार विश्व भर में 'भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थितियाँ बेहतर बनाने में योगदान देने एवं भूख को युद्ध व संघर्ष में एक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने के नकारात्मक प्रयासों को रोकने के क्षेत्र में विशेष सहायता के लिये' प्रदान किया गया है।
- डब्ल्यू.एफ.पी. 28वाँ संगठन है, जिसे यह सम्मान दिया गया है और यह 12वाँ मौका है, जब संयुक्त राष्ट्र या इसकी किसी एजेंसी या इससे जुड़े किसी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

- विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो भुखमरी की समस्या से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। विश्व भर में आपात स्थितियों में इसका मुख्य कार्य यह देखना है, कि जरूरतमंदों तक (विशेषकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में) खाद्य सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम (इटली) में स्थित है। इसका संचालन 36 सदस्य देशों के कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

साहित्य के लिये नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize for Literature)

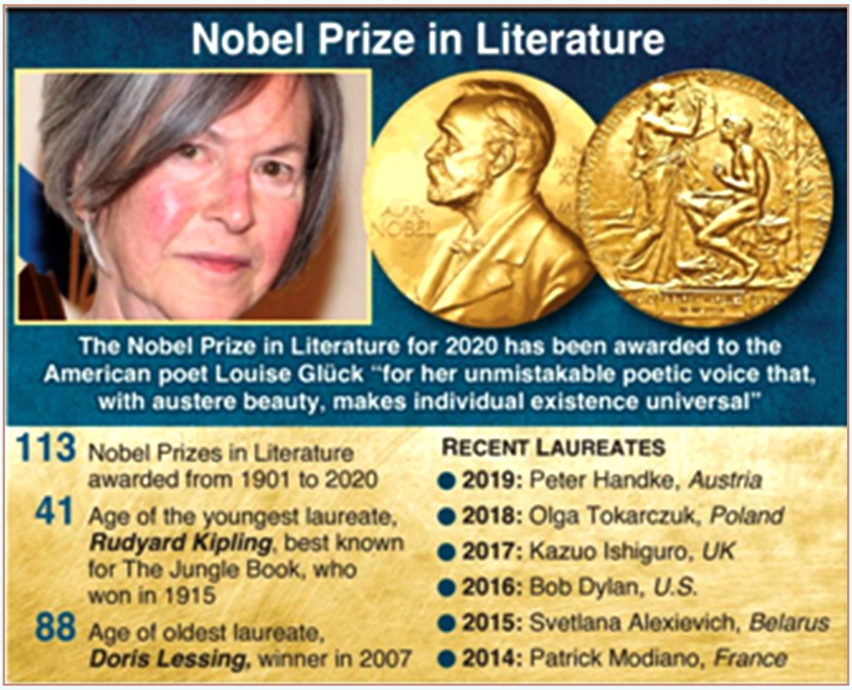

- संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री **लुईस ग्लूक (Louise Gluck)** को वर्ष 2020 के लिये साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिये यह सम्मान दिया गया है। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ-साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है।
- ध्यातव्य है कि लुईस ग्लूक को वर्ष 1993 में **'द वाइल्ड आइरिस' (The Wild Iris)** के लिये **पुलित्जर पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था। विगत एक दशक में **ओल्गा टोकरक्जुक (2018), स्वेतलाना अलेक्सीविच (2015) और एलिस मुनरो (2013)** के बाद साहित्य का नोबेल जीतने वाली ग्लूक चौथी महिला हैं। ग्लूक वर्ष 2016 में **बॉब डिलन (Bob Dylan)** के बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अमेरिकी नागरिक भी हैं।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020

चर्चा में क्यों?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 (Global Hunger Index) के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग/Child Wasting (लम्बाई की अपेक्षा में कम वज़न) के शिकार हैं, जो कि भारत में तीव्र कुपोषण के स्तर को दिखाता है।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 के अनुसार भारत की रैंक 94 (107 देशों की सूची में) है तथा इस सूचकांक में भारत से पीछे केवल 13 देश ही हैं। इनमें रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाड जैसे देश शामिल हैं।
- अध्ययन के अनुसार भारत की 14% जनसँख्या कुपोषित है। साथ ही, यहाँ वेस्टिंग की दर 17.3%, स्टंटिंग की दर 37.4% तथा म्रत्यु दर 3.7% (5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की) है।
- चाड, तिमोर तथा मेडागास्कर को खतरनाक श्रेणी (Alarming category) में रखा गया है।
- दक्षिण एशिया में चाइल्ड वेस्टिंग (उम्र की अपेक्षा में लम्बाई कम होना) की दर सबसे अधिक है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत की रैंक 102 (117 देशों में) थी।

Where India stands

The Global Hunger Index score is computed using four indicators – undernourishment, child wasting, child stunting and child mortality. A country's GHI score is classified by severity – low (▬), moderate (▬) and serious (▬)

RANK	COUNTRY	2020 SCORE
1-17*	China	<5
64	Sri Lanka	16.3
73	Nepal	19.5
75	Bangladesh	20.4
78	Myanmar	20.9
88	Pakistan	24.6
94	**India**	**27.2**
99	Afghanistan	30.3

**17 countries have scores of less than 5 and are collectively ranked 1-17*

वैश्विक भुखमरी सूचकांक

- जी.एच.आई. को वर्ष 2000 के बाद से **वेल्थ हंगर हिल्फे एंड कंसर्न वल्डवाइड** द्वारा सयुंक्त रूप से जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कम स्कोर करने वाले देश को अधिक रैंकिंग प्रदान की जाती है, जो कि बेहतर प्रदर्शन का सूचक होती है।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भुखमरी को मापना तथा वर्ष 2030 तक शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

जी.एच.आई. के घटक

- **अल्प पोषण (Undernourishment) –** यह जनसंख्या के अनुपात में भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता को प्रदर्शित करता है।
- **चाइल्ड स्टंटिंग (Child Stunting) –** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आयु के अनुपात में कम लम्बाई (Height) होना, यह दीर्घकालिक अल्पपोषण (Chronic Under Nutrition) की स्थिति को दर्शाता है।
- **चाइल्ड वेस्टिंग (Child Wasting)** – 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लम्बाई (Height) के अनुपात में कम वजन (Low weight) होना। यह तीव्र अल्पपोषण (Acute Under Nutrition) की स्थिति को दर्शाता है।
- **बाल मृत्यु दर (Child Mortality Rate)** – इसकी गणना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। यह अपर्याप्त पोषण (Inadequate Nutrition) की स्थिति को दर्शाता है।

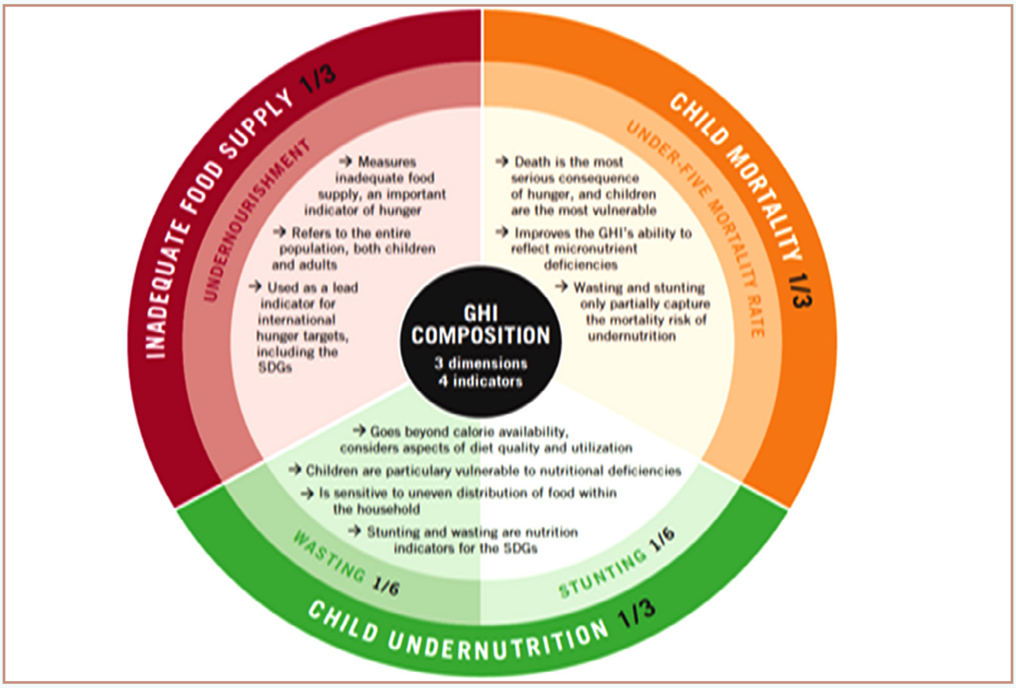

'इंफोडेमिक' प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि 'कोविड-19 महामारी' के दौरान 'इंफोडेमिक' का प्रबंधन एक गम्भीर चुनौती रही है।

इंफोडेमिक की परिभाषा

- मीडिया के विभिन्न माध्यमों, विशेषकर सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त होने वाली अत्यधिक झूठी/भ्रामक जानकारी को इंफोडेमिक नाम दिया गया है।
- इसके कारण लोगों में बड़ी मात्रा में सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति संशय और अविश्वास पैदा हुआ है।

इंफोडेमिक के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. का फ्रेमवर्क

- डब्ल्यू.एच.ओ. ने कोरोनोवायरस इंफोडेमिक के प्रबंधन के लिये एक विशेष रूपरेखा तैयार की है।
- **इंफोडेमियोलॉजी** को महामारी के दौरान शासन व्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा उभरते वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
- लगभग दो दशक पहले इंफोडेमिक शब्द गढ़ने वाले इंफोडेमियोलॉजी विशषज्ञों ने इंफोडेमिक प्रबंधन के लिये निम्नलिखित चार प्रमूख स्तम्भों पर ध्यान देने की बात की थी :
  1. सूचना निगरानी या इंफोविलांस (Infoveillance) ।
  2. ई-स्वास्थ्य साक्षरता और विज्ञान साक्षरता क्षमता का निर्माण।
  3. तथ्य-जाँच और सहकर्मी-समीक्षा (Peer-Review) जैसी ज्ञान शोधन और गुणवत्ता सुधार प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना।
  4. सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना तथा जानकारी को प्रभावित करने वाले राजनीतिक या व्यावसायिक कारकों को कम करना।

पुलवामा पेंसिल (Pulwama Pencils)

- कश्मीर घाटी पूरे देश की लगभग 90% पेंसिल स्लेट और लकड़ी की पट्टी की माँग को पूरा करती है, जिसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा ज़िले की है।
- इसकी शुरुआत पेंसिल निर्माण में चिनार की लकड़ी (Poplar Wood) के उपयोग से हुई। पहले इस उद्योग के लिये लकड़ी का आयात जर्मनी और चीन से किया जाता था।
- कश्मीर घाटी की चिनार की लकड़ी में उच्च नमी और मृदुता होती है, जो पेंसिल के निर्माण के लिये इसे उपयुक्त बनाती है। यह विशेष प्रकार का चिनार पुलवामा ज़िले के नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यहाँ से प्रमुखतया **'हिंदुस्तान पेंसिल'** को कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। यह कम्पनी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पेंसिल निर्माता कम्पनी है।
- पुलवामा में उक्खू (ओखू) गाँव को 'पेंसिल विलेज़' के नाम से जाना जाता है। यहाँ पेंसिल स्लेट निर्माण की कई इकाईयाँ रोज़गार उपलब्ध करा रही हैं, जिसमें काफी संख्या में महिलाएँ कार्यरत हैं।
- ध्यातव्य है कि पुलवामा पेंसिल की चर्चा 'मन की बात' में की गई थी।

इंदिरा रसोई योजना : राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान में 50 लाख से अधिक लोग इंदिरा रसोई योजना (एक रसोई योजना) से लाभान्वित हुए हैं। यह योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य:** गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर दिन में दो बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
  - योजना के तहत, प्रत्येक प्लेट में 100 ग्राम दाल और सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है।
  - इस रसोई का उद्देश्य, विश्व खाद्य दिवस, 2020 की थीम "ग्रो, नरिश एंड सस्टेन टुगेदर" (Grow, Nourish, Sustain – Together) के उद्देश्यों को पूरा करना है।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के निकट केंद्रों की स्थापना के लिये अनुबंधित किया गया है।
- **पृष्ठभूमि:** वर्तमान राजस्थान सरकार ने पिछली अन्नपूर्णा रसोई योजना को रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु की अम्मा उनागम (अम्मा कैंटीन) की तर्ज पर नाश्ता और दोपहर का भोजन दिया जा रहा था।
- **निगरानी:** योजना के कार्यान्वयन की निगरानी ज़िला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति करेगी। खाद्य गुणवत्ता की निगरानी के लिये एक विशेष ऐप भी बनाया गया है।
- **लक्ष्य:** इस योजना के तहत राज्य में प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों की सेवा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इस योजना से पूरे राज्य में 50.30 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

विश्व खाद्य दिवस

- प्रत्येक वर्ष 16 अक्तूबर को दुनिया भर में **विश्व खाद्य दिवस (World Food Day)** मनाया जाता है।
- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किये गए खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तिथि के सम्मान में यह वार्षिक दिवस मनाया जाता है।
- विश्व खाद्य दिवस पर कई अन्य संगठन, जैसे **इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम** आदि भी सहयोग करते हैं।

ओहाका खादी (Oaxaca Khadi)

- 'ओहाका' (Oaxaca) दक्षिण मेक्सिको में स्थित एक क्षेत्र है, जहाँ कई गाँवों के स्थानीय ग्रामीण खादी बुनाई का कार्य करते हैं। वर्तमान में यहाँ की खादी 'ओहाका खादी' के नाम से प्रसिद्ध है।
- ओहाका खादी के प्रणेता 'मार्क ब्राउन' हैं। महात्मा गाँधी और खादी से प्रभावित होकर मार्क ब्राउन ने ही मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया और उन्हें प्रशिक्षित किया। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर थीम वाक्य के रूप में "The Symbol of Dharma in Motion" अर्थात 'गतिवान धर्म का प्रतीक' लिखा है
- इसके लिये पारिस्थितिक रूप से कपास का उत्पादन और खेती ओहाका तट पर की जाती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है।
- यहाँ बने कपड़े रसायनों से मुक्त होते हैं। इसके लिये प्रयुक्त होने वाले रंजक स्थानीय पौधों से प्राप्त किये जाते हैं। इस कार्य में वहाँ के लगभग 400 परिवार संलग्न हैं।
- उल्लेखनीय है कि 'मन की बात' कार्यक्रम में ओहाका खादी की चर्चा की गई थी।

गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- पहली योजना गुजरात के किसानों के लिये है, जिसका नाम **'किसान सूर्योदय योजना'** है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली-कार्डियोलॉजी के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन तथा पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया।
- इसके अतिरिक्त गिरनार में एक रोपवे परियोजना का भी उद्घाटन किया गया।

किसान सूर्योदय योजना

- यह गुजरात सरकार द्वारा सिंचाई के लिये दिन में बिजली आपूर्ति हेतु योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति प्राप्त सकते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
- सत्र 2020-21 हेतु दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद और गिर-सोमनाथ को योजना के तहत शामिल किया गया है। शेष ज़िलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल

- प्रधानमंत्री द्वारा यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च के साथ सम्बद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया। यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट विश्व के उन चुनिदा अस्पतालों में से एक है, जो विश्वस्तरीय चिकित्सा अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं में लैस है।
- यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में विस्तार परियोजना के पूरा होने के बाद यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा। यह विश्व के सबसे बड़े एकल सुपर स्पेशिएलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक होगा।

गिरनार रोपवे

- यह रोपवे गिरनार की तलहटी से अम्बाजी मंदिर तक (2.3 किलोमीटर) बना है।
- इस रोपवे की वजह से यह दूरी मात्र 7.5 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

- एशिया की सबसे लम्बी मंदिर रोपवे के रूप में देखी जा रही इस रोपवे परियोजना को 130 करोड़ रूपए की लागत से **उषा ब्रेको लिमिटेड (Usha Breco Limited)** कम्पनी द्वारा विकसित किया गया है।

गिरनार पर्वत

- गिरनार पर्वत गुजरात में जूनागढ़ के निकट अवस्थित है। इसका प्राचीन नाम 'गिरिनगर' था। इन पहाड़ियों पर मुख्यत: भील और डुबला लोगों का निवास है।
- गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, शतरूंजी और घेलो नदियाँ बहती हैं। खम्बलिया, धारी विसावदर, मेंदरदा और आदित्याणा यहाँ के प्रमुख नगर हैं।
- इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी को गुरू दत्तात्रेय और नेमिनाथ दोनो नामों से जाना जाता है और जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ एवं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर भी यहाँ स्थित है। अत: जैन एवं हिंदू दोनों धर्मावलम्बियों के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
- एशियाई सिंहों के लिये विख्यात 'गिर वन राष्ट्रीय उद्यान' इसी क्षेत्र में स्थित है। गिरनार पर्वत पर सम्राट अशोक का एक स्तम्भ भी है।

अटल सुरंग (Atal Tunnel)

- सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की सबसे लम्बी राजमार्ग सुरंग (9.02 किमी.) का निर्माण रोहतांग दर्रे के नीचे किया गया है, जिससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किमी. कम हो गई है।
- इस सुरंग का साउथ पोर्टल मनाली से 25 किमी. की दूरी पर स्थित है तथा नॉर्थ पोर्टल लाहौल घाटी में सिसु के तेलिंग गाँव के समीप है।
- 'घोड़े के नाल जैसे आकार' की इस सुरंग में दो लेन की 10.5 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर ऊँची सड़क है। सुरंग में रोशनी, अग्निशमन और निगरानी के व्यापक प्रबंध किये गए हैं। यह सुरंग वर्षभर मनाली को स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। (पूर्व में यह हिस्सा भारी बर्फबारी के चलते 6 महीने के लिये बंद रहता था।)
- चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण सम्बंधों को देखते हुए यह सुरंग सामरिक (Strategic) रूप से काफी अहम है।
- उल्लेखनीय है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क निर्माण तथा सेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है।